33वीं

वार्षिक रिपोर्ट

2009-2010

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

वार्षिक रिपोर्ट
2009-2010

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

आई आई टी एफ में भागीदार देशों के ध्वज

विषय-सूची

निदेशक मण्डल 6

प्रमुख कार्यकारी 7

भारत एवं विदेशों में आई टी पी ओ के कार्यालय 11

अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य 14

वार्षिक आम बैठक की सूचना 19

निदेशकों की रिपोर्ट 22

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 38

सचिवीय अनुपालन प्रमाण-पत्र 45

लेखा 52

अनुषंगी कम्पनियां

(i) तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन 80

(ii) कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन 107

33वीं

वार्षिक रिपोर्ट

2009-2010

प्रगति मैदान, नई दिल्ली स्थित आई टी पी ओ कार्यालय का दृश्य

आई आई टी एफ का आनन्द उठाती आम जनता

निदेशक मण्डल

डा. सुवास पाणि
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

डा. सुतानू बेहूरिया
विशेष सचिव तथा वित्तीय सलाहकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री पी. के. दाश
संयुक्त सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सुश्री रीनत संधू
संयुक्त सचिव
विदेश मंत्रालय

श्री प्रवीर कुमार
संयुक्त सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम
मंत्रालय

श्री राजीव यादव
कार्यकारी निदेशक
(17.01.2010 तक)

श्री नीरज कुमार गुप्ता
कार्यकारी निदेशक
(16.02.2010 से)

प्रमुख कार्यकारी

श्री सफदर हुसैन खान
वरिष्ठ महाप्रबन्धक

श्री ए. के. खन्ना
वरिष्ठ महाप्रबन्धक, वित्तीय सलाहकार
तथा कम्पनी सचिव

श्री वी. के. गाबा
विशेष कार्याधिकारी

श्री एन. के. सेठी
महाप्रबन्धक

सुश्री नसीम इस्हाक
महाप्रबन्धक

श्री पी. सी. शर्मा
महाप्रबन्धक

श्री एन. के. सहगल
महाप्रबन्धक

श्री हुकुम चन्द टी.
महाप्रबन्धक

श्री के. एस. दबास
महाप्रबन्धक

डा. के. एम. सोनी
महाप्रबन्धक

श्री के. सी. राउत
महाप्रबन्धक

श्री विक्रम सहगल
महाप्रबन्धक

लेखा परीक्षक
मैसर्स तिवारी ऐण्ड एसोसिएट्स

बैंकर्स
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
केनरा बैंक
भारतीय स्टेट बैंक

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदया दिल्ली की मुख्यमन्त्री शीला दीक्षित के साथ भारत की महा महिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की आगवानी करती हुईं

आई आई टी एफ के उद्घाटन समारोह में जनसमूह को सम्बोधित करती हुईं श्रीमती शीला दीक्षित

भारत एवं विदेशों में आई टी पी ओ के कार्यालय

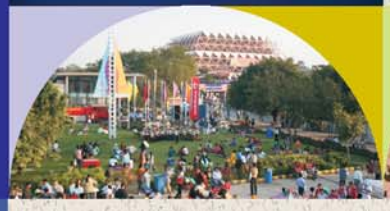

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

टेकमार्ट का दृश्य

आई आई टी एफ के समापन समारोह में बैण्ड वादन

भारत एवं विदेशों में आई टी पी ओ के कार्यालय

पंजीकृत मुख्यालय

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001
फोन : 91-11-23371540 (ईपीएबीएक्स), फैक्स : 91-11-23371492/93
ई–मेल : info@itpo-online.com, itpo@vsnl.com, वेबसाइट : www.indiatradefair.com
ट्रेड पोर्टल : www.tradeportalofindia.com

क्षेत्रीय कार्यालय

बंगलौर
24-ए, इम्पीरियल कोर्ट,
33/1, कनिंघम रोड,
बंगलौर - 560052
फोन : 91-80-22268867, 22268969
फैक्स : 91-80-22258662
ई–मेल : itpo@blr.vsnl.net.in

चेन्नई
राजा, अन्नामलाई बिल्डिंग, द्वितीय तल,
72, रुक्मणी लक्ष्मीपति रोड,
एग्मोर,
चेन्नई - 600008
फोन : 91-44-28554655, 28415416
फैक्स : 91-44-28554740
ई–मेल : itpochn@md4.vsnl.net.in

कोलकाता
इन्टरनेशनल ट्रेड फेसिलिटेशन सेन्टर
पांचवां तल, 1/1, वुड स्ट्रीट
कोलकाता - 700016
फोन : 91-33-22825820, 22822904, 22828586
फैक्स : 91-33-22828269
ई–मेल : itpocal@cal3.vsnl.net.in

मुम्बई
7, कूपरेज रोड, तृतीय तल,
झांसी कैसल, मुम्बई - 400039
फोन : 91-22-22026629, 22021788, 22044918, 22850878
फैक्स : 91-22-22044922
ई–मेल : itpomum1@mantraonline.com

वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर–1,
ग्यारहवां तल, कफे परेड,
मुम्बई - 400005
फोन : 91-22-22184135, 22183734, 22185263
फैक्स : 91-22-22184125
ई–मेल : itpo_bombay@mtnl.net.in
(31-12-2009 को खाली कर दिया है।)

विदेश कार्यालय

ब्राजील
अल्मेडा सन्तोस,
705-10वां तल, कोन्ज. 107/108,
साओ पोलो, ब्राजील – 01419-001
फोन : 00-55- 11-32845925, 32848095
फैक्स :00-55-11-32668196
ई–मेल : itpo@indiatrade.org.br
वेबसाइट : www.indiatrade.org.br

जर्मनी
"इण्डिया हाउस",
फ्रीडरिच एबर्ट एन्लाज - 26, डी-60325,
फ्रैंकफर्ट/मेन, (जर्मनी)
फोन : 00-49-69-553773, 15300533
फैक्स : 00-49-69-554230
ई–मेल : itpo@itpofrankfurt.com
वेबसाइट : www.itpofrankfurt.com

जापान
33, मोरी बिल्डिंग, आठवां तल,
3-8-21, तोरानोमान, मिनाटो–कु,
टोकियो-105-0001 (जापान)
फोन : 00-81-3-34365060, 34365063
फैक्स : 00-81-3-34315659
ई–मेल : info@itpotyo.org
वेबसाइट : www.itpotyo.org

रूस
प्रथम मंजिल, 38, लोमोनोसोव्स्की प्रोस्पेक्ट,
मास्को - 119330 (रूस)
फोन : 00-74-99-1476215
फैक्स : 00-74-99-1471403
ई–मेल : itpomos@caravan.ru
वेबसाइट : www.itpomos.ru
(31-12-2009 को बन्द हो गया है।)

संयुक्त राज्य अमेरिका
60 ईस्ट, 42वीं स्ट्रीट,
सूट 824, लिंकन बिल्डिंग,
न्यूयार्क, एन वाई - 10165 (यू एस ए)
फोन : 001-212-3705262/63
फैक्स : 001-212-3705250
ई–मेल : itpony@gmail.com
(31-03-2010 को बन्द हो गया है।)

टेक्स–स्टाइल्स इण्डिया में स्थापित स्टाल

इण्डिया फर्निशिंग का सिंहावलोकन

अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य

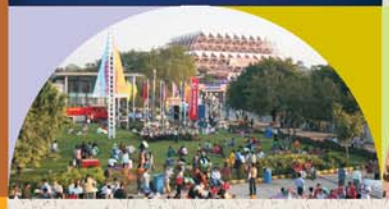

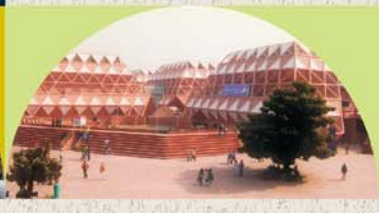

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

33वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का वक्तव्य

देवियो और सज्जनो,

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन की 33वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। पिछले वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान आई टी पी ओ और उसकी सहायक कम्पनियों के वित्तीय परिणामों, वास्तविक उपलब्धियों और मानवीय निष्पत्तियों को प्रस्तुत करने से पहले मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर इस बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर मैं अपने पारस्परिक सम्बन्धों को फिर से और सुदृढ़ बनाना चाहता हूं।

निदेशकों ने वित्त वर्ष 2009–10 के लिए अपना प्रतिवेदन एवं परीक्षित लेखे तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी हैं। ये सभी आपको पहले ही परिचालित किये जा चुके हैं। आपकी अनुमति से मैं इन्हें पढ़ा हुआ मान लेता हूं।

आई.टी.पी.ओ. की प्रगति का विहंगावलोकन

भले ही अत्यन्त उग्र विश्वव्यापी वित्तीय संकट एवं तदुपरान्त आर्थिक मन्दी ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को बहुत अधिक प्रभावित किया हो, फिर भी मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आई टी पी ओ को 31 मार्च, 2010 तक के कार्य संचालन से गत वित्त वर्ष 2008–09 के 85.64 करोड़ रु. और उससे पूर्ववर्ती वित्त वर्ष 2007–08 के 68.59 करोड़ रू. के मुकाबले 77.57 करोड़ रू. का अधिशेष प्राप्त हुआ। पिछले दो वित्तीय वर्षों – 2007–08 और 2008–09 की तुलना में क्रमशः 13.09 प्रतिशत वृद्धि और 9.42 प्रतिशत गिरावट है। कुल आय 2007–08 के दौरान 169.77 करोड़ रु. और 2008–09 के दौरान 220.69 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2009–10 के दौरान 238.72 करोड़ रु. हुई। इस वर्ष कम्पनी ने पट्टे तथा अन्य प्रभारों के लिए भूमि तथा विकास कार्यालय को 22.24 करोड़ रु. का भुगतान किया।

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अनुसार पंजीकृत है। इसीलिए कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार कोई भी लाभांश देय नहीं है। 77.57 करोड़ रू. की व्यय से अधिक आय की राशि इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु उपयोग के लिए आरक्षित एवं अधिशेष खाते में डाली गयी है।

2009–10 के दौरान कार्य–निष्पादन

वर्ष 2009–10 के दौरान विश्व भर में भारतीय व्यापार को बढ़ाने के अपने लक्ष्य को देखते हुए आई टी पी ओ ने दो एकल भारतीय प्रदर्शनियों, एक गेस्ट ऑफ ऑनर भागीदारी और 2 लघु भारतीय प्रदर्शनियों सहित कुल 29 व्यापार मेलों में भागीदारी का आयोजन किया। इन 29 मेलों में से 8 मेले/प्रदर्शनियों यूरोप में, 7 अफ्रीका एवं मध्य–पूर्वी क्षेत्र में, 2 लातिन अमेरिका में, 6 दक्षिण–पूर्व एशिया एवं सुदूर पूर्व में, 3 संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक सार्क क्षेत्र में तथा 2 सी आई एस क्षेत्र में आयोजित किये गये थे। इन मेलों में 9 सामान्य मेले थे तथा 15 विशेषीकृत मेले और अल्माटी, सेन्ट पीटर्सवर्ग, थेस्सोलोनिकी और ओसाका में आयोजित 5 एकल भारतीय प्रदर्शनियां/ गेस्ट ऑफ ऑनर भागीदारी/लघु भारत प्रदर्शनियां थी।

इस वर्ष विदेशों में आयोजित कुछ प्रमुख मेले समर फैन्सी फूड शो, न्यूयार्क (यू एस ए); सार्क व्यापार मेला, थिम्पू (भूटान); इण्डिया गारमेन्ट शो और इण्डिया होम फर्निशिंग शो, ओसाका (जापान); थेस्सालोनिकी अन्तरराष्ट्रीय मेला (ग्रीस), अनूगा खाद्य पदार्थ मेला, कोलोन (जर्मनी), आपेक्स, लास वेगास (यू एस ए), अफ–लार्तिजियानो अन्तरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, मिलान (इटली), काहिरा अन्तरराष्ट्रीय मेला (मिस्र), एशिया प्रशान्त चमड़ा मेला (हांग कांग), प्रैक्टिकल वर्ल्ड (कोलोन) तथा अल्माटी (कजाखस्तान) व सेन्ट पीटर्सवर्ग (रूस) में आयोजित दो एकल भारतीय प्रदर्शनियां थीं।

वर्ष 2009–10 के दौरान आई टी पी ओ ने भारत में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय दोनों स्तरों के कुल 16 मेलों का आयोजन किया। इनमें से 11 मेले दिल्ली में, एक–एक मेले मुम्बई, सिलीगुड़ी और कोलकाता में तथा दो मेले चेन्नई में आयोजित किये गये। तीन विशेषीकृत चमड़ा मेलों, टेक्सस्टाइल्स इण्डिया, अन्तरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ मेला – आहार, आरोग्य, दिल्ली पुस्तक मेला, और स्टेशनरी मेले में उद्योग और व्यापार जगत से भरपूर सहयोग मिला और भागीदारी हुई। आई टी पी ओ ने इनर्जीटेक और इन्वायरोटेक नामक प्रदर्शनी – युगल की दूसरी कड़ी का आयोजन किया।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

आई टी पी ओ का प्रमुख वार्षिक मेला – 14 से 27 नवम्बर 2009 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेले की 29वीं कड़ी का सफलतापूर्वक आयोजन किया। मेले की थीम 'सेवाओं का निर्यात' थी। मेले में चीन, साझेदार देश तथा थाइलैण्ड फोकस देश था। दिल्ली 'साझेदार राज्य' तथा उत्तराखण्ड 'फोकस राज्य' था। 929 विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों सहित कुल 5,846 व्यापार प्रतिनिधिमण्डल यह मेला देखने आये। आई आई टी एफ 2009 के दौरान की गयी नई पहलें मेले को 'हरित एवं पर्यावरणानुकूल मेला' एवं प्रगति मैदान को 'धूम्रपान रहित क्षेत्र' घोषित करना थी। अलग से फूड प्लाजा बनाये गये थे जहां पर राज्यों के क्षेत्रीय व्यंजन सुलभ थे। मेले को व्यापारोन्मुख बनाने के लिए इसके पहले पांच दिन – 14 से 18 नवम्बर केवल व्यापारी दर्शकों के लिए ही आरक्षित रखे गये थे। मेले की अन्य एक प्रमुख विशेषता इसरो के सहयोग से आई टी पी ओ द्वारा लगायी गयी 'भारत की अन्तरिक्ष यात्रा' नामक प्रदर्शनी थी जिसमें अन्तरिक्ष युग में भारत द्वारा की गयी उल्लेखनीय उपलब्धियों पर विशेष प्रकाश डाला गया था।

वर्ष के दौरान आई टी पी ओ ने हांगकांग, मलेशिया, चीन और थाइलैण्ड से आये 20 विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों/क्रेताओं के दौरों का समन्वयन किया तथा विविध उत्पादों व सेवाओं का व्यापार करने वाले भारतीय निर्माताओं/निर्यातकों के साथ उनकी व्यक्तिगत अलग–अलग बैठकों का आयोजन किया।

विशेषीकृत और सामान्य व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों को आयोजित करने के लिए व्यापार और उद्योग–जगत को प्रगति मैदान स्थित प्रदर्शनी हाल, सम्मेलन सुविधाएं उपलब्ध करायी गईं। उद्योग संघों, केन्द्रीय मन्त्रालयों, निर्यात संवर्धन संगठनों और अन्य मेला आयोजकों द्वारा प्रगति मैदान में ऑटो एक्स्पो, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, डिफेक्स्पो आदि जैसे प्रतिष्ठित मेलों सहित 85 मेले आयोजित किये गये।

एक्स्पो 2010, शंघाई

एक नोडल एजेन्सी के रूप में आई टी पी ओ ने एक्स्पो 2010, शंघाई में भारत मण्डप का निर्माण किया। इस सम्पूर्ण मेले की थीम– 'बेहतर शहर – बेहतर जीवन' के अनुरूप भारत मण्डप का थीम 'समरसता पूर्ण शहर' है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल होते हुए आधुनिक भारत की सैर कराता भारत मण्डप भारत की सुसमृद्ध विरासत, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता, पारम्परिक व आधुनिक प्रौद्योगिकीय विकास तथा शहरी – ग्रामीण पार्थक्य की झांकी प्रस्तुत करता है। भारत मण्डप में प्राचीनकाल व आधुनिक युग की स्टेट आफ दि आर्ट प्रौद्योगिकियों के उदाहरण साथ–साथ प्रस्तुत किये गये हैं। इस मेले में भारत मण्डप को 'विनर आफ पीपल्स च्वाइस पेविलियन' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

राजभाषा हिन्दी

दिन–प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने हेतु अगस्त 2009 के दौरान हिन्दी नोटिंग–ड्राफ्टिंग, हिन्दी अनुवाद, हिन्दी कविता पाठ और हिन्दी निबन्ध लेखन – चार प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले प्रतियोगियों को नगद पुरस्कार दिये गये।

अनुषंगी कम्पनियां

आई टी पी ओ ने चेन्नई और बंगलौर में दो क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र स्थापित किए हैं जो क्रमशः आई टी पी ओ और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लि. एवं कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के साथ संयुक्त उद्यम हैं। इन परिसरों में विद्यमान सुविधाएं पूर्णतः वातानुकूलित हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान चेन्नई व्यापार केन्द्र में 93 व्यापार मेले एवं कन्वेन्शन सेन्टर में 90 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनसे लीज रेन्ट के लिए 900 लाख रू. के प्रावधान करने के बाद 43 लाख रू. का अधिशेष प्राप्त हुआ। वर्ष 2009–10 तक बंगलौर केन्द्र में 9 कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनसे 4.52 करोड़ रू. का अधिशेष प्राप्त हुआ।

समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्य–निष्पादन का स्तर

मुझे वास्तव में यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आई टी पी ओ और वाणिज्य विभाग के मध्य सम्पन्न वर्ष 2009–10 के समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्य–निष्पादन के परीक्षित परिणामों के आधार पर किये गये मूल्यांकन में आई टी पी ओ को **'बहुत अच्छा'** कार्य निष्पादन ग्रेड मिला है।

आई टी पी ओ सदस्यता अथवा समझौता ज्ञापन जैसे सहयोग–परक उपायों के द्वारा व्यापारिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र के अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ नेटवर्किंग कर रहा है। आई टी पी ओ एशियन ट्रेड प्रमोशन फोरम (ए टी पी एफ) का सदस्य है तथा इसकी वार्षिक बैठकों में नियमित रूप से भाग लेता है। ए टी पी एफ की 21–25 अप्रैल 2009 के दौरान क्सिमेन (चीन) में आयोजित बैठक में आई टी पी ओ के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने भाग लिया था।

मानव संसाधन

वर्ष 2009–10 के दौरान 29 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया और 196 कर्मचारियों को सुनिश्चित आजीविका प्रगति (ए सी पी) योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन दिया गया। आई टी पी ओ

ने आरक्षण सम्बन्धी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया है। अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की देखभाल के लिए आई टी पी ओ में सम्पर्क अधिकारी नाम – निर्देशित किये गये हैं और प्रत्येक विभागीय पदोन्नति/चयन समिति की बैठकों में इन श्रेणियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के हितों की देखभाल करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उपयुक्त स्तर के अधिकारियों को लिया जाता है। आई टी पी ओ ने विकलांग व्यक्तियों हेतु पदों/सेवाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का अनुपालन किया।

कल्याण योजना के अन्तर्गत उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सभी पात्र कर्मचारियों को वर्ष 2008–09 के लिए 31.3.2009 को विद्यमान एक महीने के मूल वेतन + डी ए की राशि के बराबर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया। मानव संसाधन विकास के लिए कर्मचारियों के लिए संविदा प्रबन्धन, वित्तीय मामले, रिकार्ड का रख–रखाव एवं अग्नि शमन आदि विषयों में इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए। इनमें कुल मिलाकर 220 कर्मचारियों को उक्त विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण दिया गया।

कार्पोरेट प्रशासन

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन अपनी गतिविधियों के सभी पक्षों में पारदर्शिता, जवाबदेही और बराबरी को सर्वाधिक महत्त्व देता है तथा उसमें विश्वास रखता है। आई टी पी ओ कार्पोरेट प्रशासन के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी नवीनतम दिशा–निर्देशों का अनुपालन पूरा करने के प्रयास कर रहा है।

इस वर्ष भी भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने पुनः उत्तम लेखा और प्रकटन कार्यों में इस कम्पनी की वचनबद्धता की पुष्टि करते हुए इसे 'शून्य' टिप्पणी दी है।

आभार

मैं आई टी पी ओ के सभी सदस्यों द्वारा दिये गये निरन्तर सहयोग एवं समर्थन तथा प्रबन्धन में व्यक्त किये विश्वास के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। हमें विश्वास है कि उनके इस सहयोग और विश्वास से आई टी पी ओ भविष्य में नयी उपलब्धियां प्राप्त करेगा।

ह./-
(डा. सुवास पाणि)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 नवम्बर, 2010

वार्षिक आम बैठक की सूचना

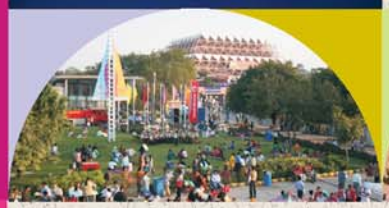

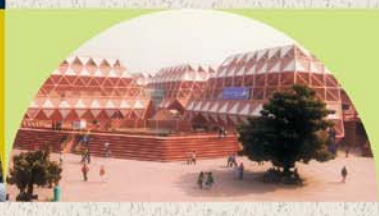

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

भारतीय प्रदर्शनी, अल्माटी

दिल्ली पुस्तक मेले में उपस्थित पुस्तक प्रेमी

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जा रही है कि इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन की 33वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्यवाही पूरी करने के लिए इसके पंजीकृत कार्यालय, प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली–110 001 में मंगलवार, 30 नवम्बर, 2010 को दोपहर–पूर्व 11.30 बजे होगी।

साधारण कार्यवाही

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन–पत्र और कम्पनी के आय तथा व्यय लेखाओं तथा उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा निदेशकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना।

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

ह./–
(ए. के. खन्ना)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 अक्तूबर, 2010

नोट 1 : जिस सदस्य को बैठक में उपस्थित होने और मत देने का अधिकार है वह उपस्थित होने और मत देने के लिए स्वयं न आ कर किसी दूसरे व्यक्ति को भी परोक्षी (प्राक्सी) नियुक्त कर सकता है और इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी संबंधी दस्तावेज बैठक के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घण्टे पहले पंजीकृत कार्यालय में जमा करा दिए जाने चाहिए।

वर्ल्ड एक्स्पो, शंघाई में भारतीय मण्डप का दृश्य

निदेशकों की रिपोर्ट

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

निदेशकों की रिपोर्ट

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (कम्पनी) का निदेशक मण्डल इस संगठन की 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्त वर्ष की 33वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं परीक्षित लेखा सहर्ष प्रस्तुत कर रहा है।

1. वित्तीय विशेषताएं

2009–10 के दौरान इस आर्गनाइजेशन को कार्य निष्पादन के फलस्वरूप 77.57 करोड़ रुपये का अधिशेष प्राप्त हुआ जबकि पिछले वर्ष यह 85.64 करोड़ रुपये था। सकल आय पिछले वर्ष के दौरान 220.69 करोड़ रुपये की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान 238.72 करोड़ रुपये हुई। कुल व्यय वर्ष 2008–09 के 135.05 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2009–10 में 161.15 करोड़ रुपये हुआ।

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत है, इसीलिए कोई लाभांश घोषित नहीं करती है। अतः 77.57 करोड़ रुपये की व्यय से अधिक आय अपने पास रख ली गयी है और आरक्षित निधि तथा अधिशेष खाते में डाल दी गयी है।

2. निदेशक मण्डल

डा. सुवास पाणि ने 7 अगस्त, 2009 से आई टी पी ओ के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार संभाला और इस पद पर आगे बने रहेंगे। श्री राजीव यादव ने 17 जनवरी, 2010 को आई.टी.पी.ओ. के कार्यकारी निदेशक का कार्यभार छोड़ दिया। श्री नीरज कुमार गुप्ता ने 16 फरवरी, 2010 को आई.टी.पी.ओ. के कार्यकारी निदेशक का कार्यभार संभाला और वह आई.टी.पी.ओ. बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक हैं। बोर्ड के अन्य निदेशक इस प्रकार हैं :–

भारतीय प्रदर्शनी, सेन्ट पीटर्सबर्ग

क्र. सं.	निदेशक का नाम	से	तक
1	डा. सुतानु बेहुरिया विशेष सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	01.06.2007	जारी
2	श्री पी. के. दास संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली	26.10.2005	जारी
3	श्री प्रवीर कुमार संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली	21.10.2007	जारी
4	सुश्री रीनत सन्धू संयुक्त सचिव, (आई टी पी) विदेश मंत्रालय नई दिल्ली	01.06.2009	जारी

3. समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)

वर्ष 2010–11 के लिये समझौता ज्ञापन पर, जो अपनी कड़ी में 19वां ज्ञापन है, कम्पनी और वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के वाणिज्य विभाग के बीच 12 मार्च, 2010 को हस्ताक्षर किये गये थे। इस समझौता ज्ञापन में अन्तर्निविष्ट प्रमुख कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मानदण्ड निम्न प्रकार हैं : प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले मेलों के लिए यातायात प्रबन्धन और पार्किंग स्थलों के बारे में अध्ययन, प्रगति मैदान में ईको उत्पादों सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रीय मेला, लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों और बोर्ड की स्वीकृति के अनुसार कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय, प्रिन्ट पैक इण्डिया, 2010 की नियम पुस्तिका और फ्लैश फेयर गाइड तैयार करना, प्रगति मैदान में विस्फोटक का पता लगाने वाले यन्त्रों को लगाना और सी.सी.टी.वी. नेटवर्क के माध्यम से सुरक्षा प्रणाली का उन्नयन करना और निश्चित कार्यवाही बिन्दुओं के साथ कूटनीतिक योजना को तैयार करना और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना। विचार गोष्ठियाँ आयोजित करने, क्रेता प्रतिनिधिमण्डलों के दौरों में तालमेल बैठाना और राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए अन्तरराष्ट्रीय मीडिया केन्द्र के लिए 30 सितम्बर, 2010 से पहले हाल नं. 7 डी–एच; 8–11, 12–12ए 14 और 18 के वातानुकूल संयन्त्रों की क्षमता में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है।

आई.टी.पी.ओ. की सतत वित्तीय सुदृढ़ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2010–11 के लिए सकल लाभ और कुल बिक्री के लिए क्रमशः 85 करोड़ रुपये और 190 करोड़ रू. के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

4. विदेशों में आयोजित मेले

वर्ष 2009–10 के दौरान आई.टी.पी.ओ. ने 2 एकल भारतीय प्रदर्शनियों (अल्माटी एवं सैन्ट पीटर्सबर्ग), एक आतिथ्य भागीदारी (थेसालोनिकी, यूनान) और दो लघु भारतीय प्रदर्शनियों (ओसाका, जापान) सहित 29 विदेशी व्यापार मेलों में भागीदारी आयोजित की थी। इन 29 मेलों में से 8 मेले यूरोप में आयोजित किये गये। 7 मेले अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में, 2 मेले लेटिन अमेरिका में, सुदूर पूर्व के देशों सहित दक्षिण एशिया में 6 मेले, संयुक्त राज्य अमेरिका में 3, सार्क क्षेत्र और सी.आई.एस. क्षेत्र में 2 मेले आयोजित किये गये। इन 29 मेलों में से 9 सामान्य मेले, 15 विशेष मेले और 5 एकल भारतीय प्रदर्शनियाँ/आतिथ्य भागीदारी/लघु भारतीय प्रदर्शनियां थीं।

प्रमुख मेलों में ग्रीष्मकालीन फैन्सी फूड शो (न्यूयार्क), सार्क व्यापार मेला (थिम्पू), इण्डिया गारमेन्ट शो और इण्डिया होम फर्निशिंग शो (ओसाका), थेस्सालोनिकी अन्तरराष्ट्रीय मेला (यूनान), अनूगा फूड फेयर (कोलोन), आपेक्स (लास वेगास), ए.एफ.एल. आर्टीजियानो इन्टरनेशनल हेण्डीक्राफ्ट्स फेयर (मिलान), कैरो इन्टरनेशनल फेयर (मिस्र), एशिया पैसिफिक लैदर फेयर (हांगकांग), प्रेक्टीकल वर्ल्ड (कोलोन) और अल्माटी (कज़ाकिस्तान) तथा सेन्ट पीटर्सबर्ग (रूस) में दो एकल भारतीय प्रदर्शनियाँ शामिल हैं। इस वर्ष आई.टी.पी.ओ. ने चार वस्तु विशेष बी–2–बी मेलों – नेशनल हार्डवेयर शो, लास वेगास, आपेक्स शो, लास वेगास, इन्टरनेशनल हार्डवेयर शो, कोलोन और फूडेक्स, टोक्यो शामिल हैं।

5. विपणन विकास सहायता प्रकोष्ठ

वाणिज्य विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय) ने ऐसे निर्यातकों को, जो अन्य निर्यात संवर्धन परिषदों आदि के भी सदस्य हैं और आई टी पी ओ द्वारा आयोजित की जाने वाली उन विभिन्न प्रदर्शनियों/मेलों में भाग ले रहे हैं, जो बाजार विपणन सहायता योजना के अन्तर्गत प्रदर्शनी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत हैं, विपणन विकास सहायता अनुदान के भुगतान के लिए 1 दिसम्बर 2007 से कम्पनी को अनुदान प्रदाता संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की है।

तदनुसार विदेशी मेला प्रभाग के एक अंग के रूप में एम.डी.ए. स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए आई.टी.पी.ओ. में एम.डी.ए. प्रकोष्ठ का सृजन किया गया है। वर्ष 2007–08 और 2008–09 के लिए कुल 15 मेलों को स्वीकृति प्रदान की गई और वाणिज्य विभाग की ओर से आई टी पी ओ ने निर्यातकों को 56.04 लाख रु. वितरित किये।

वर्ष 2009–10 के लिए, एम.डी.ए. सहायता के लिए प्रदर्शनी सलाहकार समिति द्वारा कुल 5 मेलों को स्वीकृति प्रदान की गई। तदनुसार इन मेलों के पात्र निर्यातक भागीदारों से दावे प्राप्त हुए हैं। वाणिज्य विभाग से फण्ड प्राप्त होने के बाद अनुदान जारी करने के लिए इन दावों की जाँच की जा रही है।

वर्ष 2010–11 के लिए एम.डी.ए. योजना के अन्तर्गत कुल 6 मेलों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. भारत में मेले

भारत में आई टी पी ओ द्वारा आयोजित मेलों में लघु उद्योगों और बड़े

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

उद्योगों, व्यापार और उद्योग–जगत के निर्माताओं व निर्यातकों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किये। वर्ष 2009–10 के दौरान कुल मिलाकर 16 मेले आयोजित किये गये जिनमें से 11 मेले दिल्ली में और 5 मेले क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किये गये थे। उक्त वर्ष के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित मेलों में विशाल आई आई टी एफ, अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, दिल्ली पुस्तक मेला, स्टेशनरी मेला, अन्तरराष्ट्रीय आरोग्य मेला, इनर्जीटेक एवं इन्वायरोटेक, नक्षत्र, सुरक्षा प्रदर्शनी, टेक्स स्टाइल्स इण्डिया और आहार अन्तरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ मेला शामिल थे। क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित मेलों में मैरीटाइम एक्स्पो, मुम्बई, पूर्वी हिमालय प्रदर्शनी, सिलीगुड़ी, आहार, चेन्नई तथा कोलकाता व चेन्नई में दो विशेषीकृत चमड़ा मेले वर्ष 2009–10 के दौरान आयोजित किये गये थे। तीसरी पूर्वी हिमालयन एक्स्पो 9–15 जून 2009 के दौरान पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के माटीगारा स्थित परिवहन नगर में आयोजित की गयी थी। यह एक्स्पो सामान्य रूप में व्यापार के नये अवसर तलाशने हेतु एकल मंच प्रदान करने के लिए विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्तर्निहित व्यापक निर्यात क्षमता को प्रदर्शित करने हेतु आई टी पी ओ का एक अद्वितीय सघन एवं फोकस प्रयास है। मेले का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के नगर निगम कार्य एवं शहर विकास प्रभारी मंत्री श्री अशोक भट्टाचार्य ने किया था। मेला वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ, उत्तर बंगाल (फोसिन) के सहयोग से आयोजित किया गया था। मेले में थाइलैण्ड साझेदार देश था। इस मेले में कुल मिलाकर 130 इकाइयों/संगठनों ने भाग लिया था।

15वां दिल्ली पुस्तक मेला और 11वां स्टेशनरी मेला भारतीय प्रकाशक संघ के सहयोग से 29 अगस्त–6 सितम्बर 2009 तक आयोजित किये गये थे। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्पोरेट और अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमन्त्री श्री सलमान खुर्शीद ने किया। चीन, जापान, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 विदेशी कम्पनियों सहित 274 कम्पनियों ने इस मेले में भाग लिया। दिल्ली पुस्तक मेले की थीम "पूर्वोत्तर का साहित्य" थी और मेले के दौरान 30 सेमिनार भी आयोजित किये गये।

आहार – अन्तरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ मेला 2000 वर्गमीटर क्षेत्र में 27–29 अगस्त 2009 के दौरान चेन्नई में आयोजित किया गया था जिसमें 84 कम्पनियों ने भाग लिया। मेले का उद्घाटन खाद्य पदार्थ मन्त्री श्री ई. वी. वेलू ने किया। अन्तरराष्ट्रीय स्टाल "स्पेन का जैतून बोर्ड" मेले का प्रमुख आकर्षण था जहां जैतून के गुणों का जीवन्त प्रदर्शन किया गया था। इससे मेले को और अधिक प्रचार मिला। प्रमुख होटल श्रृंखला के मालिकों और दक्षिण भारत के छोटे शहरों के दर्शकों ने भी यह मेला देखा।

प्रगति मैदान में 18–21 सितम्बर, 2009 के दौरान अन्तरराष्ट्रीय आरोग्य मेला आयोजित किया गया। इसका प्रमुख आकर्षण योग और मिश्रित संगीत कार्यक्रम था। मेले में मुख्यतः आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध, जड़ी–बूटियां, औषधीय पौधें, स्वास्थ्य पर्यटन, स्वास्थ्य फिटनेस सिस्टम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा बीमा के आदि के बारे में प्रदर्शनी लगायी गयी थी।

14–27 नवम्बर 2009 के दौरान प्रगति मैदान में 29वां भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला लगाया गया। इस मेले का उद्घाटन भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किया था। मेले की थीम 'सेवाओं का निर्यात' थी तथा साझेदार देश थाइलैण्ड व फोकस देश चीन थे। साझेदार राज्य दिल्ली व फोकस राज्य उत्तराखण्ड थे।

वर्ल्ड एक्स्पो, शंघाई में ओडिशी नृत्य की प्रस्तुति

वार्षिक रिपोर्ट 2009-2010

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

आई आई टी एफ 2009 के दौरान की गयी नयी पहल 'हरित एवं पर्यावरणानुकूल मेला' तथा प्रगति मैदान को 'धूम्रपान प्रतिबन्धित क्षेत्र' घोषित करना थी। मेले में अलग से फूड प्लाजा भी बनाये गये थे जिसमें अलग–अलग राज्यों के क्षेत्रीय व्यंजन सुलभ थे। यहां पर 'दिल्ली का खाना' प्रमुख आकर्षण केन्द्र था। मेले को व्यापार केन्द्रित पुट देने हेतु इसके पहले पांच दिन 14–18 नवम्बर 2009 केवल व्यापारी दर्शकों के लिए आरक्षित रखे गये थे।

इस मेले की एक प्रमुख विशेषता इसरो के सहयोग से आई टी पी ओ द्वारा 'भारत की अन्तरिक्ष यात्रा' नाम से लगायी गयी प्रदर्शनी थी जिसमें अन्तरिक्ष युग में भारत के प्रवेश की उपलब्धियां चित्रित की गयी थीं। कुल मिला कर 5,846 व्यापार प्रतिनिधिमण्डल यह मेला देखने आये जिनमें से 929 प्रतिनिधिमण्डल विदेशी थे।

आई टी पी ओ ने फ्यूचर प्वाइन्ट, नई दिल्ली के सहयोग से 1 से 7 फरवरी 2010 तक प्रगति मैदान के हाल नं. 15 में कुल 837 वर्ग मीटर क्षेत्र पर 5वें नक्षत्र मेले का आयोजन किया जिसमें 94 कम्पनियों ने भाग लिया। इसमें मुख्यतः ज्योतिष शास्त्रीय कंम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं अन्य उपकरण, वैदिक विज्ञान, आध्यात्मिक एवं ज्योतिष शास्त्रीय नैदानिक वस्तुओं सम्बन्धी पुस्तक–पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं, रत्न, वास्तु एवं फेंगसुई आदि को प्रदर्शित किया गया था। इस मेले के दौरान 5 सेमिनारों का भी आयोजन किया गया।

10 से 14 मार्च 2010 के दौरान आई टी पी ओ ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली के हाल 1–6, 11 एवं खुले क्षेत्र में बनाये गये हैंगर (वातानुकूलित) में 'फूड इण्डिया' और 'हास्पिटलिटी इण्डिया' नामक दो खण्डों में अन्तरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ मेला – आहार की 25वीं कड़ी का आयोजन किया। यह मेला पहले की तरह खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा अन्य सहयोगी संगठनों के सहयोग से आयोजित किया गया। मेले की इस रजत जयन्ती कड़ी का उद्घाटन खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री श्री सुबोध कान्त सहाय ने किया। 25,000 वर्ग मीटर से भी अधिक क्षेत्रफल पर फैली इस प्रदर्शनी में कुल 460 कम्पनियों ने भाग लिया था जिनमें 13 देशों की 25 विदेशी कम्पनियां भी शामिल थी। इस मेले की मुख्य विशेषताएं ये थीं – (क) इण्डियन क्युलिनरी फोरम द्वारा आयोजित व्यावसायिक पाक विद्या प्रवीणता प्रतियोगिता (ख) अखिल भारतीय खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण संघ द्वारा 'खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण उद्योगों का त्वरित एवं समेकित विकास' विषय पर सेमिनार (ग) 'ट्रेसेबिलिटी इन फूड' विषय पर अपेडा द्वारा आयोजित थीम। व्यापारी दर्शकों की संख्या 11,263 थी जिनमें 271 विदेशी थे। मेले के अन्तिम दिन पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया जिसमें स्टालों एवं उत्पादों के उत्तम प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिये गये।

आई टी पी ओ ने पहली बार एम वी आई आर डी सी वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर तथा अखिल भारतीय उद्योग संघ के सहयोग से मुम्बई में 10 से 12 अप्रैल 2009 तक भारतीय अन्तरराष्ट्रीय मेरीटाइम और लाजिस्टिक्स प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें पत्तन, टर्मिनल, शिपिंग लाइनें, जलपोत निर्माण, जलपोत मरम्मत, अन्तर्देशीय जल परिवहन सिस्टम, अपतटीय खुदाई, कार्गो हैण्डलिंग, कण्टेनर फ्रेट स्टेशन, लाजिस्टिक्स आदि को प्रदर्शित किया गया था। तीन दिन के इस बी–2–बी मेले में 25,000 से भी अधिक व्यापारी दर्शक पधारे। मेले के दौरान मै. भण्डारकर शिपिंग इवेण्ट्स ने 8 सेमिनारों का आयोजन किया। मेले का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ–साथ पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ जिसमें प्रमुख उद्योगपतियों को **'समुद्र मन्थन पुरस्कार'** दिये गये। मेले का उद्घाटन नौवहन एवं परिवहन मन्त्रालय में सचिव श्री ए. पी.वी. एन. शर्मा ने किया तथा राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के अध्यक्ष श्री पी. वी.के. मोहन गेस्ट ऑफ आनर थे। नौवहन उद्योग के प्रमुख उद्योगपति तथा अधिकारीगण इस मेले में पधारे। मेला कुल 2,500 वर्ग मीटर क्षेत्र पर फैला था जिसमें प्रमुख 42 कम्पनियों ने भाग लिया।

देश के अन्दर आयोजित व्यापार मेलों के माध्यम से भारत की झांकी प्रस्तुत करने हेतु आई टी पी ओ ने 24 से 27 फरवरी 2010 तक नई दिल्ली में पूर्णतः भारतीय वस्त्र उद्योग/उत्पादों पर केन्द्रित टेक्स स्टाइल्स इण्डिया मेले की 16वीं कड़ी का आयोजन किया जिसमें कुल मिलाकर 11,000 वर्गमीटर क्षेत्र पर 165 कम्पनियों ने विविध घरेलू साज सज्जा एवं फेब्रिक्स का प्रदर्शन किया। 86 देशों के 730 विदेशी क्रेता इस मेले में पधारे। भारत से कपड़ा उत्पादों की सोर्सिंग करने के लिए सं. रा. अमेरिका, जापान, यू के, फ्रांस, जर्मनी, इटली, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मध्यपूर्वी देशों, एशियाई देशों तथा लैटिन अमेरिकी देशों के क्रेताओं ने यह मेला देखा। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी के बावजूद भी इस मेले से लगभग 156 करोड़ रु. का व्यापार हुआ।

विश्व तापन एवं पर्यावरण के प्रभावों और ऊर्जा की मांग को ध्यान में रखते हुए आई टी पी ओ ने 11 से 14 दिसम्बर, 2009 तक इन्वायरोटेक 2009 और इनर्जीटेक 2009 नामक प्रदर्शनी युग्म की दूसरी कड़ी का आयोजन किया। इन प्रदर्शनियों में टी ई आर आई, इनर्जी इफिसिएंसी ब्यूरो, एम एन आर ई, बी एम टी पी सी, सी ई एल आदि सहित 50 संगठनों ने भाग लिया। मेले में जापान साझेदार देश था तथा इस भागीदारी का आयोजन जेट्रो ने किया था। जापान मण्डप में वहां की नेडो, ओकाय, हितैची, जोसन, कवासाकी आदि कम्पनियों ने भाग लिया था। चार दिवसीय इस मेले में लगभग 2000 दर्शक आये जिनमें से लगभग 1600 व्यापारी थे। 46 विदेशी दर्शक भी इस मेले को देखने आये।

7. चमड़ा मेला एकक

आई टी पी ओ ने वर्ष 2009–10 के दौरान तीन चमड़ा मेले – दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (डी आई एल एफ), भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आई आई एल एफ) चेन्नई और अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा सामान मेला (आई.एल.जी.एफ.), कोलकाता आयोजित किए और दो विदेशी मेलों – ऑल चाइना लैदर एक्जीविशन (ए सी एल ई), शंघाई और एशिया पेसेफिक लैदर फेयर (ए पी एल एफ) हांगकांग में भागीदारी की। इन मेलों ने भारत से चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों के निर्यात के लिए महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान किया।

17वें दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, 23–25 अक्टूबर 2009 में 102

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

प्रदर्शकों ने भाग लिया जिनमें चार देशों चीन, इटली, ताइवान और थाइलैण्ड के सात विदेशी प्रदर्शक शामिल थे। मेले में परिष्कृत चमड़ा वस्तुओं पर बल दिया गया था। मेले ने विशेष रूप से दिल्ली स्थित उद्योग और पड़ोसी राज्यों के उद्योगों को अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श मंच उपलब्ध किया। आईटीपीओ और केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान द्वारा 'इमेजिनेशन' नाम से एक थीम पेवेलियन स्थापित किया गया था जिसमें अगले सत्र के लिए भावी प्रवृत्तियों, रंगों और शैलियों को दर्शाया गया था। इसके अलावा उद्योगों के लिए रूचिकर विषयों पर विचार गोष्ठियाँ आयोजित की गयीं तथा नवीनतम उत्पादों को प्रस्तुत करते हुए फैशन शो आयोजित किए गये। डीआईएलएफ 2009 ने भारी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया। 1750 से अधिक व्यापारी दर्शकों और क्रेताओं ने मेले का अवलोकन किया।

25वां भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला 31 जनवरी से 3 फरवरी 2010 तक चेन्नई में आयोजित किया गया था। चमड़ा उद्योग से संबंधित सभी उत्पाद और सेवाएं मेले में प्रदर्शित की गई थीं। यह मेला 8393.5 वर्ग मीटर से अधिक निवल क्षेत्र में फैला हुआ था। मेले में 25 देशों के 173 विदेशी प्रदर्शकों सहित 435 कम्पनियों ने भाग लिया था। विदेशी भागीदारी भी काफी संख्या में प्राप्त हुई जिसमें चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और थाइलैण्ड से ग्रुप भागीदारी की गई और बांग्लादेश, मिस्र, एस्टोनिया, इरान, केन्या, मलेशिया, नेपाल, न्यूजीलैण्ड, पोलैण्ड, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, ताइवान, नीदरलैण्ड, टर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यू.के. और यू.एस.ए. से कम्पनी स्तर की भागीदारी की गई। वैश्विक आर्थिक मन्दी को ध्यान में रखते हुए आई.आई.एल.एफ. ने अपनी अग्रणी स्थिति बनाई रखी और चमड़ा तथा चमड़े से संबंधित सामान के मामले में क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों को एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान किया। "भारतीय चमड़ा उद्योग का विकास – भविष्य की ओर बढ़ते कदम" नाम से थीम पेविलियन सी एल आर आई, सी एल ई और आईटीपीओ द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। मेले के दौरान सामयिक विषयों के महत्त्व पर अनेक विचार गोष्ठियां भी आयोजित की गई। भागीदारों के अनुसार मेले के दौरान 479 मिलियन रुपये मूल्य का व्यापार हुआ।

आईटीपीओ द्वारा 19 से 21 फरवरी 2010 के दौरान कोलकाता में 15वां अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा सामान मेला आयोजित किया गया था जिससे पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों में स्थित चमड़ा सामान निर्माताओं के लिए एक मंच उपलब्ध हो सके। मेला 1025 वर्गमीटर के निवल क्षेत्र में फैला हुआ था और इसमें 69 भागीदारों ने भाग लिया। चमड़ा सामान, चमड़ा निर्माण करने वाली मशीनों और परिष्करण करने वाले रसायनों सहित सभी प्रकार के उत्पादों की श्रृंखला मेले में दर्शायी गयी थी। 3,000 दर्शकों ने इस मेले का अवलोकन किया जिनमें 36 विदेशी दर्शक थे।

इनके अलावा, आईटीपीओ ने 2 से 4 सितम्बर, 2009 के दौरान शंघाई में आयोजित ऑल चाइना लैदर एक्जीविशन (ए.सी.एल.ई.) और 29 मार्च से 31 मार्च 2010 तक हांगकांग में आयोजित एशिया फैसिफिक लेदर फेयर (ए पी एल एफ) में चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के भारतीय निर्यातकों की भागीदारी भी आयोजित की।

8. क्रेता–विक्रेता बैठकें/एकल भारतीय प्रदर्शनियाँ

वर्ष के दौरान दो एकल भारतीय वस्तु मेले – "बीसवां इण्डिया होम फर्निशिंग मेला" और "तीसवां इण्डिया गारमेन्ट मेला" जापान में आयोजित किये गये थे। होम फर्निशिंग और वस्त्रों के मेले पिछले अनेक वर्षों से प्रति वर्ष आयोजित किये जा रहे हैं और अपनी अच्छी साख स्थापित कर चुके हैं तथा इन उत्पादों से आय प्राप्त करने के बड़े साधन बन चुके हैं। वर्ष 2009 में फर्निशिंग और वस्त्रों के लिए साथ–साथ मेलों का

भारतीय प्रदर्शनी, सेन्ट पीटर्सबर्ग में भारतीय मण्डप का दृश्य

आयोजन करने से क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए भी एक ही स्थान पर व्यापार करने के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध हुए। इन दोनों मेलों से कुल मिलाकर 17.74 मिलियन अमरीकी डालर का व्यापार हुआ और प्रमुख डिपार्टमेन्टल स्टोरों, थोक विक्रेताओं, आयातकों, व्यापार गृहों आदि के 1783 खरीददारों ने इनका अवलोकन किया।

एक्स्पो 2010, शंघाई

एक्स्पो शृंखला के अन्तिम मेले के रूप में, अगला एक्स्पो 1 मई से 31 अक्तूबर, 2010 के दौरान शंघाई में आयोजित किया जाना है। इस विशाल मेले में भारत मंडप स्थापित करने के लिए आई.टी.पी.ओ. नोडल एजेन्सी है। एक्स्पो की समग्र थीम "बेहतर नगर – बेहतर जीवन" के अनुरूप, भारत मण्डप की थीम "सौहार्दपूर्ण नगर" है। जोन 'ए' में स्थित और 4,000 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला हुआ भारत मण्डप भारत सरकार के बजटीय समर्थन से भारतीय संस्कृति, विरासत, विविधता, पिछले अनेक वर्षों के दौरान हुई परम्परागत और आधुनिक वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक विकास सम्बन्धी गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा।

भारत की "विविधता में एकता" केन्द्रीय गुम्बद के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी, जो साँची के स्तूप से प्रेरित है और प्राचीन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा (2000 वर्ष से 3000 वर्ष ई.पू.) के समय से लेकर मध्य युग होते हुए आधुनिक भारत के समय तक भारतीय नगरों की विकास यात्रा को प्रदर्शित करता है। कम ऊर्जा और सामग्री की रिसाइकिलिंग को उपयोग में लाकर कला सामग्री को उपयोग करके मण्डप की डिजाइन बनाने और उसका निर्माण करने के लिए समुचित ध्यान दिया जा रहा है। मण्डप में ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण के अनुरूप विचार धारा को सौर पैनलों, पवन चक्की, जड़ी बूटियों, बांस आदि का उपयोग करके प्रदर्शित किया जा रहा है।

शॉपिंग आर्केड में विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। फूड प्लाजा में स्थित भारतीय रेस्टोरेन्ट में भारत–भर के परम्परागत स्वादिष्ट व्यंजनों की शृंखला उपलब्ध होगी। मण्डप में एक वास्तविक भारतीय वातावरण सृजित करने के लिए देश के विभिन्न भागों से आए सांस्कृतिक समूह एक्स्पो की छः महीने की अवधि तक अपने–अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इन सांस्कृतिक समूहों को भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के सहयोग से अन्तिम रूप दिया जायेगा। हमारा राष्ट्रीय दिवस समारोह 18 अगस्त, 2010 को आयोजित किया जायेगा। एक्स्पो की अवधि के दौरान फिक्की/सी आई आई/एसोचैम के सहयोग से वहाँ कुछ व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल भेजने और विचार गोष्ठियाँ आयोजित करने की भी योजना है। विचार धारा और डिजाइन के अनुसार भारत मण्डप के निर्माण का कार्य पूरे जोर–शोर से चल रहा है और भारतीय मण्डप को अप्रैल, 2010 के अन्त तक खोले जाने की योजना है।

9. अन्य मेले

प्रगति मैदान में विशेषीकृत एवं सामान्य व्यापार मेले/प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए प्रदर्शनी हाल एवं सम्मेलन सुविधाएं व्यापार एवं उद्योग–जगत के लिए उपलब्ध की जाती रहीं। उद्योग संघों, केन्द्रीय मन्त्रालयों, निर्यात संवर्धन संगठनों और निजी मेला आयोजकों द्वारा वर्ष 2009–10 के दौरान 85 मेले आयोजित किये गये। इन मेलों में ऑटो एक्स्पो, नई दिल्ली, विश्व पुस्तक मेला, डिफेक्स्पो आदि जैसे विशाल मेले शामिल हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान प्रगति मैदान में 55 मेले/प्रदर्शनियां आयोजित करने की योजना है।

व्यापार प्रतिनिधिमंडल

आई.टी.पी.ओ ने व्यापार संवर्धन के लिए जापान, हांगकांग, मलेशिया, चीन और थाइलैण्ड के 20 प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं की मेजबानी की तथा उनकी यात्राओं के दौरान प्रमुख भारतीय कम्पनियों के साथ विविध उत्पादों और सेवाओं के बारे में उनकी व्यापारिक बैठकें आयोजित की।

आई.टी.पी.ओ. उन निर्यातोन्मुख इकाइयों के डाटाबेस रखता है जो उसके नियमित सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं और उन्हें सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराता है। उन्हें विदेश कार्यालयों से प्राप्त सीधी व्यापार संबंधी पूछताछ, बाजार संबंधी सूचना, उत्पाद विकास, आयातकों संबंधित जानकारी, यहाँ आने वाले प्रतिनिधिमंडलों की बैठकें आयोजित करना, विकास कार्यक्रमों में भागीदारी आदि जैसी सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराता है और क्रेताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पाद विकास और अडाप्टेशन करने में उनकी सहायता करता है। इस वर्ष आईटीपीओ के विदेश कार्यालयों/विदेश स्थित भारतीय मिशनों से प्राप्त 102 व्यापारिक पूछताछों का भारतीय कम्पनियों में प्रसार किया गया ताकि वे अपने विदेशी प्रतिपक्षियों के साथ व्यापार अवसरों की संभावनाओं का पता लगा सकें।

निर्यात सम्भावनापरक विचार गोष्ठियाँ

आई.आई.टी.एफ. 2009 के दौरान साझेदार राज्य/फोकस राज्य/राज्य सरकारों/संगठनों के सहयोग से दस विचार गोष्ठियाँ आयोजित की गईं। आई.आई.टी.एफ., 2009 की थीम को ध्यान में रखते हुए आई.टी.पी.ओ. ने सेवा निर्यात संवर्धन परिषद् के सहयोग से 'सेवाओं के निर्यात' के बारे में एक विचार गोष्ठी आयोजित की थी। आई.आई.टी.एफ, 2009 के दौरान ही आई.टी.पी.ओ. ने आर.आई.एस. (विकासशील देशों के लिए अनुसन्धान एवं सूचना प्रणाली) के सहयोग से "भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता : व्यापार अवसर" पर एक अन्य विचार गोष्ठी भी आयोजित की थी। इसके अलावा, इन्वायरो टैक/इनर्जीटैक, 2009 के दौरान ऊर्जा खपत/दक्षता एवं पर्यावरण प्रबन्धन विषयों पर तीन विचार गोष्ठियाँ आयोजित की गई थीं।

अन्य व्यापार संवर्धन संगठनों के साथ सहयोग

आई.टी.पी.ओ. सदस्यता अथवा समझौता ज्ञापन जैसे सहयोगात्मक करारों के माध्यम से व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में कार्यरत अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ नेटवर्किंग कर रहा है। आई.टी.पी.ओ. एशिया व्यापार संवर्धन फोरम का संस्थापक सदस्य है और इसकी वार्षिक बैठकों में नियमित रूप से भाग लेता है। ए.टी.पी.एफ. की 21–25 अप्रैल, 2009 के दौरान झियामेन (चीन) में हुई बैठक में आईटीपीओ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने भाग लिया था।

भारतीय औद्योगिक डिजाइन का विश्व स्तर पर संवर्धन करने के लिए आई.टी.पी.ओ. और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एन. आई. डी.) के बीच एक समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत प्रगति मैदान में एक शो–केस डिज़ाइन

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

केन्द्र स्थापित किया गया है। इस समय भारत के कुछ श्रेष्ठ नवीनतम डिजाइनों को प्रदर्शित किया गया है, जिन्हें निरंतर अद्यतन बनाया जाता है। यहां एक पारस्परिक विचार–विमर्श स्थल भी है जहां विभिन्न उद्योगों में डिज़ाइनों के प्रयोगों के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है।

10. व्यापार सूचना सम्बन्धी कार्यकलाप

आई.टी.पी.ओ. के प्रगति मैदान, नई दिल्ली स्थित व्यापार सूचना केन्द्र (हाल नं. 19) में एक पुस्तकालय और इलेक्ट्रोनिक पुस्तकालय है जिसमें व्यापार संवर्धन हेतु, जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक आते हैं। पुस्तकालय को नवीनतम सूचना से अद्यतन बनाये रखने के लिए आई.टी.पी.ओ. व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर व्यापार और उद्योग की रूचि वाले प्रकाशन और पत्रिकायें बहुत बड़ी संख्या में मंगाता है। वर्ष 2009–10 के दौरान 2400 पत्रिकाओं, निर्देशिकाओं सहित 171 प्रकाशन और 51 सी डी रोम इस केन्द्र में जोड़े गये।

आई.टी.पी.ओ. व्यापार एवं उद्योग–जगत के लिये नियमित रूप से "इण्डियन एक्सपोर्ट बुलेटिन" (आई.ई.बी.) नामक साप्ताहिक प्रकाशन भी प्रकाशित कर रहा है जिसमें विदेशों की बाजार सम्बन्धी जानकारी, व्यापारिक अवसर, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट, व्यापार मेले और प्रदर्शनी, राष्ट्रीय तथा विदेशी टेण्डर सूचनायें और आई.टी.पी.ओ. के क्रियाकलाप शामिल होते हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान इण्डियन एक्सपोर्ट बुलेटिन (आई.ई.बी.) के 52 अंक प्रकाशित किये गये और व्यापार एवं उद्योग जगत को तत्काल मुहैया कराने के लिए आई.टी.पी.ओ. की वेबसाइट (www.tradeportalofindia.org) पर उपलब्ध कराये गये हैं।

इस केन्द्र की कोम्पास डाटा बेस से 82 देशों के बारे में आन लाइन पहुँच है। कोम्पास में देश द्वारा खोजे जा सकने वाली 18 लाख कम्पनियों और निर्माताओं/आयातकों/ निर्यातकों/एजेंटों द्वारा वर्गीकृत उत्पाद का डाटा बेस उपलब्ध है।

आई.टी.पी.ओ. एक ट्रेड पोर्टल–(www.tradeportalofindia.com) का संचालन कर रहा है जिसमें देश का विवरण, उत्पाद विवरण, व्यापारिक आंकड़े, बाजार प्रवृत्तियां, व्यापार निर्देशिका (जिसमें आयातकों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं आदि के पते दिए गए हैं) सहित व्यापार संबंधी सभी सूचनाएं दी गई हैं। इस ट्रेड पोर्टल का उद्देश्य देश और विदेशों के व्यापारी समुदाय को विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराना है। ट्रेड पोर्टल के अंतर्गत 12 जी. बी. जानकारी है, जिसके अंतर्गत 54 देशों और 28 उत्पाद समूहों को शामिल किया गया है जिनसे भारत का 85 प्रतिशत व्यापार होता है। उपर्युक्त के अलावा, पोर्टल में 52000 से भी अधिक विदेशी आयातकों, 15000 भारतीय निर्माताओं/निर्यातकों/ आपूर्तिकर्ताओं और आई.टी.पी.ओ. के 1100 सदस्यों का भी डाटाबेस शामिल है। ट्रेड पोर्टल को विभिन्न व्यापार संगठनों के साथ भी सम्बद्ध किया गया है। उद्योग एवं व्यापार–जगत इस पोर्टल का काफी मात्रा में उपयोग करते हैं।

www.tradeportalofindia.com के अलावा, आई.टी.पी.ओ. भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ और भारत टी.आई.डी. कार्यक्रम की सहायता से विकसित एक अन्य पोर्टल www.tradeportalofindia.org भी संचालित कर रहा है। पोर्टल में यूरोपीय संघ क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में अर्थव्यवस्था और व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर व्यापक जानकारी उपलब्ध है। इस समय इस पोर्टल में यूरोपीय संघ के 27 देशों सहित 100 से अधिक देशों के बारे में जानकारी उपलब्ध है।

वर्ल्ड एक्स्पो, शंघाई का एक दृश्य

परामर्शी परियोजनाएं

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (एन.पी.सी.) नई दिल्ली ने आई.टी.पी.ओ. के सहयोग से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ईको प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल फेयर (ई.पी.आई.एफ.) आयोजित करने हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए आई.टी.पी.ओ. को एक परामर्शी परियोजना सौंपी थी। प्रारूप रिपोर्ट तैयार की गई और एन.पी.सी. को भेजी गई। डी.पी.आर. के बारे में प्रस्तुतीकरण किया गया। अन्तिम रिपोर्ट में एन.पी.सी. द्वारा दिये गये सुझावों को शामिल करके वह एन. पी.सी. को प्रस्तुत की गई। व्यापक परियोजना रिपोर्ट में एशिया में पर्यावरण अनुकूल मेले का आकलन, ई.पी.आई.एफ. आयोजित करने के लिए पूर्वाभ्यास, ई.पी.आई.एफ. की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों की निगरानी, अनुमानित बजट, राजस्व प्राप्ति और आई.टी.पी.ओ. तथा एन.पी.सी. के बीच समझौता ज्ञापन के ब्यौरे शामिल हैं।

11. सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रगति मैदान में आठ खुले थियेटर एवं एक वातानुकूलित थियेटर है। आई आई टी एफ के दौरान इन खुले एवं ढके थियेटरों में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

प्रगति मैदान स्थित वातानुकूलित थियेटर – शाकुन्तलम् में पूरे वर्ष भर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे, दोपहर बाद 3 बजे और शाम 6 बजे तीन शो में हिन्दी फीचर फिल्में दिखाई गईं। इनमें से अनेक फिल्में भारत में इनके प्रीमियर रिलीज के रूप में दिखाई गई। उपग्रह के माध्यम से फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए मार्च 2008 से शाकुन्तलम् थियेटर में एक डिजिटल सिनेमा सिस्टम (यू.एफ.ओ.) स्थापित किया गया है।

प्रसिद्ध कलाकारों/कलाकार–समूहों द्वारा आई.आई.टी.एफ. 2009 (14 से 27 नवम्बर) के दौरान प्रगति मैदान स्थित विभिन्न थियेटरों में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में शामिल थे – शाकुन्तलम् में शास्त्रीय नृत्य, गायन एवं वाद्य संगीत, फलकनुमा थियेटर में कव्वाली, गीत और गज़लें; ग्राम झांकी के एम्फी थियेटर में विभिन्न राज्यों के लोकगीत एवं लोक नृत्य; शृंगार थियेटर में संगीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं फूड कोर्ट में कठपुतली शो; ऐतिहासिक चौक में नुक्कड़ नाटक। इवेन्ट आयोजकों द्वारा हंसध्वनि थियेटर में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं शो आयोजित किए गए। लाल चौक थियेटर में राज्य सरकारों द्वारा प्रतिदिन दो–दो (4 बजे और शाम 6 बजे) राज्य दिवस भी मनाए गए।

पहली बार प्रगति आँगन (खुले मैदान में एक नया सांस्कृतिक मंच) नामक एक नया खुला थियेटर स्थापित किया गया जिसमें 19 नवम्बर से 27 नवम्बर, 2009 तक देश के विभिन्न भागों के लोकगीत एवं नृत्य, गीत और गज़ल, बैले और शहनाई आदि के कार्यक्रम आयोजित किये गये।

12. वाणिज्यिक प्रचार एवं जनसम्पर्क

आई.टी.पी.ओ. ने वर्ष 2009–10 के दौरान भारत एवं विदेशों में विभिन्न आयोजनों एवं अन्य कार्यकलापों को बढ़ावा देने तथा उनमें भागीदारी हेतु प्रचार करने के लिए प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, आउटडोर एवं इण्टरनेट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार अभियान चलाया। यह प्रचार अभियान प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापनों और सप्लीमेन्टों तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया, आउटडोर मीडिया आदि में विज्ञापनों के अलावा ब्रोशरों, इन्वीटेशन मेल, पोस्टरों, मेला कैटलोगों के रूप में चलाया गया। आई टी पी ओ ने अपने मेलों एवं कार्यकलापों से सम्बन्धित सर्वोत्तम कवरेज एवं फुटेज सुनिश्चित करने के लिए मीडिया, प्रिन्ट एवं दृश्य–श्रव्य माध्यमों के साथ कारगर तरीके से सम्पर्क बनाए रखा। आई टी पी ओ के कार्यकलापों और इस संगठन की कार्पोरेट छवि निखारने हेतु व्यापार संवर्धन में इसकी भूमिका के बारे में देश–विदेश के चुनिंदा मीडिया में इसके कार्पोरेट विज्ञापन प्रकाशित किए गए।

आई टी पी ओ के विविध कार्यकलाप एवं प्रदर्शनी इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रदर्शनी कैलेण्डर में उद्दिष्ट किए गए हैं जो भारत एवं विदेशों में आई टी पी ओ के क्रमशः वर्ष 2008–11 और वर्ष 2008–10 के प्रदर्शनी कार्यक्रम में भी सूचीबद्ध हैं। यह कैलेण्डर भारत एवं विदेशों में व्यापार एवं उद्योग संघों, भारत में विदेशी मिशनों तथा विदेशों में भारतीय मिशनों तथा विभिन्न राज्यों के शीर्ष उद्योग संगठनों के संबंधित पाठकगणों को भेजा गया। 2009–12 के दौरान आई टी पी ओ द्वारा भारत में आयोजित किये जाने वाले मेलों/प्रदर्शनियों का एकल केलेण्डर भी विभिन्न लक्षित समूहों में वितरणार्थ प्रकाशित किया गया।

आई टी पी ओ के क्रियाकलापों सम्बन्धी जानकारी का भारत और विदेशों में व्यापार और उद्योग–जगत, केन्द्रीय मन्त्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, निर्यात संवर्धन परिषदों आदि के बीच प्रसार करने के लिए प्रभाग ने एक त्रैमासिक न्यूजलैटर 'लाग आन' (हिन्दी में 'दर्पण') का भी प्रकाशन किया। आई टी पी ओ और उसकी गतिविधियों सम्बन्धी जानकारी के प्रचार–प्रसार के लिए प्रचार विभाग ने 'आई टी पी ओ : लेवरेजिंग इण्डियन बिजनेस ग्लोबली' (आई टी पी ओ : भारतीय व्यापार के भूमण्डलीकरण में अग्रणी) नामक कारपोरेट पुस्तिका भी प्रकाशित की।

13. कम्प्यूटरीकरण

सूचना के आदान–प्रदान एवं दैनिक आधार पर तैयार डाटा के केन्द्रीकृत भण्डारण हेतु आई टी पी ओ में सभी विभागों को एक व्यापक नेटवर्क से जोड़ा गया है।

एक कार्पोरेट वेबसाइट www.indiatradefair.com आई टी पी ओ के विभिन्न विभागों की गतिविधियों के बारे में कार्पोरेट जानकारी उपलब्ध कराती है। इसमें अत्यधिक सम्पर्क के साथ थर्ड पार्टी मेलों और देश व विदेशों में आयोजित किये जाने वाले मेलों के बारे में जानकारी शामिल होती है। सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार ग्राहकों और आम जनता के लाभ हेतु कार्पोरेट वेबसाइट पर सूचना के अधिकार सम्बन्धी अधिनियम से सम्बन्धित सूचनाएं और टेण्डर नोटिसों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है।

ई–गवर्नेन्स परियोजना का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। दूसरा चरण अगले वित्तीय वर्ष (2010–11) में पूरा होगा।

एक कम्प्यूटरीकृत फाइल ट्रेकिंग सिस्टम आई टी पी ओ में लागू किया जा चुका है, जो बहुत ही सफल रहा है।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

आई टी पी ओ ने अपने महत्त्वपूर्ण मेलों के लिए एक वर्चुअल ट्रेड फेयर (वी.टी.एफ.) बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है ऑन लाइन व्यापार मेला वास्तविक व्यापार मेले का पूरक बन सके, क्योंकि यह मेले के बारे में जागरूकता फैलाता है, प्रदर्शकों और क्रेताओं/प्रतिनिधियों के लिए नेटवर्किंग अवसरों में वृद्धि करता है, मेले से पहले और मेले के बाद उनके सन्दर्भ हेतु क्रेताओं को व्यापक जानकारी उपलब्ध कराता है और इसीलिए मेले को दर्शकों के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रासंगिक बनाता है।

वेबसाइटें : कारपोरेट वेबसाइट के अलावा, आई.टी.पी.ओ. भारत और विदेशों में आयोजित किये जाने वाले अपने मेलों और प्रदर्शनियों के बारे में वेबसाइटें भी संचालित करता है जिनमें उस मेले के बारे में सामान्य सूचना, आवेदन पत्र, ग्राहकों से फीड बैक प्राप्त करने का फार्म और विभिन्न मेलों के लिए दर्शकों का ऑन लाइन पंजीकरण होता है।

टच स्क्रीन क्योस्क : व्यापारी दर्शकों और सामान्य दर्शकों, दोनों ही के फायदे के लिए आई टी पी ओ अपने प्रमुख मेलों के दौरान प्रगति मैदान में विभिन्न स्थानों पर टच स्क्रीन क्योस्क स्थापित करता है, जिसमें सम्बन्धित मेले की जानकारी के अलावा प्रदर्शित उत्पादों, विभिन्न स्टालों की स्थिति और उस मेले में दर्शकों को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी होती है।

दर्शक पंजीकरण/व्यापार केन्द्र : आई.टी.पी.ओ. अपने मेलों में विभिन्न उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापारी दर्शकों के बारे में डाटा बेस बनाने की दृष्टि से, भारत में अपने द्वारा आयोजित किये जाने वाले सभी मेलों के दौरान व्यापारी दर्शकों का मौके पर ही पंजीकरण करने की व्यवस्था करता है। व्यापारी दर्शकों के लाभ के लिए भी आई टी पी ओ सभी प्रमुख मेलों में व्यापार केन्द्रों/साइबर कैफे की व्यवस्था करता है जिनमें इन्टरनेट कनेक्शन, ई–मेल, फोटो कापियर, कम्प्यूटरों इत्यादि की सुविधाएं होती हैं।

14. प्रशासन और मानव संसाधन विकास

वर्ष 2009–10 के दौरान 29 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया और 196 कर्मचारियों को सुनिश्चित आजीविका प्रगति (एसीपी) योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन किया गया।

आई टी पी ओ द्वारा आरक्षण संबंधी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया गया। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। प्रत्येक विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की बैठक में इन वर्गों के उम्मीदवारों के हितों पर ध्यान देने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उचित स्तर के अधिकारी को सहयोजित किया जाता है। अशक्त (समान अवसर अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार अशक्त व्यक्तियों को पदों/सेवाओं के आरक्षण देने सम्बन्धी प्रावधानों का भी पालन किया गया।

कल्याण कार्य की दृष्टि से, सभी पात्र कर्मचारियों को वर्ष 2008–09 के लिए कार्य–निष्पादन संबद्ध वेतन (पी.आर.पी.) – 31 मार्च, 2009 को एक महीने का मूल वेतन + महँगाई भत्ते की राशि के बराबर विशेष ब्याज मुक्त अग्रिम का भुगतान किया गया था।

मानव संसाधन विकास हेतु कर्मचारियों के लिए ठेका प्रबन्धन, वित्तीय मामलों, रिकार्ड प्रबन्धन और अग्निशमन आदि विषयों पर आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे। कुल मिलाकर 220 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

15. स्थापत्य सेवाएं

अन्य एजेन्सियों/आयोजकों द्वारा आयोजित मेलों के नक्शों के लिए स्थापत्य सेवाएं प्रदान की गई। अपने आयोजनों को बेहतर और सुरक्षित बनाने हेतु विभिन्न मेला आयोजकों और भागीदारों का मार्गदर्शन करने के लिए स्थापत्य तथा इंजीनियरी कन्ट्रोल तैयार किए गये।

आई टी पी ओ ने विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को भी स्थापत्य संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं जो मंडपों का डिजाइन बनाने, विभिन्न क्षेत्रीय प्रदर्शनी केन्द्रों हेतु स्थल का चयन करने, मांग के अनुसार संकल्पनात्मक डिजाइन तथा डिजाइन–ड्राइंग तैयार करने से संबंधित थीं।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली स्थित प्रदर्शनी केन्द्र

भारत की राजधानी – नई दिल्ली के मध्य में 120 एकड़ क्षेत्रफल में फैले प्रगति मैदान के 16 हालों में लगभग 61,290 वर्ग मीटर आच्छादित प्रदर्शनी क्षेत्र सुलभ है और इसके अलावा 10,000 वर्ग मीटर खुला प्रदर्शनी क्षेत्र भी है। 24,000 वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्र में वातानुकूलित हाल नं. 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12 ए हैं जिनमें हाल सं. 7 और 8 में क्रमशः लाउन्ज (200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले सम्मेलन हाल) की सुविधायें भी शामिल हैं और 37,290 वर्ग मीटर क्षेत्र में गैर–वातानुकूलित हाल हैं जिनमें हाल सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16 और 18 आते हैं।

निम्नलिखित ढांचागत विकास कार्य करने के प्रस्ताव हैं :–

(i) हाल सं. 18 के 12185 वर्ग मीटर क्षेत्र में वातानुकूलन व्यवस्था करना।

(ii) हाल सं. 14 के 5650 वर्ग मीटर क्षेत्र में वातानुकूलन व्यवस्था करना।

(iii) गेट सं. 10 और उसके आस–पास के क्षेत्र का पुनर्विकास करना जिससे मेट्रो रेल से प्रगति मैदान आने वाले दर्शकों को सुविधा हो।

(iv) विभिन्न हालों में बिजली की खपत का आकलन करने के लिए इनर्जी मीटर लगाना।

(v) गेट नं. 7 के निकट विद्युत सब–स्टेशन सं. 5 की क्षमता में वृद्धि करना।

(vi) पथ प्रकाश (स्ट्रीट लाइट) के लिए बिजली की कम खपत करने वाली फिटिंग लगाना।

(vii) गेट नं. 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8 को नया रूप देना।

16. क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्र (आर.टी.पी.सी.एस)

I. चेन्नई व्यापार केन्द्र

चेन्नई में एक महत्त्वपूर्ण स्थल – नन्दमबक्कम में 25.48 एकड़

क्षेत्रफल में स्थित इस केन्द्र में क्रमशः 4600 वर्ग मीटर, 4410 वर्ग मीटर और 1760 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के तीन वातानुकूलित हाल और एक कन्वेन्शन सेन्टर है।

II. बंगलौर व्यापार केन्द्र

व्हाइटफील्ड, बंगलौर में प्रमुख स्थान पर स्थित यह व्यापार केन्द्र 50 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें 5371 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक वातानुकूलित हाल है और 11 खुले क्षेत्र वाले स्थल हैं जिनमें प्रत्येक में 38 वर्गमीटर जगह है।

17. राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

आई टी पी ओ ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति का सही ढंग से कार्यान्वयन जारी रखा। भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न मामलों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास किए गए।

सरकारी कार्य में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2009 के दौरान हिन्दी टिप्पण एवं मसौदा लेखन, हिन्दी अनुवाद, हिन्दी निबन्ध लेखन, हिन्दी कविता पाठ और हिन्दी टंकण प्रतियोगितायें आयोजित की गई। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किये गये। इसके अलावा प्रत्येक भागीदार को प्रोत्साहन स्वरूप प्रसिद्ध लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द के चार हिन्दी उपन्यासों का एक–एक सैट दिया गया।

नियमित हिन्दी मासिक **उद्योग व्यापार पत्रिका** के अलावा आई आई टी एफ 2009 की व्यापारी सन्दर्शिका (फेयर गाइड), बैक ग्राउण्डर (संक्षिप्त जानकारी), प्रगति मैदान में आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रदर्शनियों के मोबिलाइजेशन फोल्डर, वार्षिक रिपोर्ट 2008–09, मेलों का तीन वर्ष का केलैण्डर – 2009–10, 2010–11 और 2011–12, आई टी पी ओ और वाणिज्य विभाग के बीच समझौता ज्ञापन भी हिन्दी में प्रकाशित किये गये। आन्तरिक पत्रिका 'दर्पण' ('लॉग आन' का हिन्दी' संस्करण) प्रकाशित किया जाता रहा।

आई टी पी ओ का दिन प्रतिदिन का फाइल कार्य हिन्दी में करने को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना पहले से ही लागू है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शत–प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए छः कर्मचारियों को प्रत्येक को 5000 रू. की नकद राशि दी गई, अन्य तीन कर्मचारियों में से प्रत्येक कर्मचारी को 1000 रु. और एक कर्मचारी को 800 रु0 की नकद राशि दी गई। दिल्ली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) द्वारा आयोजित हिन्दी प्रतियोगिताओं में आई टी पी ओ के कर्मचारी भाग लेते हैं जिनमें से इस वर्ष एक कर्मचारी को हिन्दी क्विज़ प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार मिला।

राजभाषा विभाग के एक प्रतिनिधि ने 25.5.2009 को आई टी पी ओ मुख्यालय का निरीक्षण किया और आई टी पी ओ में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की। संसदीय राजभाषा समिति को दिये गये आश्वासन पूरे करने हेतु अपेक्षित अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

18. सतर्कता

2009–10 की अवधि के दौरान सतर्कता विभाग ने 24 शिकायतें/मामले दर्ज कीं जिनका विधिवत् रिकार्ड रखा गया और जांच की गयी। 2009–10 के दौरान एक मामले में बड़ी पेनल्टी और तीन मामलों में मामूली पेनल्टी लगाई गई। आई टी पी ओ के मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में निवारक जांच भी की गयी।

सतर्कता विभाग ने 2009–10 के दौरान आई टी पी ओ द्वारा आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों में निवारक जांच की।

आई टी पी ओ में नवम्बर 2009 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

सी वी ओ/डीओसी/डीओपीटी द्वारा जारी विभिन्न दिशा–निर्देश/अनुदेश समय–समय पर संबंधित सभी व्यक्तियों के अनुपालन हेतु परिचालित किये गये।

19. अनुषंगी कंपनियां

आई टी पी ओ की अपनी दो सहायक कम्पनियों – तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन में 51–51 प्रतिशत इक्विटी है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 212 के अन्तर्गत इन सहायक कम्पनियों का अपेक्षित विवरण अनुबंध – 1 में दिया गया है तथा वह इस रिपोर्ट का भाग है।

20. लेखापरीक्षक

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स किशोर ऐण्ड किशोर, चार्टरित लेखाकार, नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2010–11 के लिए आई टी पी ओ का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

21. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में बोर्ड की टिप्पणियों के बारे में कुछ शर्तें/टिप्पणियां दी गई हैं। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उठाये गये बिन्दुओं में से प्रत्येक बिन्दुओं के बारे में बोर्ड के उत्तर संलग्न अनुबन्ध–II में दिये गये हैं जो इस रिपोर्ट का अंग है।

31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आपकी कम्पनी के वार्षिक लेखे के बारे में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां अनुबन्ध–III में दी गई हैं जो इस रिपोर्ट का भाग है।

22. कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी के जिन कर्मचारियों ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2 क) के साथ पठित कम्पनी (कर्मचारी विवरण) नियमावली 1975 के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त किया है, उनका विवरण अनुबंध–IV में दिया गया है तथा जो रिपोर्ट का अंग है।

23. कार्पोरेट गवर्नेंस

आई टी पी ओ ने कार्पोरेट गवर्नेंस के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा मई 2010 में जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन शुरू कर दिया है। आई टी पी ओ के निदेशक मण्डल का पुनर्गठन कर दिया गया है। बाद में ऑडिट कमेटी का भी पुनर्गठन किया जायेगा तथा एक मानदेय कमेटी का गठन किया जायेगा। कार्पोरेट गवर्नेंस के बारे में इस रिपोर्ट की अंगभूत अनुसूची–V में दी गयी है। अनुपालन के बारे में तिमाही प्रगति रिपोर्ट वाणिज्य विभाग/सार्वजनिक उद्यम विभाग को नियमित रूप से भेजी जा रही है।

24. सचिवीय अनुपालन प्रमाणपत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 383–क के उपबंधों के अनुसार मैसर्स निसार ऐंड ऐसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज, नई दिल्ली के श्री निसार अहमद द्वारा जारी किया गया अनुपालन प्रमाण–पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। अनुलग्नक–VI में दी गयी रिपोर्ट स्वतः स्पष्ट है तथा इस सम्बन्ध में आगे और कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

25. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाना, विदेशी मुद्रार्जन एवं निर्गम

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अपनाना आई टी पी ओ पर लागू नहीं होता है। कम्पनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में ब्यौरों का प्रकटन) नियमावली 1988 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (ङ) के उपबंधों के अनुसार विदेशी मुद्रार्जन एवं निर्गमन संबंधी जानकारी नीचे दी गई है तथा इस रिपोर्ट का हिस्सा है –

	मद	2008-09	2009-10
1.	अर्जित विदेशी मुद्रा	11,78,63,696 रु.	12,85,66,924 रु.
2.	उपयोग की गयी विदेशी मुद्रा	20,87,26,565 रु.	23,41,87,883 रु.

26. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क क) में यथा अनुबंधित "निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण" का समर्थन करते हैं तथा निम्नलिखित मामलों की पुष्टि करते हैं :–

i) वार्षिक लेखे तैयार करने में वास्तविक प्रत्यन्तरों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित लागू गणना मानकों को अपनाया गया है।

ii) निदेशकों ने गणना की ऐसी नीतियां चुनी है और उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया है तथा ऐसे आकलन किये हैं जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं और इस कम्पनी के बारे में वित्त वर्ष और उसी अवधि में कम्पनी के व्यय से अधिक आय का सही तथा उचित दृश्य पेश करते हैं।

iii) निदेशकों ने कम्पनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा गबन एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त गणना रिकार्ड रखने की सही एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।

iv) निदेशकों ने प्रचलित आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

आभार

हम निरंतर मार्गदर्शन और सहायता के लिए केन्द्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों, विशेषतः वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के आभारी हैं। निदेशक मण्डल राज्य सरकारों, सार्वजनिक उद्यमों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और अन्य एजेंसियों तथा व्यक्तियों के प्रति भी आई टी पी ओ के लिए दिये गये उनके तत्पर सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। निदेशक मण्डल भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लोक उद्यम विभाग और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रति आभारी हैं जिनका बहुमूल्य सहयोग हमें प्राप्त हुआ।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./-
(डा. सुवास पाणि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं. 0230509

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 अक्तूबर 2010

अनुबंध-I

अनुषंगी कम्पनियों के बारे में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 212 के अनुसार ब्यौरा

अनुषंगी कम्पनी का नाम	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
1. अनुषंगी कम्पनी का वित्त वर्ष	31 मार्च, 2010 को समाप्त	31 मार्च, 2010 को समाप्त
2. (क) अनुषंगी कम्पनी की जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी	1000 रुपये की दर से 100 इक्विटी शेयर	1000 रुपये की दर से 5000 इक्विटी शेयर
(ख) अनुषंगी कम्पनी की पूंजी में आई टी पी ओ का हिस्सा	1000 रुपये की दर से 51 इक्विटी शेयर (51 प्रतिशत)	1000 रुपये की दर से 2550 इक्विटी शेयर (51 प्रतिशत)
3. अनुषंगी कम्पनी के लाभ/घाटे की निवल कुल राशि जहां तक यह आई टी पी ओ के सदस्यों से सम्बन्धित है तथा आई टी पी ओ के खाते में नहीं दिखाई गयी है –		
(क) 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्त वर्ष में	22.17 लाख रु.	(-) 27.72 लाख रु.
(ख) अनुषंगी कम्पनी के 31.3.2009 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में संचयी राशि, जब से यह आई टी पी ओ की अनुषंगी बनी	2,422.51 लाख रु. धारा 25 में पंजीकृत कम्पनी होने के कारण इसके लिए कोई भी लाभांश घोषित करना मना है।	258.07 लाख रु. धारा 25 में पंजीकृत कम्पनी होने के कारण इसके लिए कोई भी लाभांश घोषित करना मना है।
4. अनुषंगी कम्पनी के लाभ/घाटे की निवल कुल राशि जहां तक इस घाटे के लिए आई टी पी ओ के खातों में प्रावधान किये गये हों –		
(क) 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में	शून्य	शून्य
(ख) अनुषंगी कम्पनी के 31.3.2009 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में संचयी, जब से वह आई टी पी ओ की अनुषंगी बनी	शून्य	शून्य

ह./-
(ए. के. खन्ना)
वरिष्ठ महाप्रबन्धक,
वित्तीय सलाहकार
तथा कम्पनी सचिव

ह./-
(नीरज कुमार गुप्ता)
कार्यकारी निदेशक

ह./-
(डा. सुवास पाणि)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 अक्तूबर 2010

अनुबंध-II

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के सदस्यों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2010 को विद्यमान स्थिति के अनुसार इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) के संलग्न तुलन–पत्र और उसी दिन समाप्त हुए वर्ष के आय–व्यय लेखे तथा कैश–फ्लो विवरण की जांच कर ली है जिनमें मुख्यालय, 5 (पांच) विदेशी सम्पर्क कार्यालयों और 4 (चार) क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखे शामिल किये गये हैं तथा इस रिपोर्ट के संदर्भ में हमने हस्ताक्षर किये हैं। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कम्पनी प्रबन्धन की है। हमारी जिम्मेदारी, हमारे द्वारा की गयी लेखा–परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय जाहिर करने की है।

हमने यह लेखा–परीक्षा सामान्य तौर से भारत में स्वीकृत लेखा–परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखा–परीक्षा की योजना एवं उस पर कार्यान्वयन इस प्रकार करें कि वित्तीय व्यौरे मेटीरियल मिसस्टेटमैन्ट से मुक्त हों, इस बारे में उपयुक्त आश्वासन मिल सके। लेखा–परीक्षा की प्रक्रिया में परीक्षा आधार पर राशियों की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों का परीक्षण तथा वित्तीय विवरणों में उनका डिस्क्लोजर किया जाता है। लेखा–परीक्षा प्रक्रिया में, प्रबन्धन द्वारा तैयार किये गये महत्त्वपूर्ण लेखा प्राक्कलन तथा उसमें प्रयुक्त लेखा गणना नीतियों का आकलन भी शामिल होता है। साथ ही, इसमें सम्पूर्ण वित्तीय विवरण का भी मूल्यांकन किया जाता है। हमारी राय में हमारे द्वारा की गयी लेखा–परीक्षा हमारे उपर्युक्त विचारों के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करती है और तदनुसार हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है :–

निदेशक–मण्डल के उत्तर

1. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4क) के अनुसार कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 के द्वारा अपेक्षित जिन मामलों पर हमारी टिप्पणियां मांगी गई हैं, वे नहीं दी गई हैं, क्योंकि कम्पनी (लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 में यह निश्चित प्रावधान है कि जिन कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त है, उन पर यह लागू नहीं होना चाहिए।
2. कम्पनी के तुलन–पत्र, आय–व्यय लेखे और कैश–फ्लो विवरण लेखा बहियों और रिटर्नों से मेल खाते हैं।
3. हमारी राय में कम्पनी का आय–व्यय लेखा, तुलन–पत्र एवं कैश–फ्लो विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) में उल्लिखित अनिवार्य लेखा मानकों (ए एस) के साथ मेल खाते हैं।
4. चूंकि यह सरकारी कम्पनी है, अतः विधि, न्याय एवं कम्पनी मामले मंत्रालय के कम्पनी मामले प्रभाग द्वारा दिनांक 22.03.2002 को जारी परिपत्र संख्या 2/5/2001 – सी एल बी – सामान्य परिपत्र संख्या 8/2002 के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (छ) के अन्तर्गत निदेशकों की अनर्हता संबंधी प्रावधान इस कम्पनी पर लागू नहीं होते।

यथार्थ विवरण; कोई टिप्पणी नहीं।

5. *हम ऊपर पैराग्राफ 1 से 4 में उल्लिखित अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त रिपोर्ट करते हैं कि :–*	
5.1 *आय और व्यय की कुछ मदों को गणना के एक्रुअल आधार पर हिसाब में नहीं लिया गया है, जैसा कि अनुसूची 20 की गणना नीति सं. 1 (ख) में उल्लेख किया गया है।*	यथार्थ विवरण। लेखे की अंगभूत अनुसूची 20 की टिप्पणी सं. 1 (ख) देखें।
5.2 *कर्जदारों पर किये गये दावों/उन्हें भेजे गये बिलों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न पार्टियों को दी गई अग्रिम राशि/जमा राशि, विदेश स्थित विभिन्न दूतावासों, विदेशी बैंकों में अधिशेष के बारे में संबंधित पक्षों से अभी पुष्टि होनी बाकी है।*	लेखे की अंगभूत अनुसूची 21 की टिप्पणी संख्या 9 देखें।
5.3 अनुसूची 21 में दर्शाये गये निम्नलिखित लेखा टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :	
(क) स्थायी परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट के साथ मिलान के बारे में टिप्पणी सं. 4	यथार्थ विवरण। कोई टिप्पणी नहीं।
(ख) कर्मचारियों को कार्यनिष्पादन सम्बद्ध वेतन के बारे में टिप्पणी सं. 5	यथार्थ विवरण। कोई टिप्पणी नहीं।
(ग) विदेशी बैंकों में अधिशेष राशि की पुष्टि के बारे में टिप्पणी सं. 6 (ख)	यथार्थ विवरण। कोई टिप्पणी नहीं।
(घ) दो लाइसेंसधारकों से स्थान किराये के बारे में विवादित देय राशि से संबंधित टिप्पणी सं. 7 (क)	यथार्थ विवरण। कोई टिप्पणी नहीं।
(ङ) विवादित मनोरंजन कर के बारे में टिप्पणी सं. 10	यथार्थ विवरण। कोई टिप्पणी नहीं।
(च) प्रदर्शनी हाल में आग लगने की घटना के बारे में दावा और प्रतिदावा के बारे में टिप्पणी सं. 13	यथार्थ विवरण। कोई टिप्पणी नहीं।
5.4 कम्पनी ने निम्नलिखित सांविधिक अनुपालनों में चूक/विलम्ब किया है जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में ब्याज/पेनल्टी/ अतिरिक्त लागत की देयता बढ़ सकती है। ऐसी अतिरिक्त लागत के प्रभावों को लेखाओं में शामिल नहीं किया गया है :–	
i) ***सेवा कर :*** लेखा परीक्षा के अन्तर्गत वर्ष के लिए छमाही सेवा शुल्क विवरणियां अर्थात् 31 मार्च, 2010 को समाप्त छमाही अवधि के लिए सेवा कर विवरणियां दाखिल नहीं की गई हैं।	यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवा कर नियत तिथि तक ट्रेजरी लेखा में जमा कर दिया गया था और इसीलिए सरकारी देयताओं को चुकाने के लिए कम्पनी पर कोई भी अर्थदण्ड नहीं लगता है। परन्तु प्रशासनिक कारणों से सेवा कर विवरणी दाखिल करने में विलम्ब हुआ है। प्रक्रिया में सुधार करने के लिए प्रयास किये जायेंगे। मार्च, 2010 को समाप्त हुई छमाही के लिए सेवा कर विवरणी दाखिल करने लिए कार्यवाही की जा रही है।
ii) ***स्टाफ क्वार्टरों हेतु आबंटित भूमि***	
– भूमि के आबंटन से लेकर अब तक ग्राउण्ड किराये का भुगतान नहीं किया गया है।	भूमि किराये (ग्राउन्ड रेन्ट) का भुगतान नहीं किया जाना है, क्योंकि इसके लिए डी.डी.ए ने आज तक माँग नहीं की है।
– स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण 30.06.2001 तक कर लिया जाना चाहिए था। किन्तु निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है।	स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए समय को आगे बढ़ाने के लिए कम्पनी का अनुरोध डी.डी.ए. में अनिर्णीत पड़ा है। लेखाओं की अंगभूत अनुसूची 21 की टिप्पणी सं. 16 देखिये।
– टाइटल डीड निष्पादित नहीं की गई है।	स्थायी परिसम्पत्तियों से संबंधित अनुसूची सं. 4 की पाद टिप्पणी सं. 1(ख) देखें।

iii) *एशियाई खेल गांव में चार फ्लैट*

- टाइटल डीड निष्पादित नहीं कराई गई।

स्थायी परिसम्पत्तियों से संबंधित अनुसूची सं. IV की पाद टिप्पणी सं. 1(क) देखें।

iv) *प्रगति मैदान परिसर*

- टाइटल डीड निष्पादित नहीं कराई गई।

प्रगति मैदान की टाइटल डीड निष्पादित नहीं की गयी है, क्योंकि भूमि एवं विकास कार्यालय ने अप्पू घर द्वारा प्रगति मैदान के कुछ क्षेत्र का उपयोग करने के लिए संशोधित लाइसेन्स शुल्क और खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री करने वाले व्यक्तियों आदि द्वारा उन्हें आबंटित क्षेत्र के दुरूपयोग प्रभार के लिए कम्पनी से 499.62 करोड़ रु. की मांग की थी। कंपनी ने अपने प्रशासनिक मन्त्रालय के माध्यम से इस मांग का विरोध किया है।

हाल ही में भूमि एवं विकास कार्यालय (एल. ऐंड डी.ओ.) ने दिनांक 1 जुलाई, 2010 के पत्र द्वारा जानकारी दी कि प्रगति मैदान परिसर के पट्टे और अन्य प्रभारों से सम्बन्धित मुद्दों का समाधान करने के लिए गठित सचिवों की समिति की रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद मांग संशोधित होकर 22.24 करोड़ रु. रह गई है जिसे कम्पनी ने स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, 22.24 करोड़ रू. की धनराशि का जुलाई, 2010 में भुगतान कर दिया गया है। कम्पनी को आशा है कि प्रगति मैदान परिसर का हस्तान्तरण विलेख आई.टी.पी.ओ. के पक्ष में शीघ्र ही निष्पादित कर दिया जायेगा।

इस बारे में अचल परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित अनुसूची सं. 4 के पाद टिप्पण सं. 1(ग) को देखें।

v) *ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया कर्मचारी अशंदायी भविष्य निधि कोष*

- वर्ष 2009–10 के लेखे लम्बित हैं। लेखे में निवेश/घाटे के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान करने पर विचार नहीं किया गया है।

लेखाओं को अन्तिम रूप देने के प्रयास किये जा रहे हैं। लेखे की अंगभूत अनुसूची 21 की टिप्पणी सं. 17 भी देखें।

vi) *ट्रेड डेवलपमेन्ट अथारिटी कर्मचारी सी पी एफ ट्रस्ट*

वर्ष 2009–10 के लेखे लम्बित हैं। लेखे में निवेश/घाटे के मूल्य में कमी के प्रावधान करने के बारे में विचार नहीं किया गया है।

लेखाओं को अन्तिम रूप देने के प्रयास किये जा रहे हैं। लेखे की अंगभूत अनुसूची 21 की टिप्पणी सं. 17 भी देखें।

5.5 **(क)** *कर्मचारियों की उपस्थिति एवं उनका उपयोग*

i) कम्पनी के पास कर्मचारियों का विशाल कार्यबल है। कुछ ऐसे कार्य, जो कम्पनी के कर्मचारियों से कराये जाने चाहिए थे, वे सी पी डब्ल्यू डी एवं अन्य एजेंसियों से कराये जा रहे हैं जिससे कम्पनी पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है।

यह स्पष्ट किया गया है कि प्रगति मैदान परिसर में सिविल कार्य, विद्युत कार्य तथा स्वच्छता संबंधी प्रबन्धों आदि के लिए तैनात कर्मचारियों की संख्या उक्त कार्यों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या से कम है। प्रगति मैदान परिसर लगभग 140 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और अन्तरराष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शनी परिसर है। अतः व्यावसायिक तरह के कार्य बाहर से कराने आवश्यक हैं। तथापि, जहां तक सम्भव हो, ये कार्य कम्पनी के कर्मचारियों से ही कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

अतः इसीलिए कम्पनी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं है।

(ख) ***विदेश स्थित कार्यालय*** : हमने विदेश स्थित कार्यालयों का दौरा नहीं किया है। हम आई टी पी ओ द्वारा दिए गए उन स्पष्टीकरणों/वाउचरों/विवरणों पर विश्वास करते हैं जो उन्होंने उन वाउचरों/सहायक दस्तावेजों (सपोर्ट) के बारे में दिए हैं जो विदेशी भाषा में हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते।

विदेश कार्यालयों में किए गए अधिकांश व्यय की पुष्टि करने संबंधी दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में हैं जो मुख्यतः वेतन एवं भत्ते तथा कार्यालय/आवासों के किराये आदि पर व्यय सम्बन्धी हैं। इनके अलावा, जो सहायक दस्तावेज स्थानीय भाषा में हैं, ऐसे मामलों में बीजक/बिल के साथ संलग्न भुगतान वाउचर पर व्यय का विवरण अंग्रेजी भाषा में दर्ज किया गया है और उन्हें स्थानिक निदेशकों द्वारा अधिप्रमाणित किया गया है। कम्पनी द्वारा यह प्रक्रिया लगातार अपनाई जा रही है। यही प्रक्रिया विदेश स्थित भारतीय मिशनों में अपनाई जाती है।

5.6 *लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के निम्नलिखित पैराग्राफों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :*

पैरा 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 में उल्लिखित मामलों के समाधान के कारण होने वाले किसी भी समायोजन का लेखों पर पड़ने वाले प्रभाव का इस समय निर्धारण नहीं किया जा सकता।

6 ऊपर पैरा 5 में हमारी टिप्पणी के आधार पर हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है :–

6.1 हमारे विचार से और हमारी सर्वाधिक जानकारी के आधार पर हमारे द्वारा की गयी इस लेखापरीक्षा के लिए हमने आवश्यक समस्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।

6.2 जहां तक बहीखातों की जांच से पता चलता है, हमारे विचार से, कम्पनी ने विधि अनुसार आवश्यक अपेक्षित उचित बहीखाते बनाये हैं तथा उन विदेशी संपर्क कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों (जिनका हमने दौरा नहीं किया) से उचित रिटर्न प्राप्त की गयी हैं जिसे हमने इस लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त समझा है।

6.3 हमारे विचार से और हमारी सर्वाधिक जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण और उन पर दी गई टिप्पणी भारत में सामान्यतः लागू गणना सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित मामलों में सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं :–

क) 31 मार्च 2010 को कम्पनी के कार्यकलापों की स्थिति, तुलन–पत्र के विषय में।

ख) आय–व्यय लेखे के विषय में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष में कम्पनी के व्यय से अधिक आय के बारे में तथा

ग) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष में कैश फ्लो विवरण के बारे में।

कृते तिवारी ऐण्ड ऐसोसिएट्स
चार्टरित लेखाकार

ह./-
(सन्दीप शाण्डिल्य)
साझेदार
सदस्यता संख्या 85747
एफ.आर.एन.-002870 एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अगस्त 2010

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

अनुबंध-III

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कम्पनी के प्रबन्धन की है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी भारत के चार्टरित लेखापालों के संस्थान के व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन–मानकों के अनुरूप स्वतन्त्र लेखा परीक्षा पर आधारित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है। ऐसा 31 अगस्त 2010 को उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा कर लिया बताया गया है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ख) के अन्तर्गत 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के परिकलन दस्तावेजों के बिना स्वतन्त्र रूप से की गई है और यह सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों से प्रारम्भिक पूछताछ और कुछ लेखा रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिसकी वजह से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने अथवा उस पर अनुपूरक रिपोर्ट देने की आवश्यकता पड़े।

कृते एवं भारत के नियन्त्रक
तथा महालेखापरीक्षक की ओर से

ह./-

(एम.के. बिश्वास)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक
एवं लेखापरीक्षक बोर्ड–1 के भूतपूर्व पदेन सदस्य
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 सितम्बर 2010

अनुबंध-IV

कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अनुसार 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष संबंधी जानकारी एवं निदेशकों की रिपोर्ट की अंगभूत टिप्पणी

क्रम सं.	नाम	पद	शैक्षिक योग्यता	उम्र (वर्ष)	कार्यारम्भ करने की तारीख	अनुभव (वर्ष)	कुल पारिश्रमिक (रुपये)	पिछले नियोजन में पदनाम	रोजगार की प्रकृति संविदात्मक अथवा अन्य तरह की	कार्य की प्रकृति
1.	श्री पी. सी. शर्मा	स्थानिक निदेशक न्यूयार्क	बी.एस.सी. (आनर्स) एम.ए. (अर्थशास्त्र)	56	22.06.82	27	48,21,270	i)लेक्चरर, कोहिमा कॉलेज, कोहिमा ii)वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	तीन वर्ष के लिए नियुक्त नियमित कर्मचारी	*मर्केण्डाइजिंग, मार्केटिंग एवं निर्यात संवर्धन सेवाएं *उत्पाद विकास एवं अडाप्टेशन *वाणिज्यिक सूचना एवं मार्केट इंटेलिजेन्स *व्यापारिक एवं तकनीकी पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार *नये बाजारों में नये उत्पादों का प्रचलन शुरू करवाना
2.	श्री बी. आर. सागर	स्थानिक निदेशक, मास्को	एम.एस.सी., एमबीए	55	19.06.82	27	31,93,084	इंस्टीटयूट ऑफ प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट मेरठ में सहायक निदेशक	–वही–	–वही–
3.	श्री दलेल सिंह	स्थानिक निदेशक, टोकियो	बी.एस.सी., एम.ए.	56	11.06.82	27	65,26,369	वाणिज्य मंत्रालय में सहायक	–वही–	–वही–
4.	सुश्री वी. मीरा	स्थानिक निदेशक, फ्रेंकफर्ट	एम.ए. पत्रकारिता में डिप्लोमा	54	04.04.85	25	48,14,952	इण्डियन आयल कारपोरेशन में जन सम्पर्क अधिकारी	–वही–	–वही–
5.	श्री वाई. के. शर्मा	स्थानिक निदेशक साओ पालो	बी.ई. (मैकेनिकल) डीबीएम	57	17.05.88	22	53,84.312	सहायक प्रबन्धक (स्टोर) बजाज टेम्पो लि.	–वही–	–वही–
6.	श्रीमती हेमा मैती	व्यापार सूचना अधिकारी न्यूयार्क	एम.ए. (अर्थशास्त्र)	44	01.06.90	19	शून्य	i)लोक प्रशा. विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में जूनियर रिसर्च एसोसिएट ii) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान में अस्थायी जूनियर रिसर्च एसोसिएट	–वही–	–वही–

टिप्पणियाँ :

1. उपर्युक्त सभी कर्मचारी कम्पनी के स्थायी कर्मचारी हैं।
2. उपर्युक्त पारिश्रमिक में वेतन, कम्पनी द्वारा लीज पर दिया गया आवास, अन्य सभी भत्ते और सेवा निवृत्ति लाभ शामिल हैं।
3. उपर्युक्त कर्मचारियों में से किसी भी कर्मचारी के कम्पनी में कोई भी शेयर नहीं है।
4. उपर्युक्त कर्मचारियों में से कोई भी कर्मचारी कम्पनी के किसी भी निदेशक का रिश्तेदार नहीं है।
5. उपर्युक्त सभी कर्मचारी समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष भर तैनात रहे।
6. रोजगार की अन्य सभी शर्तें कम्पनी के नियमों के अनुसार हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./-

(डा. सुवास पाणि)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध, निदेशक
डी.आई.एन नं. 02305090

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 अक्तूबर 2010

अनुबंध-V

कार्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

निदेशकगण कम्पनी की कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. कम्पनी की गवर्नेंस फिलासाफी

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी – इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) देश द्वारा विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं गवर्नेंस में अर्जित उत्कृष्टता की झांकी प्रस्तुत करता है।

कार्पोरेट प्रशासन कम्पनी में इसके विभिन्न स्टेकहोल्डरों के हित के बारे में कार्पोरेट औचित्य, पारदर्शिता और जिम्मेवारी को बढ़ावा देने के बारे में है। यह ऐसा सिस्टम है जिससे व्यापारिक निगमों को निर्देश दिये जाते हैं तथा उन पर नियंत्रण रखा जाता है।

आई टी पी ओ को विश्वास है कि सरकार की नीतियों के प्रति प्रोएक्टिव रहते हुए अच्छे गवर्नेंस को प्रबन्धन की न्यासधारिता, सशक्तीकरण और जवाबदेही प्रतिष्ठित करनी चाहिये। आई टी पी ओ की गवर्नेंस प्रक्रिया इसके उद्देश्य – 'उद्योग एवं व्यापार–जगत को व्यापक स्तर पर सुविधाएं प्रदान करना तथा भारत का व्यापार बढ़ाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना' पर केन्द्रित है। आई टी पी ओ भारत में अन्तराष्ट्रीय व्यापार मेलों के आयोजन को अनुमोदित करता है और भारत में विभिन्न प्रदर्शनियों के आयोजन को नियंत्रित करता है जिससे मुख्य रूप से एक ही प्रकार की प्रदर्शनियों के दुहराव से बचा जा सके और उचित समय का चयन सुनिश्चित किया जा सके। यह संगठन भारत में विश्व स्तर के एकमात्र प्रदर्शनी परिसर – प्रगति मैदान का प्रबन्ध कर रहा है जिसे उत्कृष्ट स्तर पर तैयार रखने के लिए उसका निरन्तर उन्नयन किया जा रहा है।

आई टी पी ओ के मुख्य कार्यकलाप और सेवाएं :–

- दिल्ली के हृदय स्थल में स्थित प्रगति मैदान में विशाल व्यापार मेला–परिसर का प्रबन्ध करना।
- प्रगति मैदान प्रदर्शनी परिसर में तथा भारत के अन्य विभिन्न केन्द्रों में विभिन्न व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन करना।
- भारत एवं विदेशों के अन्य मेला–आयोजकों को व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए प्रगति मैदान में स्थान उपलब्ध कराना।
- विक्रेताओं की पहचान करने, भ्रमणसूची तैयार करने, लोगों से मिलने का कार्यक्रम निर्धारित करने और जरूरत पड़ने पर उनके साथ जाने में विदेशी विक्रेताओं को यथासमय और कुशल सेवाएं उपलब्ध कराना।
- भारतीय आपूर्तिकर्ताओं और विदेशी खरीददारों के बीच में स्थायी दीर्घकालीन संबंध कायम करवाना।
- खरीददारों की अपेक्षाओं के अनुरूप उत्पादों के विकास व अनुकूलन में भारतीय कम्पनियों की सहायता करना।
- क्रेताओं और विक्रेताओं को पास लाने की दृष्टि से क्रेता–विक्रेता बैठकों तथा एकल भारतीय प्रदर्शनियों का आयोजन करना।
- विदेशों में विभागीय भंडारों तथा मेल आर्डर हाउसों के माध्यम से भारतीय उत्पादों का संवर्धन करना।
- विदेशी मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी करना।
- आगन्तुक विदेशी क्रेताओं हेतु उत्पाद प्रदर्शन का प्रबन्ध करना।
- व्यापार से संबंधित विषयों पर सेमिनारों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि का आयोजन करना।
- निर्यात संवर्धन प्रयासों में लघु एवं मझौली इकाइयों को प्रोत्साहन देना।
- व्यापार व निर्यात संवर्धन से संबंधित इन–हाउस एवं आवश्यकता आधारित अनुसंधान का प्रबन्ध करना।
- भारत का विदेश व्यापार बढ़ाने में राज्य सरकारों की भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित करना।
- व्यापार सूचना केन्द्र पर इलेक्ट्रानिक सुगमता के माध्यम से व्यापार सूचना सेवाएं उपलब्ध कराना।

कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का कम्पनी द्वारा अनुपालन तथा उस बारे में अपेक्षाओं का खुलासा इस प्रकार है :–

2. निदेशक मण्डल

2.1 निदेशक मण्डल का आकार

आई टी पी ओ कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अनुसार चैरिटेबल संगठन हैं तथा इस समय इसकी कुल चुकता शेयर पूंजी का 99.98 प्रतिशत भाग भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अन्तर्नियमों के अनुसार इसके निदेशक नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार इसके निदेशकों की संख्या चार से कम तथा बारह से अधिक नहीं होगी।

2.2 निदेशक मण्डल का संघटन

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार निदेशक मण्डल में कुल 6 निदेशक हैं जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सहित 2 निदेशक प्रकार्यात्मक तथा 4 निदेशक भारत सरकार के नामित निदेशक हैं। वाणिज्य विभाग/लोक उद्यम विभाग द्वारा दो प्रकार्यात्मक निदेशकों तथा छः स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति की घोषणा होते ही निदेशक मण्डल का एक बार पुनर्गठन किया जायेगा।

2.3 निदेशक मण्डल की बैठक और उसमें उपस्थिति

निदेशक मण्डल की बैठकें प्रायः कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों का समय सामान्यतः पर्याप्त

समय पहले तय हो जाती है तथा इसकी सूचना, विस्तृत बोर्ड एजेण्डा, मैनेजमेंट रिपोर्ट तथा अन्य स्पष्टीकरण निदेशकों में परिचालित किये जाते हैं। निदेशक मण्डल के सदस्यों को कम्पनी के बारे में सम्पूर्ण जानकारी मिलती है। निदेशक मण्डल द्वारा बैठकों में जिन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, उनके बारे में अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी देने हेतु इन बैठकों में प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमन्त्रित किया जाता है।

31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्त वर्ष में क्रमशः 20 अप्रैल 2009, 26 जून 2009, 21 अगस्त 2009, 14 अक्तूबर 2009 और 10 फरवरी 2010 को पांच बैठकें हुई।

2.4 निदेशक मण्डल को अन्य विषयों के साथ–साथ इन मामलों की जानकारी दी जानी है–

निदेशक मण्डल को कम्पनी के बारे में कोई भी जानकारी दी जाती है। उन्हें ये जानकारियां नियमित रूप से दी जाती हैं :–

1. वार्षिक संचालनशील योजनाएं और बजट तथा कोई भी अद्यतन जानकारी
2. वार्षिक लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट आदि
3. आडिट कमेटी तथा निदेशक मण्डल की अन्य कमेटियों की बैठकों के कार्यवृत्त
4. प्रमुख निवेश, अनुषंगी कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों और स्ट्रेटेजिक अलायेंसों आदि की जानकारी
5. बड़े ठेके देना
6. निदेशकों का किन्हीं अन्य कम्पनियों में निदेशक बनने तथा कमेटियों में उनकी हैसियत – इनमें उनके हित का खुलासा।
7. चालू विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों तथा उनमें बजट के उपयोग की स्टेटस रिपोर्ट
8. वेतन समझौते पर हस्ताक्षर करना आदि जैसे मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में विषयक गतिविधियों की कोई भी महत्त्वपूर्ण जानकारी
9. लाभांश का भुगतान नहीं होना, शेयर हस्तान्तरण में विलम्ब आदि जैसी किसी भी नियामक, विधायी एवं शेयरधारकों सम्बन्धी सेवा का अनुपालन नहीं होना।
10. अधिशेष फण्डों का अल्पकालिक निवेश।
11. भौतिक रूप से महत्त्वपूर्ण अन्य जानकारी।

3. निदेशक मण्डल की कमेटी

निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित कमेटी गठित की है;

i) आडिट कमेटी

3.1 आडिट कमेटी का संघटन

स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला वाणिज्य विभाग/लोक उद्यम विभाग के पास विचाराधीन है, इसीलिए वर्तमान आडिट कमेटी का संघटन लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशानुसार नहीं हुआ है।

3.2 आडिट कमेटी की बैठकें

दिनांक 18.08.2009 और 9.02.2010 को दो बैठकें हुई थीं।

3.3 आडिट कमेटी के अधिकार

आडिट कमेटी को निम्नलिखित अधिकार होते हैं :–

1. किसी भी गतिविधि की उसके विचारणीय विषयानुसार जांच करना।
2. किसी भी कर्मचारी से सूचना मांग लेना।
3. बाहर से (कार्यालय से इतर) विधिक या अन्य व्यावसायिक सलाह लेना।
4. यदि आवश्यक समझा जाये तो बाहर से प्रसंगानुकूल मामले के किसी अनुभवी व्यक्ति से सहायता लेना।
5. जैसा भी निदेशक मण्डल द्वारा उल्लेख किया गया हो, अन्य मामलों पर विचार करना।

3.4 आडिट कमेटी की भूमिका

आडिट कमेटी निम्नलिखित कार्य करती है :–

1. वित्तीय ब्यौरे सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हों, इसीलिए कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस की निगरानी करना तथा इसके वित्तीय जानकारी का खुलासा करना।
2. कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार नियामक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाने जाने सांविधिक लेखा परीक्षकों को दिये जाने वाला लेखापरीक्षा शुल्क का निर्धारण करना तथा यदि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई अन्य सेवाएं भी प्रदान की हों तो उनके भुगतान हेतु अनुमोदन करना।
3. विशेषतः निम्नलिखित के सन्दर्भ में निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने से पूर्व वार्षिक वित्तीय ब्यौरों की प्रबन्धन के साथ मिलकर समीक्षा करना :–
   - क. जिन मामलों को निदेशकों का उत्तरदायित्व ब्यौरे में शामिल किया जाना होता है, वे मामले कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के खण्ड (2एए) के अनुसार निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में शामिल कर लिये गये हों।
   - ख. लेखा गणना नीतियों और प्रैक्टिसों में होने वाले बदलाव, यदि कोई हों तो तथा उनके कारण।
   - ग. प्रमुख लेखा प्रविष्टियां जिनमें प्रबन्धन द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के कार्यान्वयन पर आधारित प्राक्कलन शामिल किये गये हों।
   - घ. लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से उठने वाले वित्तीय ब्यौरों में किये गये महत्त्वपूर्ण समायोजन।
   - ङ. सूचीकरण (लिस्टिंग) एवं अन्य विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन, जो वित्तीय ब्यौरों से सम्बन्धित हों।
   - च. किसी भी पार्टी लेन–देन से सम्बन्धित खुलासा।
   - छ. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।

4. अनुमोदनार्थ निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबन्धन के साथ मिलकर तिमाही वित्तीय ब्यौरों की समीक्षा।

5. प्रबन्धन के साथ मिलकर सांविधिक और आन्तरिक लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा तथा आन्तरिक कन्ट्रोल सिस्टमों की पर्याप्तता की समीक्षा।

6. आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग के संगठन, उस विभाग के मुखिया की वरीयता एवं स्टाफ, रिपोर्टिंग ढांचा, आन्तरिक लेखापरीक्षा का कवरेज एवं फ्रिक्वेंसी सहित आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य की पर्याप्तता (यदि कोई हो तो) की समीक्षा करना।

7. कोई भी महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों और उन पर अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।

8. आन्तरिक लेखापरीक्षकों द्वारा ऐसे मामलों की आन्तरिक जांचों के निष्कर्षों की समीक्षा जिनमें धोखेबाजी या अनियमितता तथा भौतिक तरह के आन्तरिक कन्ट्रोल सिस्टमों की असफलता का सन्देह हो तथा उस मामले के बारे में निदेशक मण्डल को रिपोर्टिंग करनी हो।

9. लेखापरीक्षा की प्रकृति और स्कोप तथा इससे सम्बन्धित किसी भी विषय के बारे में निर्णय देने हेतु लेखापरीक्षा उत्तरवर्ती चर्चा के बारे में लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।

10. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान नहीं होने की स्थिति में) तथा कर्जदारों को भुगतान करने में हुए सारभूत गलतियों के कारणों का पता लगाना।

11. आडिट कमेटी के द्वारा जैसा भी उल्लेख किया गया हो, किसी अन्य कार्य को करना।

3.5 आडिट कमेटी द्वारा जानकारी की समीक्षा :–

आडिट कमेटी सामान्यतः निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करती है :–

1. वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और प्रबन्धन चर्चा तथा आपरेशनों के परिणाम।

2. प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत किये गये महत्त्वपूर्ण पार्टी लेन–देन का ब्यौरा।

3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किये गये आन्तरिक कन्ट्रोल में कमजोरी के पत्र/प्रबन्धन पत्र।

4. आन्तरिक कन्ट्रोल की कमजोरी से संबंधित आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट; और

5. मुख्य आन्तरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, बर्खास्तगी तथा पारिश्रमिक की शर्तें।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

सरकारी कम्पनी होने के कारण हमारी कम्पनी के निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्ष 2009–10 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा फंक्शनल निदेशकों को दिया गया पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों के अनुसार था। स्वतन्त्र निदेशकों को कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार तयशुदा सीमा में निदेशक मण्डल द्वारा तय दर से तथा निदेशक मण्डल की बैठक और कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए सरकारी दिशा–निर्देशानुसार केवल सिटिंग फीस का भुगतान किया गया। पूर्णकालिक निदेशकों को निम्नलिखित पारिश्रमिक पैकेज दिया गया :–

क्र. सं.	मद	राशि (रूपये में)
1	वेतन और भत्ते	17,04,000
2	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	42,375
3	छुट्टी यात्रा छूट (एल टी सी)	56,240
4	विदेश यात्रा अंशदान	71,446
5	निष्पादन सम्बद्ध वेतन	95,344
6	आयकर नियमावली के अनुसार अनुलब्धियों का मौद्रिक मूल्य	93,162

आई टी पी ओ के निदेशक मण्डल में कोई भी अंशकालिक निदेशक नहीं है, इसीलिए अंशकालीन निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज के बारे में खुलासे के लिए कुछ भी नहीं है।

5. आम सभा की बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के आयोजन की तिथि, समय और स्थान का ब्यौरा इस प्रकार है :–

वर्ष	तिथि	समय	स्थान	विशेष संकल्प
2006-07	05.11.2007	शाम 3 बजे	पंजीकृत कार्यालय	कुछ नहीं
2007-08	12.12.2008	दोपहर पूर्व 11 बजे	पंजीकृत कार्यालय	कुछ नहीं
2008-09	31.12.2009	शाम 5:30 बजे	पंजीकृत कार्यालय	कुछ नहीं

6. प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट–

प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में वे मामले शामिल हैं जो कम्पनी द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर होते हैं, जैसे – औद्योगिक

ढांचा एवं विकास, सबलता और कमजोरी, चुनौतियां और अवसर, जोखिम और कन्सर्न, आन्तरिक कन्ट्रोल सिस्टम और उनकी पर्याप्तता। प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का अंगभूत हिस्सा होनी चाहिये।

7. वार्षिक आम सभा की बैठक में अध्यक्ष का वक्तव्य एवं वार्षिक रिपोर्ट :–

अध्यक्ष का वक्तव्य कार्पोरेट गवर्नेंस के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में उसका भाग है तथा वार्षिक रिपोर्ट का अंगभूत हिस्सा है।

8. प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर)

(I) सम्बन्धित पार्टियों के साथ लेन–देन में ये शामिल हैं :– (i) संयुक्त उद्यम समझौते के अन्तर्गत गठित कम्पनियों को तथा कार्यों/सेवाओं की संविदाओं के कारण किया गया भुगतान (ii) महत्त्वपूर्ण प्रबन्धन कार्मिकों को दिया गया पारिश्रमिक, (iii) अनुषंगी कम्पनियों को इक्विटी अंशदान जो बड़े स्तर पर कम्पनी के हित के प्रति संभावित विवाद तरह का नहीं हो। सम्बन्धित पार्टी लेन–देन सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरे भारतीय चार्टर्ड एकाउंटैंट्स संस्थान द्वारा जारी तथा नेशनल एडवाइजरी कमेटी आन एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड्स की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड–18 के अनुसार लेखों के बारे में टिप्पणियों में शामिल किये गये हैं।

(II) आई टी पी ओ का किसी भी प्रकार का सम्बन्धित पार्टी लेन–देन नहीं है – न ही नियमित लेन–देन में और न ही सामान्य लेन–देन में। इसीलिए यदि भविष्य में आवश्यकता होगी तो लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार आई टी पी ओ का निदेशक मण्डल उसका अनुपालन करेगा।

(III) आई टी पी ओ लागू होने योग्य एकाउंटिंग स्टैण्डर्डों का अनुपालन कर रहा है। केवल सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय व्यौरों की समीक्षा के बाद ही निदेशक मण्डल वित्तीय व्यौरों को पारित करता है। वित्त वर्ष 2009–10 का तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश फ्लो स्टेटमेन्ट कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3 सी) में उल्लिखित एकाउंटिंग स्टैण्डर्डों के अनुसार तैयार किये गये हैं।

(IV) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड – 21, 23 और 27 आई टी पी ओ पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि आई टी पी ओ सूचीबद्ध कम्पनी नहीं है।

(V) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड–17 के प्रावधानानुसार "सेगमेन्ट रिपोर्टिंग" के मामले में आई टी पी ओ लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों का अनुपालन कर रहा है।

(VI) लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशानुसार एक व्यापक रिस्क मैनेजमेन्ट पालिसी बनायी जा रही है। भविष्य में जोखिम आकलन एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं के बारे में निदेशक मण्डल को जानकारी दी जायेगी।

(VII) लोक उद्यम विभाग के रिटूल्ड दिशा–निर्देशानुसार प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का अंगभूत हिस्सा होनी चाहिये। यह लोक उद्यम विभाग की एक नयी अपेक्षा है तथा वर्ष 2010–11 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते समय इसका पालन किया जायेगा।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./-
(डा. सुवास पाणि)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डी आई एन सं.–02305090

आई आई टी एफ में ओडिशा राज्य दिवस समारोह

आई आई टी एफ में पुदुचेरी राज्य दिवस समारोह

अनुबंध-VI

अनुपालन प्रमाणपत्र

कम्पनी की अभिज्ञान संख्या: यू 74899 डी एल 1976 एन पी एल 008453
अंकित पूंजी : 50,00,000 रू.

सेवा में,
सदस्यगण
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
प्रगति भवन, प्रगति मैदान
नई दिल्ली–110001

हमने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन निगमित इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (कम्पनी), जिसका पंजीकृत कार्यालय प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली – 110001 में है, के 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उन रजिस्टरों, अभिलेखों, बहियों तथा कागजातों की जांच कर ली है जो कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) और तदन्तर्गत निर्मित नियमों और कम्पनी के ज्ञापन तथा अन्तर्नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार रखने अपेक्षित हैं। हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार एवं कम्पनी, इसके अधिकारियों और एजेन्टों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर उपर्युक्त वित्त वर्ष के बारे में हम यह प्रमाणित करते हैं कि :–

1. कम्पनी ने, इस अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप सभी रजिस्टर बनाये हैं, जो इस प्रमाण–पत्र के 'अनुबंध क' में वर्णित हैं और उनमें सभी प्रविष्टियां यथोचित रूप से अंकित हैं।

2. कम्पनी ने इस अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित समय के भीतर सभी फार्म और विवरणियां, जो इस प्रमाणपत्र के 'अनुबन्ध ख' में वर्णित हैं, कम्पनी रजिस्ट्रार और केन्द्र सरकार को दाखिल कर दिये हैं।

3. धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत होने के कारण इस कम्पनी के पास निर्धारित न्यूनतम प्रदत्त शेयर पूंजी होनी जरूरी नहीं है। समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या तीन थी जिसमें इसके वर्तमान और पूर्व कर्मचारी शामिल नहीं हैं और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने :–

   (i) अपने शेयर और डिबेन्चर खरीदने के लिये आम जनता को आमंत्रित नहीं किया है।

   (ii) अपने सदस्यों, निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से कोई जमा राशि न तो आमंत्रित की है और न ही स्वीकार की है।

4. निदेशक मण्डल की 5 (पाँच) बैठकें 20 अप्रैल 2009, 26 जून 2009, 21 अगस्त 2009, 14 अक्तूबर 2009 और 10 फरवरी 2010 को हुई थीं जिनकी कार्यवाही इस प्रयोजन से बनायी गयी कार्यवृत्त पुस्तिका में उचित रूप से अभिलिखित और हस्ताक्षरित की गयी।

5. समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने सदस्यों का रजिस्टर बन्द नहीं किया है क्योंकि इसकी प्रतिभूतियां किसी भी स्टाक एक्सचेंज में सूची में दर्ज नहीं थीं।

6. कम्पनी के सदस्यों को अल्पकालीन नोटिस देकर 31.3.2009 को समाप्त वित्त वर्ष की 32वीं वार्षिक आम बैठक 31 दिसम्बर 2009 को आयोजित हुई थी और उसमें पारित प्रस्तावों का इस प्रयोजन के लिए रखी गयी कार्यवृत्त पुस्तिका में यथोचित रूप से रिकार्ड किया गया था। वार्षिक आम बैठक की तिथि बढ़ाने के लिए आवश्यक स्वीकृति अधिनियम के संगत उपबन्धों के अन्तर्गत कारपोरेट मामलों के मंत्रालय से उसके पत्र संख्या 9/35/2008 – सी एल. –V दिनांक 17.09.2009 द्वारा प्राप्त कर ली गयी थी।

7. समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गयी।

8. कंपनी ने अपने निदेशकों और/या व्यक्तियों या अधिनियम की धारा 295 के अन्तर्गत उल्लिखित फर्मों या कंपनियों को कोई ऋण नहीं दिया है।

9. वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान कम्पनी ने कोई ऐसा अनुबन्ध नहीं किया है जो इस अधिनियम की धारा 297 के अन्तर्गत आता हो।

10. कम्पनी ने अधिनियम की धारा 301 के अधीन रखे गये रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी हैं।

11. चूंकि ऐसे कोई मामले नहीं थे जो कम्पनी अधिनियम की धारा 314 के अन्तर्गत आते हों, अतः कम्पनी ने अपने निदेशक मण्डल, सदस्यों अथवा केंद्र सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है।

12. इस वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयर प्रमाण पत्रों की कोई दूसरी प्रतिलिपि जारी नहीं की है।

13. **कम्पनी ने :–**

    (i) कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूतियों के आबंटन संबंधी सभी प्रमाण पत्र भेज दिये हैं। **लागू नहीं होता**

    तथापि समीक्षाधीन अवधि के दौरान 100/– रु. का एक इक्विटी शेयर श्री जी. के. पिल्लै के नाम से श्री राहुल खुल्लर के नाम अन्तरित किया गया।

    (ii) चूंकि यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत निगमित है। अतः इसे अपने सदस्यों को कोई लाभांश देना मना है और इस प्रकार इसको अलग बैंक खाते में कोई राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।

    (iii) चूंकि यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत निगमित है और इस प्रकार, अपने सदस्यों को किसी लाभांश का भुगतान करना मना है। अतः कम्पनी को अपने किसी सदस्य को वारन्ट पोस्ट करना आवश्यक नहीं है।

    (iv) अदत्त लाभांश खाते, वापसी देय एप्लिकेशन मनी, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर तथा उस पर मिले ब्याज जिसका सात वर्ष दावा न किया गया हो अथवा भुगतान न किया गया हो, की राशि का अंतरण निवेशक शिक्षा एवं बचाव फण्ड में कर दिया है। **लागू नहीं होता**

    (v) कम्पनी अधिनियम की धारा 217 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

14. कम्पनी के निदेशक मण्डल का विधिवत गठन किया गया है और कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस वित्त वर्ष के दौरान आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए अपर निदेशक, वैकल्पिक निदेशकों और निदेशकों की कोई नियुक्ति नहीं की गई।

15. प्राइवेट कम्पनी होने के कारण इस कम्पनी पर प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक की नियुक्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 269 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

16. कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान कोई भी एकमात्र विक्रेता एजेन्ट नियुक्त नहीं किये हैं। सरकारी कम्पनी होने के कारण कम्पनी पर अधिनियम 1956 की धारा 294 एवं 294 क क के उपबन्ध लागू नहीं होते।

17. कम्पनी ने अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अन्तर्गत विहित रूप में केन्द्र सरकार से पत्र संख्या 9/35/2008–सीएल V दिनांक 17.9.2009 द्वारा 31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए समय बढ़ाने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर ली है।

    जैसा कि ऊपर उल्लिखित मामलों के अलावा, कम्पनी को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार, कम्पनी विधि परिषद, क्षेत्रीय निदेशक, रजिस्ट्रार और/या ऐसी अन्य अर्थारिटी से स्वीकृति लेना अपेक्षित नहीं है।

18. निदेशकों ने अधिनियम के उपबंधों और उनके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार निदेशक मण्डल को अन्य फर्मों/कम्पनियों में अपना हित स्पष्ट कर दिया है।

19. कम्पनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई शेयर/डिबेंचर/अन्य प्रतिभूति जारी नहीं की है।

20. कम्पनी ने इस वित्त वर्ष के दौरान कोई शेयर वापस नहीं खरीदा है।

21. कम्पनी ने इस वित्त वर्ष के दौरान कोई अधिमान्य शेयर/डिबेंचर वापस प्राप्त नहीं किया है।

22. ऐसे कोई लेन–देन नहीं हुये जिससे कंपनी को शेयरों के अन्तरण का रजिस्ट्रेशन होने तक, लाभांश के अधिकारों, अधिकार शेयर, बोनस शेयरों को प्रास्थगित करने की आवश्यकता पड़ी हो। अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत निगमित होने के कारण कंपनी को अपने सदस्यों को लाभांश और बोनस आदि का भुगतान करना मना है।

23. कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 58 क और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत आने वाले अनारक्षित ऋण सहित किसी भी जमा को आमन्त्रित/स्वीकार नहीं किया है।

24. प्राइवेट कम्पनी होने के कारण, कम्पनी पर वित्त वर्ष के दौरान लिए गए ऋण पर अधिनियम की धारा 293 (1)(घ) के उपबंध लागू नहीं होते।

25. कम्पनी ने अन्य निगमित निकायों को कोई ऋण या अग्रिम या गारन्टी या प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और परिणामतः इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की हैं।

26. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में अवस्थित करने के लिए ज्ञापन के उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

27. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने उद्देश्यों के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

28. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के नाम के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

29. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की शेयर पूंजी के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

30. कम्पनी ने इस वित्त वर्ष के दौरान अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

31. कम्पनी के अधिकारियों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कम्पनी के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया गया था, उसे कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ अथवा उस पर कोई जुर्माना या शास्ति नहीं लगाई गई।

32. कम्पनी के अधिकारियों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने कर्मचारियों से कोई प्रतिभूति प्राप्त नहीं की है।

33. कम्पनी के अधिकारियों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने अधिनियम की धारा 418 के अन्तर्गत यथापेक्षित अपने कर्मचारियों के लिए पृथक् भविष्य निधि न्यास का गठन किया है।

कृते निसार ऐंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

ह./-
(निसार अहमद)
प्रोपराइटर
सी.पी.सं. 1966
(एफसीएस–3360)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 अक्तूबर 2010

अनुबंध-क

कम्पनी द्वारा रखे गए रजिस्टर

सांविधिक रजिस्टर

1. अधिनियम की धारा 150 के अन्तर्गत सदस्यों का रजिस्टर
2. अधिनियम की धारा 193 के अन्तर्गत निदेशक मंडल की बैठकों और आम बैठकों के कार्यवृत्त
3. अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत संविदाओं का रजिस्टर
4. अधिनियम की धारा 303 के अन्तर्गत निदेशकों आदि का रजिस्टर
5. अधिनियम की धारा 209 के अन्तर्गत लेखाबही

अन्य रजिस्टर

1. शेयर हस्तान्तरण का रजिस्टर
2. स्थायी परिसंपत्तियों का रजिस्टर
3. निवेशों का रजिस्टर
4. निदेशकों की उपस्थिति का रजिस्टर
5. शेयरधारकों का उपस्थिति रजिस्टर
6. शेयर प्रमाणपत्र रजिस्टर

अनुबंध-ख

31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कम्पनी–रजिस्ट्रार के पास दाखिल फार्म एवं विवरणियां

क्र. सं.	फार्म संख्या/ विवरणी	जिस धारा के अन्तर्गत दाखिल किया गया	दस्तावेजों/फार्मों/विवरणियों का संक्षिप्त विवरण	दाखिल करने की तारीख	क्या निर्धारित समय के अन्दर दाखिल किया गया, हाँ/नहीं	यदि दाखिल करने में विलम्ब हुआ तो क्या अपेक्षित अतिरिक्त फीस दी गयी, हाँ/नहीं
1.	फार्म 32	303	नामित निदेशक के रूप में 1 जून, 2009 से श्री हरदीप सिंह पुरी के स्थान पर सुश्री रीनत सन्धु की नियुक्ति	13.07.2009	नहीं	हाँ, एस.आर.एन. : ए 65151862 द्वारा
2.	फार्म 32	303	1 जुलाई, 2009 से श्री राहुल खुल्लर की नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति और 30 जून, 2009 से सुश्री शीला भिडे की प्रबन्ध निदेशक के रूप में निवृत्ति	30.07.2009	हाँ, एस.आर.एन.: ए 66269952 द्वारा	लागू नहीं होता
3.	फार्म 32	303	29.07.2009 से श्री राहुल खुल्लर की नामित निदेशक के रूप में निवृत्ति और श्री सुवास चन्द्र पाणि की निदेशक के रूप में नियुक्ति	25.08.2009	हाँ, एस.आर.एन.: ए 67953307 द्वारा	लागू नहीं होता
4.	फार्म 32	303	07.08.2009 से श्री सुवास चन्द्र पाणि की प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति	27.08.2009	हाँ, एस.आर.एन. : ए 68079482	लागू नहीं होता
5.	फार्म 66	383 क	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का अनुपालन प्रमाण–पत्र	22.01.2010	हाँ, एस.आर.एनः ए 45090099 द्वारा	लागू नहीं होता
6.	फार्म23ए.सी. और एसीए	220	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र तथा लाभ–हानि लेखा	28.01.2010	हाँ, एस.आर.एनः ए 45284759 द्वारा	लागू नहीं होता
7.	फार्म 20बी	159	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिटर्न	25.02.2010	हाँ, एस.आर.एनः ए 46045449 द्वारा	लागू नहीं होता
8.	फार्म 32	303	01.06.2007 से नामित निदेशक के रूप में श्री सुतानु बेहुरिया के पदनाम में संशोधन	25.02.2010	नहीं	हाँ, एस.आर.एनः ए 79327433 द्वारा
9.	फार्म 32	303	श्री राजीव यादव की निदेशक के रूप में 17.01.2010 से सेवा निवृत्ति	25.02.2010	नहीं	हाँ, एस.आर.एनः ए 79327946 द्वारा
10.	फार्म 32	303	श्री नीरज कुमार गुप्ता की 16.02.2010 से निदेशक के रूप में नियुक्ति	17.03.2010	हाँ, एस.आर.एनः ए 80769284 द्वारा	लागू नहीं होता

लेखा

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

31 मार्च 2010

देयताएं	अनुसूची	31.03.2010 को यथास्थिति (रुपये)	31.03.2009 को यथास्थिति (रुपये)
शेयर पूंजी	1	**25,00,000**	25,00,000
आरक्षित और अधिशेष	2	**7,06,46,54,207**	6,28,89,20,892
चालू देयताएं और प्रावधान	3	**1,75,19,31,159**	1,14,51,62,621
		8,81,90,85,366	7,43,65,83,513

1 से 21 तक प्रपत्र लेखे की अंगभूत अनुसूचियां हैं।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

को तुलन पत्र

परिसम्पत्तियां	अनुसूची	31.03.2010 को यथास्थिति (रुपये)	31.03.2009 को यथास्थिति (रुपये)
स्थायी परिसम्पत्तियां	4	**40,69,98,022**	32,50,54,761
निवेश	5	**12,38,69,520**	12,37,64,743
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
-चालू परिसम्पत्तियां	6	**7,30,68,79,428**	5,67,89,73,391
-ऋण एवं अग्रिम	7	**98,10,92,249**	1,30,82,20,446
विविध व्यय (जिन्हें न तो बट्टे–खाते में डाला गया है और न ही उनका समायोजन किया गया है)	18	**2,46,147**	5,70,172
		8,81,90,85,366	7,43,65,83,513

ह./-
(ए. के. खन्ना)
वरिष्ठ महाप्रबन्धक,
वित्तीय सलाहकार
तथा कम्पनी सचिव

ह./-
(नीरज कुमार गुप्ता)
कार्यकारी निदेशक

ह./-
(डा. सुवास पाणि)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते तिवारी ऐण्ड एसोसिएट्स
चार्टरित लेखाकार

ह./-
(संदीप शाण्डिल्य)
साझेदार
सदस्यता सं. 85747
एफआरएन 002870 एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अगस्त, 2010

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

31 मार्च, 2010 को समाप्त

व्यय	अनुसूची		2009-2010 रु.	2008-2009 रु.
वेतन एवं भत्ते	8		**71,26,47,028**	70,42,15,571
भागीदारी शुल्क			**10,96,49,321**	10,47,27,743
विनिर्माण कार्य एवं आन्तरिक सजावट			**8,22,56,586**	7,61,92,745
नौभार शुल्क, पैकिंग और हैण्डलिंग			**48,55,344**	19,90,766
प्रचार			**5,96,71,560**	5,99,50,219
यात्रा एवं वाहन			**4,81,28,876**	4,99,78,236
[इसमें निदेशकों पर हुआ **42,98,007** रु. (54,41,711 रु.) का व्यय शामिल है]				
डाक, तार, टेलीफोन			**1,08,52,064**	1,09,65,734
प्रिंटिंग और स्टेशनरी			**73,45,569**	64,46,178
पुस्तकें और पत्र–पत्रिकाएं			**17,38,711**	30,81,732
प्रकाशनों पर व्यय			**2,38,704**	2,12,872
मनोरंजन [इसमें निदेशकों पर किया गया **1,78,477** रु. (2,22,212 रु.)शामिल हैं]			**60,99,771**	67,28,789
प्रगति मैदान का रख–रखाव	9		**15,72,65,270**	12,89,64,209
विद्युत एवं जल प्रभार		**13,18,87,545**		
वसूली : घटाकर		**-7,21,31,191**	**5,97,56,354**	5,93,68,539
मरम्मत, नवीकरण और रख–रखाव			**1,75,72,943**	1,31,93,458
किराया, दर और कर (निवल)	10		**2,57,44,488**	2,70,84,323
अन्य व्यय	11		**3,62,10,260**	4,57,06,829
प्रावधान/बट्टे–खाते में डालना	12		**1,30,18,349**	1,31,97,643
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
- लेखा परीक्षा शुल्क			**2,30,000**	2,30,000
- कर लेखा परीक्षा शुल्क			**65,000**	65,000
- अन्य व्यय			**76,674**	1,55,692
मूल्यह्रास			**2,63,92,522**	3,57,50,783
बट्टेखाते में डाला गया आस्थगित राजस्व व्यय			**3,24,025**	4,76,659
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन को सब्सिडी				
कर का भुगतान एवं समायोजन			**43,292**	18,69,948
करने के पूर्व व्यय से अधिक आय सी/डी			**1,00,69,91,489**	85,26,76,832
			2,38,71,74,200	2,20,32,30,500
असाधारण मदें	17		**22,23,96,822**	-
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	19		**88,61,352**	-
कर भुगतान एवं समायोजन करने के पश्चात् व्यय से अधिक आय			**77,57,33,315**	85,63,92,066
			1,00,69,91,489	85,63,92,066

1 से 21 तक प्रपत्र लेखे की अंगभूत अनुसूचियां हैं।

वर्ष का आय–व्यय लेखा

आय	अनुसूची	2009-2010 रु.	2008-2009 रु.
संचालन सम्बन्धी आय	13	**1,65,05,84,073**	1,39,53,89,533
ब्याज एवं लाभांश	14	**58,16,82,629**	57,71,86,065
अन्य आय	15	**12,31,65,913**	19,32,26,834
सरकार से प्राप्त राजस्व अनुदान	16	**3,17,41,585**	3,74,28,068
		2,38,71,74,200	2,20,32,30,500
कर भुगतान एवं समायोजन से पूर्व व्यय से अधिक आय बी/डी		**1,00,69,91,489**	85,26,76,832
पिछली अवधि का समायोजन (निवल)	19	-	37,15,234
		1,00,69,91,489	85,63,92,066

ह./-
(ए. के. खन्ना)
वरिष्ठ महाप्रबन्धक,
वित्तीय सलाहकार
तथा कम्पनी सचिव

ह./-
(नीरज कुमार गुप्ता)
कार्यकारी निदेशक

ह./-
(डा. सुवास पाणि)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते तिवारी ऐण्ड एसोसिएट्स
चार्टरित लेखाकार

ह./-
(संदीप शाण्डिल्य)
साझेदार
सदस्यता सं. 85747
एफआरएन 002870 एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अगस्त, 2010

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां

1.	शेयर पूंजी	31.03.2010 रु.	31.03.2009 रु.
	प्राधिकृत पूंजी		
	100 रु. प्रति शेयर की दर से 50,000 इक्विटी शेयर	**50,00,000**	50,00,000
	जारी की गई, अभिदत्त और प्रदत्त		
	100 रु. प्रति शेयर की दर से पूर्णतः प्रदत्त 25,000 इक्विटी शेयर	**25,00,000**	25,00,000

2.	आरक्षित एवं अधिशेष	1.04.2009 को बकाया रु.	2009-2010 के दौरान वृद्धि रु.	समायोजन रु.	31.03.2010 को बकाया रु.
	क) आरक्षित पूंजी				
	i) भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान **	62,90,83,618	-	-	62,90,83,618
	ii) अन्य आरक्षित पूंजी	71,21,985	-	-	71,21,985
	ख) सामान्य आरक्षित पूंजी				
	आय एवं व्यय लेखा	5,65,27,15,289	77,57,33,315	-	6,42,84,48,604
		6,28,89,20,892	**77,57,33,315**	-	**7,06,46,54,207**
		(5,43,14,91,934)	(85,74,28,958)	(-)	(6,28,89,20,892)

** पूर्णतः उपयोग की गई

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

3.	चालू देयताएं एवं प्रावधान	31.03.2010 रु.	31.03.2009 रु.
I.	**चालू देयताएं**		
	व्यय के लिए देयताएं एवं लेनदार **	**40,69,92,544**	17,63,76,851
	अग्रिम भुगतान एवं जमा	**76,39,53,183**	29,35,83,604
	अन्य देयताएं	**6,42,71,364**	4,56,46,731
II.	**प्रावधान**		
	- ग्रेच्युटी के लिए	**31,15,96,687**	28,27,00,212
	- उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन के लिए	**8,30,00,000**	4,50,00,000
	- छुट्टी नगदीकरण के लिए	**9,07,42,594**	7,61,22,781
	- वेतनमान संशोधन के लिए	**16,20,380**	19,45,38,556
	- आकस्मिकता शुल्क की वापसी के लिए	**2,97,54,407**	3,11,93,886
		1,75,19,31,159	1,14,51,62,621

** अनुसूची 21 - टिप्पणी सं. 18 देखें

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

4. स्थायी परिसम्पत्तियां

परिसम्पत्तियों का विवरण	मूल्यह्रास की दर (%)	सकल ब्लाक लागत पर			
		01.04.2009 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	कटौती / समायोजन	31.03.2010 को
		रु.	रु.	रु.	रु.
प्रगति मैदान परिसर		1	-	-	**1**
भूमि (लीज होल्ड)		74,66,715	-	-	**74,66,715**
भवन (लीज होल्ड भूमि)					
– प्रथम श्रेणी	2.5%	32,59,96,484	-	-	**32,59,96,484**
– द्वितीय श्रेणी	5%	1,66,09,883	-	-5,28,921	**1,60,80,962**
– तृतीय श्रेणी	10%	40,78,301	-	-	**40,78,301**
आवासीय/कार्यालय फ्लैट	2.5%	2,56,42,569	-	-	**2,56,42,569**
जल आपूर्ति एवं निकासी	10%	21,41,705	-	-	**21,41,705**
बिजली संस्थापन/फिटिंग	10%	11,29,73,861	-	-90,050	**11,28,83,811**
वातानुकूलन संयंत्र	12.5%	55,06,011	-	-	**55,06,011**
वातानुकूलन संयंत्र	6.67%	2,26,95,719	-	-	**2,26,95,719**
वातानुकूलन/ एअर वेन्टीलेशन संयंत्र	10%	11,41,66,841	-	-	**11,41,66,841**
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%	2,47,40,310	10,87,301	-11,05,552	**2,47,22,059**
वाहन	20%	2,09,33,332	20,73,672	-	**2,30,07,004**
दृश्य–श्रव्य उपकरण	20%	64,24,441	13,29,208	-	**77,53,649**
दृश्य–श्रव्य उपकरण	22.5%	6,03,160	-	-	**6,03,160**
कार्यालय उपकरण/ अन्य विविध परिसम्पत्तियां	12.5%	4,68,29,901	87,89,639	-65,93,957	**4,90,25,583**
कम्प्यूटर / डाटा प्रोसेसर	17.1%	8,99,21,937	8,09,496	-1,09,27,617	**7,98,03,816**
फायर हाइड्रेन्ट	10%	1,03,48,868	-	-	**1,03,48,868**
कुल		83,70,80,039	1,40,89,316	-1,92,46,097	**83,19,23,258**
चालू पूंजीगत कार्य		9,12,566	9,60,50,080	-	**9,69,62,646**
कुल योग		83,79,92,605	11,01,39,396	-1,92,46,097	**92,88,85,904**
		(81,53,88,598)	(1,70,62,835)	(55,41,172)	**(83,79,92,605)**

* इसमें 6,65,854 रु. पिछली अवधि के हैं।

नोट :

1 निम्नलिखित भूमि एवं भवनों के संबंध में लीज/टाइटल डीड का निष्पादन किया जाना अभी बाकी है।

सम्पत्ति का स्वरूप	**लागत**
(क) एशियाई खेल गांव, नई दिल्ली में चार फ्लैट	36,46,551 रु. (36,46,551 रु.)
(ख) दिल्ली में स्टाफ क्वार्टरों के लिए भूमि	74,66,715 रु. (74,66,715 रु.)
(ग) प्रगति मैदान काम्पलैक्स (कम्पनी की स्थापना के समय विद्यमान भूमि एवं भवन)	1 रु. (1 रु.) [1992–93 के दौरान 949.04 लाख रु. पूंजीगत अनुदान के समायोजन के पश्चात्]

2 5,000 रुपये अथवा उससे कम मूल्य की परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास **2,38,886 रु.** (3,66,119 रु.) है जो अलग–अलग 100 प्रतिशत की दर से लगाया गया है।

मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
31.03.2009 तक	कटौती / समायोजन	वर्ष के लिए	31.03.2010 तक	31.03.2010 को यथास्थिति	31.03.2009 को यथास्थिति
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
-	-	-	-	**1**	1
-	-	-	-	**74,66,715**	74,66,715
11,99,01,635	-	78,56,700	**12,77,58,335**	**19,82,38,149**	20,60,94,849
79,56,495	-5,02,474	7,20,191	**81,74,212**	**79,06,750**	86,53,388
38,38,576	-	35,811	**38,74,387**	**2,03,914**	2,39,725
60,46,315	-	6,09,009	**66,55,324**	**1,89,87,245**	1,95,96,254
20,18,628	-	7,110	**20,25,738**	**1,15,967**	1,23,077
10,67,69,019	-85,548	3,58,059	**10,70,41,530**	**58,42,281**	62,04,842
44,48,248	-	2,93,424	**47,41,672**	**7,64,339**	10,57,763
80,29,068	-	14,38,114	**94,67,182**	**1,32,28,537**	1,46,66,651
10,38,23,602	-	39,39,825	**10,77,63,427**	**64,03,414**	1,03,43,239
2,02,94,604	-10,13,603	7,71,060	**2,00,52,061**	**46,69,998**	44,45,706
1,65,50,295	-	15,16,446	**1,80,66,741**	**49,40,263**	43,83,037
58,86,763	-	9,22,932	**68,09,695**	**9,43,954**	5,37,678
4,91,465	-	43,451	**5,34,916**	**68,244**	1,11,695
3,42,92,974	-61,19,251	28,82,900	**3,10,56,623**	**1,79,68,960**	1,25,36,927
6,78,38,300	-1,03,87,462	46,80,201	**6,21,31,039**	**1,76,72,777**	2,20,83,637
47,51,857	-	9,83,143	**57,35,000**	**46,13,868**	55,97,011
51,29,37,844	-1,81,08,338	2,70,58,376*	**52,18,87,882**	**31,00,35,376**	32,41,42,195
-	-	-	-	**9,69,62,646**	9,12,566
51,29,37,844	-1,81,08,338	2,70,58,376	**52,18,87,882**	**40,69,98,022**	32,50,54,761
(48,09,57,132)	(-37,70,071)	(3,57,50,783)	**(51,29,37,844)**	**(32,50,54,761)**	

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

5.	निवेश (लागत पर) – दीर्घकालिक	31.03.2010 रु.	31.03.2009 रु.
I.	**अनुद्धृत**		
	100 रु. प्रति शेयर की दर पर राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र पर पूर्णतः चुकता 2,00,000 सममूल्य (इक्विटी) शेयर *	**2,00,00,000**	2,00,00,000
	सी–ग्लिम्प्स को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, मुम्बई में 50 रु. प्रति शेयर की दर से 5 शेयर	**250**	250
	1000 रु. प्रति शेयर की दर से तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन पर पूर्णतः चुकता 51 सममूल्य शेयर **	**51,000**	51,000
	1000 रु. प्रति शेयर की दर से कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन पर पूर्णतः चुकता 2,550 सममूल्य शेयर **	**25,50,000**	25,50,000
	कनार्टक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन में आवंटन के लिए लम्बित 1000 रु. प्रति एप्लिकेशन मनी के 99,450 सममूल्य शेयर **	**9,94,50,000**	9,94,50,000
II.	**उद्धृत**		
	यू टी आई बकाया फण्ड स्कीम के अन्तर्गत 10 रु. प्रति यूनिट की दर से 1,58,381 (1,51,199) यूनिटें दिनांक 31.3.2010 को बाजार मूल्य 35,38,232 रु. (21,59,122 रु.)	**18,18,270**	17,13,493
		12,38,69,520	12,37,64,743

* संयुक्त उद्यम कम्पनी
** अनुषंगी कम्पनी

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

6. चालू परिसंपत्तियां		31.03.2010 रु.		31.03.2009 रु.
जमा राशि पर उपार्जित ब्याज		**15,99,81,008**		23,07,95,531
भारत सरकार से वसूली योग्य अनुदान	**3,56,19,127**		2,90,26,269	
संदिग्ध वसूली हेतु व्यवस्था : घटाकर	**-19,27,877**	**3,36,91,250**	-35,71,961	2,54,54,308
उपभोग्य भंडार		**7,23,005**		5,96,309
(सूची में दर्ज और प्रबन्धन द्वारा आंके गये मूल्यानुसार न्यूनतम लागत पर)				
विविध ऋण (अनारक्षित)				
क) छः महीने से अधिक अवधि से बकाया ऋण				
-अच्छे समझे गये	**5,47,99,695**		9,33,11,119	
-जिनकी प्राप्ति में संदेह है	**20,26,46,432**		18,98,83,637	
	25,74,46,127		28,31,94,756	
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान : (घटाकर)	**-20,26,46,432**		-18,98,83,637	
	5,47,99,695		9,33,11,119	
ख) अन्य ऋण				
-अच्छे समझे गये	**14,68,33,619**		4,00,37,071	
-जिनकी प्राप्ति में संदेह है	**30,70,966**		41,22,656	
	14,99,04,585		4,41,59,727	
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान : (घटाकर)	**-30,70,966**		-41,22,656	
	14,68,33,619	**20,16,33,314**	4,00,37,071	13,33,48,190
नकद और बैंक शेष				
I) अपने पास विद्यमान बैंक ड्राफ्ट/चैक		**16,99,000**		38,37,857
II) ट्रांजिट में भेजी गई रकम		**6,62,947**		-
III) पोस्टेज इम्प्रेस्ट		**3,28,854**		1,97,775
IV) अपने पास विद्यमान नकद राशि		**6,98,861**		12,24,497
अनुसूचित बैंकों में शेष				
I) चालू खातों में [जिसमें विदेशी शाखाओं में जमा 2,10,05,170 रु. (1,54,82,944 रु.) भी शामिल हैं।]		**2,95,12,303**		2,24,91,454
II) बचत बैंक खातों में		**1,06,67,68,137**		26,97,64,496
III) अल्पावधि जमा खातों में		**5,80,95,00,000**		4,98,37,80,315
अन्य बैंकों में शेष				
I) विदेशी बैंकों के चालू खाते में शेष		**16,80,749**		74,82,659
		7,30,68,79,428		5,67,89,73,391

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

6. चालू परिसंपत्तियां (जारी)
विदेशी बैंकों में शेष का विवरण

बैंक का नाम	शेष		वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष	
	31.03.2010 को	31.03.2009 को	2009-2010	2008-2009
	रु.	रु.	रु.	रु.
बैंको डी चिली, सेन्टियागो	-	35,24,685	**35,24,685**	1,85,52,809
बैंको सूडामेरीस, ब्राजील	**2,77,159**	23,89,558	**39,96,855**	52,82,104
बैंक ऑफ कम्प्यूनिकेशन, शंघाई	**1,40,162**	-	**3,46,903**	-
बैंक एक्सटीरियर डी' अल्जीरिया, अल्जीरिया	**2,70,312**	3,30,578	**17,41,887**	20,79,537
सिटी बैंक एन.ए., पनामा	**80,361**	90,770	**90,770**	90,770
फर्स्ट नेशनल बैंक, केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका	**1,45,370**	1,64,440	**1,64,440**	1,64,440
रशीद बैंक, बगदार, इराक	-	88,990	**88,990**	88,990
दि स्टैण्डर्ड बैंक आफ साउथ अफ्रीका लि. जोहन्सबर्ग	**2,60,060**	2,31,862	**2,60,060**	2,31,862
यूनिक्रेडिट बैंक, मिलान	**4,97,786**	5,29,459	**90,04,879**	20,95,847
ब्नेशट्रार्ग बैंक, मास्को	**9,539**	1,32,317	**35,76,475**	40,71,736
	16,80,749	74,82,659	**2,27,95,944**	3,26,58,095

क) कम्पनी के पास 31.03.2010 को गैर–प्रत्यावर्तनीय (नान–रिपेट्रीयेबल) मुद्रा में निम्नलिखित राशि है :–

I) इराक **शून्य रु. (88,990 रु.)**

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

7.	ऋण एवं अग्रिम		31.03.2010 रु.		31.03.2009 रु.
	[नकद या वस्तुओं के रूप में वसूली योग्य अग्रिम या जिनका मूल्य प्राप्त किया जाना है) (अनारक्षित, अच्छे समझे गये, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)]				
I)	सहायक कम्पनियों को अग्रिम एवं ऋण		**8,34,05,767**		8,03,15,074
II)	अग्रिम :				
	- कर्मचारियों को*	**8,29,61,547**		8,94,37,532	
	- अन्य को	**27,38,02,758**		8,55,64,247	
		35,67,64,305		17,50,01,779	
	संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान (घटाकर)	**-1,61,71,548**	**34,05,92,757**	-1,64,98,366	15,85,03,413
III)	कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर प्राप्त ब्याज		**4,43,97,616**		4,26,85,815
IV)	क) सम्पन्न कार्यों के संबंध में पार्टियों द्वारा देय	**44,71,820**		23,11,630	
	संदिग्ध देय के लिए प्रावधान : (घटाकर)	**-2,27,962**	**42,43,858**	-2,27,962	20,83,668
	ख) विदेश स्थित भारतीय मिशनों से देय		**19,62,287**		14,59,101
V)	विविध जमा	**63,65,754**		74,43,504	
	संदिग्ध विविध जमा के लिए प्रावधान (घटाकर)	**-14,47,687**	**49,18,067**	-23,55,580	50,87,924
VI)	पूर्व प्रदत्त व्यय/भावी मेलों के लिए वचनबद्धता		**11,42,86,620**		86,54,879
VII)	अग्रिम आयकर/वसूली योग्य टी डी एस		**23,16,53,523**		25,60,02,188
VIII)	वसूली योग्य सेवा कर		**56,31,754**		34,28,384
IX)	इंटर कारपोरेट जमा		**15,00,00,000**		75,00,00,000
			98,10,92,249		1,30,82,20,446
	***इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :**				
क)	निदेशकों पर बकाया [वर्ष के किसी भी समय अधिकतम बकाया **1,27,277 रु.** (5,62,805 रु.)]		**Nil**		1,27,277
ख)	भूतपूर्व निदेशकों पर बकाया [वर्ष के किसी भी समय अधिकतम बकाया **25,659** रु. (Rs.18,439 रु.)]		**8,365**		18,439
ग)	अधिकारियों पर बकाया (ऋण के रूप में) [वर्ष के किसी भी समय अधिकतम बकाया रु. **33,01,997** (28,24,220 रु.)]		**24,09,729**		18,32,784
घ)	व्यक्तिगत गारन्टी पर सुरक्षित/पूर्णतः सुरक्षित		**4,98,51,694**		5,59,50,648

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

8.	वेतन एवं भत्ते	2009-2010 रु.	2008-2009 रु.
	वेतन एवं भत्ते	**49,76,15,005**	38,71,06,180
	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	**4,61,91,919**	3,93,64,828
	छुट्टी यात्रा रियायत	**48,21,024**	29,79,066
	उत्पादकता सम्बद्ध वेतन/पी एल आई	**3,80,00,000**	5,13,45,344
	भविष्य निधि ट्रस्ट में अंशदान	**4,17,68,656**	4,91,88,333
	विदेश सेवा अंशदान	**6,79,371**	12,38,266
	आवासीय किराया अंशदान	**78,16,368**	83,20,668
	हितकारी कोष अंशदान	**3,97,285**	3,61,555
	कल्याण कोष अंशदान	**1,35,585**	98,630
	ग्रेच्युटी	**4,57,54,621**	13,99,76,454
	स्टाफ की वर्दी	**15,02,957**	17,20,010
	कर्मचारी कल्याण	**2,79,64,237**	2,25,16,237
		71,26,47,028	70,42,15,571

9.	प्रगति मैदान का रख–रखाव	2009-2010 रु.	2008-2009 रु.
	- **सिविल कार्य** [इसमें भवनों की मरम्मत के लिए **1,85,427 रु.** (5,11,757 रु.) शामिल हैं]	**4,71,95,837**	**4,87,70,679**
	- **विद्युत कार्य**	**7,99,49,601**	5,73,44,251
	- **बागवानी कार्य**	**1,49,51,793**	1,07,73,626
	- **सफाई व्यवस्था**	**1,51,68,039**	1,20,75,653
		15,72,65,270	12,89,64,209

10.	किराया, दरें एवं कर		2009-2010 रु.		2008-2009 रु.
	किराया	**1,43,64,385**		1,22,52,375	
	वसूली : घटा कर	**-1,39,800**	**1,42,24,585**	-1,39,800	1,21,12,575
	दरें एवं कर	1,37,74,598		1,50,69,612	
	वसूली : घटा कर	**-22,54,695**	**1,15,19,903**	-97,864	1,49,71,748
			2,57,44,488		2,70,84,323

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

11. अन्य व्यय	2009-2010 रु.	2008-2009 रु.
वाहनों का रख–रखाव (निवल)	**23,91,947**	25,16,672
बीमा	**6,94,630**	6,55,058
उपहार एवं भेंट	**5,42,596**	5,44,204
विज्ञापन	**46,60,551**	57,52,713
सांस्कृतिक कार्यक्रम/फैशन शो (निवल)	**21,35,745**	27,69,713
विदेशी प्रतिनिधिमण्डल	**17,03,608**	13,89,953
बैंक प्रभार	**5,85,569**	7,00,251
कमीशन [इसमें प्रवेश टिकटों की बिक्री पर **18,55,615 रु.** (14,85,480 रु.) शामिल हैं]	**22,01,720**	19,41,908
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	**59,50,924**	79,89,040
सेमिनार एवं प्रशिक्षण	**2,51,295**	34,57,485
विविध व्यय	**78,53,620**	59,47,991
विनिमय में अन्तर (निवल)	**63,33,711**	-
ब्याज	**10,000**	27,24,107
प्रतिपूर्ति	**8,94,344**	93,17,734
	3,62,10,260	4,57,06,829

12. प्रावधान/बट्टे–खाते में डाले गये	2009-2010 रु.	2008-2009 रु.
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/देय हेतु प्रावधान	**1,25,94,290**	1,31,68,556
समायोजित नामे बकाया	**89,123**	330
बट्टे–खाते में डाले गये/समायोजित ऋण	**2,19,590**	-
बट्टे–खाते में डाली गयी/समायोजित परिसम्पत्तियां	**1,11,343**	28,757
अनुदान की संदिग्ध वसूली हेतु प्रावधान	**4,003**	-
	1,30,18,349	1,31,97,643

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

13. संचालन आय	2009-2010 रु.	2008-2009 रु.
स्थान किराया (निवल)	**1,59,02,11,383**	1,34,39,34,792
प्रवेश टिकटों/पासों की बिक्री	**4,92,32,542**	4,18,32,010
फिल्म/फैशन/सांस्कृतिक शो के टिकटों की बिक्री	**10,76,740**	11,05,998
विज्ञापन (प्रकाशनों में)	**20,43,263**	13,74,760
प्रकाशनों का ग्राहक शुल्क	**6,026**	5,903
सदस्यता शुल्क	**16,97,602**	18,52,833
होर्डिंग	**58,89,377**	49,53,615
प्रकाशनों की बिक्री	**4,27,140**	3,29,622
	1,65,05,84,073	1,39,53,89,533

14. ब्याज एवं लाभांश	2009-2010 रु.	2008-2009 रु.
ब्याज		
- बैंक में जमा पर	**50,71,89,566**	50,68,18,678
- स्टाफ को दिए गए अग्रिम पर	**49,11,422**	50,88,905
- अन्य पर	**6,94,76,864**	6,52,78,482
- यू टी आई से लाभांश	**1,04,777**	-
	58,16,82,629	57,71,86,065

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

15.	अन्य आय	2009-2010 रु.	2008-2009 रु.
	ऐसी देयताएं/प्रावधान जो अब अपेक्षित नहीं है	**3,43,01,788**	4,57,94,827
	विविध आय	**7,33,49,143**	9,88,33,337
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	**59,616**	12,64,719
	समायोजित क्रेडिट बैलेंस	**11,26,024**	2,29,52,874
	प्रदत्त विविध सेवाओं के लिए वसूली	**1,43,29,342**	1,63,72,955
	विनिमय में अंतर (निवल)	-	80,08,122
		12,31,65,913	19,32,26,834

16.	भारत सरकार से राजस्व अनुदान	2009-2010 रु.	2008-2009 रु.
I)	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आदेश पर आयोजित प्रदर्शनियों हेतु	**3,17,41,585**	3,68,78,068
II)	पश्चिम बंगाल सरकार	-	5,50,000
		3,17,41,585	3,74,28,068

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

17. असाधारण मदें	2009-2010		2008-2009	
	नामे रु.	जमा रु.	नामे रु.	जमा रु.
किराया, दर एवं कर	22,23,96,822	-	-	-
	22,23,96,822	-	-	-

18. विविध व्यय
(जो बट्टे–खाते में नहीं डाले गए या समायोजित नहीं किए गए)

	1.04.2009 को बकाया	वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन	वर्ष के दौरान बट्टे–खाते में डाले गये	31.03.2010 को बकाया
	रु.	रु.	रु.	रु.
आस्थगित राजस्व व्यय				
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	5,70,172	-	3,24,025	**2,46,147**
	5,70,172	-	3,24,025	**2,46,147**
	(3,08,394)	(7,38,437)	(4,76,659)	(5,70,172)

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

19. पिछली अवधि से संबंधित समायोजन (निवल)	2009-2010		2008-2009	
	नामे रु.	जमा रु.	नामे रु.	जमा रु.
विज्ञापन व्यय	**14,895**	-	-	-
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	-	-	1,66,840	-
विनिर्माण कार्य एवं आन्तरिक सजावट	**4,34,554**	-	50,105	-
मूल्यह्रास	**6,65,854**	-	-	-
विद्युत एवं जल प्रभार	**55,360**	-	-	-
मनोरंजन	**2,50,083**	-	1,15,739	-
एक्स–ग्रेसिया एवं बोनस	**35,375**	-	-	-
विदेशी प्रतिनिधिमण्डल	**17,05,507**	-	-	-
नौभार शुल्क, पैकिंग एवं हैण्डलिंग	**1,96,078**	-	42,832	-
सी पी एफ ट्रस्ट में आई टी पी ओ का अंशदान	**24,414**	-	-	-
छुट्टी यात्रा रियायत	-	-	15,976	-
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	-	-	13,915	-
प्रगति मैदान का रख–रखाव – सिविल कार्य	**6,31,626**	-	-	-
प्रगति मैदान कर रख–रखाव – विद्युत कार्य	-	-	55,725	-
विविध व्यय	**13,53,493**	-	1,77,050	-
विविध आय	-	**2,36,080**	-	12,77,422
भागीदारी प्रभार	**5,50,000**	-	-	10,68,428
डाक, टेलीग्राम एवं फोन	**32,264**	-	-	-
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	-	-	25,094	-
प्रचार व्यय	**30,05,026**	-	7,75,582	-
दरें एवं कर	-	-	-	85,680
प्रदत्त विविध सेवाओं हेतु वसूली	-	-	-	26,68,535
बिजली एवं पानी के शुल्क की वसूली	-	-	-	66,076
किराया	**2,52,667**	-	-	-
मरम्मत, नवीकरण एवं रख–रखाव	**1,04,276**	-	5,62,241	-
भारत सरकार से राजस्व अनुदान	-	-	-	15,87,782
वेतन एवं भत्ते	-	**3,83,441**	47,716	-
प्रवेश टिकटों/पासों की बिक्री	-	-	3,96,600	-
स्थान किराया (निवल)	**39,250**	-	3,47,366	-
स्टाफ कल्याण	-	**5,524**	1,98,200	-
यात्रा एवं सुविधाएं	**1,35,675**	-	47,708	-
	94,86,397	**6,25,045**	30,38,689	67,53,923

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

20. महत्त्वपूर्ण लेखा–गणना नीतियां

1. वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के आधार

क) वित्तीय ब्यौरे कम्पनी अधिनियम 1956 के सिद्धान्तों के अनुसार ऐतिहासिक लागत परम्परा के अनुसार तैयार किये गये हैं, बशर्ते यहां आगे उनका उल्लेख किया गया हो।

ख) कम्पनी निम्नलिखित अपवादों को छोड़ कर, अक्रुअल आधार पर लेखा–गणना की मर्केन्टाइल पद्धति अपनाती है तथा आय–व्यय की महत्त्वपूर्ण मदों को मानती है :–

i) छुट्टी यात्रा रियायत सम्बन्धी व्यय की गणना उस वर्ष में दिखायी गयी है जिस वर्ष वह रियायत ली गयी हो।

ii) विलम्ब शुल्क की माफी, जिसमें अन्य पार्टियों की ओर से भी, निपटारा हो जाने पर, किये गये मामले शामिल हैं।

iii) कार्य देर से पूरा करने के लिए ठेकेदारों से परिशोधित क्षतिपूर्ति के दावे, जब धनराशि अन्तिम तौर पर तय कर ली गयी हो एवं उस पर सहमति हो चुकी हो।

iv) नियमित सदस्यों से प्राप्त सेवा प्रभार तथा एसोसिएट सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क। किन्तु जो सदस्यता शुल्क अग्रिम रूप में प्राप्त हुआ है, उसे उसी वर्ष में दिखाया गया है जिस वर्ष की सदस्यता के लिए हो।

ग) सरकार से प्राप्त अनुदान को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्देशानुसार पूंजी अथवा राजस्व खाते में दिखाया गया है। विशेष पूंजी अनुदान को विशेष परिसम्पत्तियों की लागत से घटाया गया है।

घ) भारत एवं विदेशों में आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों की आय/व्यय उसी वर्ष में दिखाये गये हैं, जिस वर्ष वे आयोजित किये गये हों। दीर्घावधि वाली प्रदर्शनियां, तीन माह या इससे अधिक अवधि की प्रदर्शनियां जो दो लेखा गणना अवधि में शामिल हों और जिसकी अधिकांश अवधि बाद की लेखा अवधि में हो, ऐसे मेलों का अधिशेष/घाटा उस वर्ष में दिखाया गया है, जिस वर्ष में मेले का समापन हुआ हो।

ङ) कम्पनी की प्रदर्शन–वस्तुओं एवं मेलों में प्रदर्शित आन्तरिक सजावट की वस्तुओं की लागत को राजस्व व्यय माना गया है। किन्तु नयी प्रदर्शन–वस्तुओं के स्टाक को भविष्य में आयोजित होने वाले मेलों में उपयोग किये जाने हेतु अन्तशेष स्टाक माना गया है।

च) जिन मामलों में बिल प्राप्त होने हैं तथा वर्तमान वर्ष से संबंधित व्यय किया जाता है उनके लिए अनुमानित आधार पर प्रावधान किये गये हैं।

छ) सिविल, बिजली और बागवानी कार्य के बारे में सी पी डब्ल्यू डी के माध्यम से किया गया व्यय उनके द्वारा दिये गये लेखों के आधार पर लगाया गया है।

ज) पिछले वर्षों से संबंधित आय एवं व्यय, जो प्रत्येक मामले में 10,000 रू. से अधिक नहीं है, को वर्तमान वर्ष का माना गया है।

झ) लाभांश से हुई आय को उस समय का मान कर गणना की जाती है, जब उसकी घोषणा की गई हो।

ञ) जिन मामलों में लाइसेंसधारकों के साथ करारों की अवधि पूरी हो गयी है, उसके बारे में देय राशि का अनन्तिम आकलन समाप्त हो गये ठेकों के आधार पर, उस मामले में अन्तिम निर्णय लिये जाने/संशोधित ठेका दिया जाने की तिथि तक किया गया है।

2. स्थायी परिसम्पत्तियां

स्थायी परिसम्पत्तियां लागत, प्राप्त निवल अनुदानों तथा/अथवा संचित मूल्यह्रास पर बतायी गयी हैं।

3. मूल्यह्रास

i) 5000 रु. अथवा उससे कम लागत वाली अलग–अलग परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास 100 प्रतिशत की दर से लगाया गया है।

ii) मूल्यह्रास का आकलन प्रबन्धन द्वारा निर्धारित दरों पर परिवर्धन/विलोपन के माह से/तक प्रोरेटा आधार पर स्ट्रेट लाइन पद्धति से किया गया है। ये दरें कम्पनी अधिनियम 1956 में निर्धारित दरों से कम नहीं हैं।

iii) स्थायी पट्टा आधार पर प्राप्त पट्टे वाली जमीन का परिशोधन नहीं किया जा रहा है।

4. अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां

आन्तरिक रूप से उपार्जित या विकसित साफ्टवेयर की लागत को आस्थगित रूप से राजस्व व्यय माना गया है तथा जिस वर्ष में साफ्टवेयर प्रयोग के लिए उपलब्ध हुआ है उस वर्ष से तीन वर्षों में समान रूप से बट्टे–खाते में डाला गया है।

5. निवेश

वर्तमान निवेश कम लागत तथा बाजार मूल्य पर किये गये हैं। दीर्घावधि निवेश लागत पर बताये गये हैं। दीर्घावधि निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान तभी किया गया है जब मूल्य में कमी प्रबन्धन के विचार से अस्थायी से इतर हो।

6. कर्मचारियों के हितलाभ

i) कम्पनी ने भूतपूर्व ट्रेड डेवलपमेन्ट अथारिटी की परिसम्पत्तियां एवं देयताएं 1 जनवरी 1992 को यथास्थिति अधिग्रहीत की हैं। भूतपूर्व ट्रेड डेवलपमेंट

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

अथारिटी तथा इस कम्पनी के सेवा नियम कुछ मामलों में भिन्न हैं।

परिलब्धियों का आकलन करने हेतु उनके अपने–अपने नियम लागू किये जाते हैं तथा तदनुसार प्रावधान किये गये हैं।

ii) ग्रेच्युटी तथा छुट्टियों के नगदीकरण हेतु देयताएं, इस विषय में संगठन के नियमों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के अन्त में एक्चुरिअल मूल्यांकन के आधार पर तय की गयी है।

7. चालू परिसम्पत्तियां

i) विविध–देनदारी तथा अग्रिम के लिए तीन वर्ष से अधिक अवधि से बाकी देयताओं के बारे में सन्दिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान निवल, अथवा जिन मामलों में कम्पनी को वसूली की आशा है, उनको छोड़ कर अन्यथा बताये गये हैं।

ii) सम्पत्ति–सूची का मूल्य न्यूनतम लागत एवं निवल वसूली योग्य मूल्य पर तय किया गया है।

8. विदेशी मुद्राएं

i) चालू परिसम्पत्तियां एवं चालू देयताएं तुलन–पत्र की तिथि को लागू विनिमय–दर पर बतायी गयी हैं तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाला अन्तर विनिमय में लाभ अथवा हानि के रूप में दिखाया गया है।

ii) विदेशी मुद्रा में होने वाले लेन–देन से सम्बन्धित आय एवं व्यय की मदें विदेश भेजी गयी धनराशि की औसत दर पर बतायी गयी हैं।

iii) स्थायी परिसम्पत्तियां जिस वर्ष में प्राप्त की गयी थी, उस वर्ष की रेमिटेंस की औसत दर पर बतायी गयी हैं। यदि पहले के फण्डों का उपयोग हो गया हो तो मुद्रा विनिमय के प्रयोजन हेतु पिछली प्रेषित धनराशि की औसत दर ली गयी है।

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

21. लेखों की अंगभूत टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

कम्पनी के विरूद्ध किये गये ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है।	**6,63,75,030 रु.** (5,68,63,878 रु.)

टिप्पण :

(i) दो मामलों में न्यायालयों में 41,92,427 रु. की धनराशि जमा की गई है।

(ii) कुछ विशिष्ट हितलाभों के लिए कर्मचारियों द्वारा किये गये दावों के लिए प्रावधान नहीं किये गये हैं, क्योंकि उनकी धनराशि सुनिश्चित नहीं हैं।

2. निष्पादित न किए गए करारों की अनुमानित राशि पूंजीगत लेखे में है और 38.02 करोड़ रू. (36.62 करोड़ रू.) का प्रावधान नहीं किया गया है।

3. क) कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत निगमित है तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12क के अन्तर्गत चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में भी पंजीकृत है। तदनुसार कम्पनी को कर निर्धारण वर्ष 1989–90 और उससे आगे अपनी आय के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) (iv) के अन्तर्गत आयकर के भुगतान से छूट दी गयी है।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15) में स्पष्ट की गई 'चेरीटेबल उद्देश्य' की परिभाषा को वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है। तथापि विशेषज्ञ के मतानुसार, कम्पनी के कार्यकलाप आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15) के संशोधित प्रावधानों के मानदण्डों के अन्तर्गत आते हैं। इस दृष्टि से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के अन्तर्गत कम्पनी को प्राप्त छूट की दृष्टि से लेखे में आयकर का प्रावधान नहीं किया गया है। इसी प्रकार, इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखा मानक–22 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

ख) आयकर विभाग के निर्देशों पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 142 (2क) के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 2003–04 के लिए फरवरी–अगस्त 2005 अवधि के दौरान चार्टरित लेखापालों की एक फर्म द्वारा विशेष लेखा परीक्षा की गई थी तथा फरवरी 2008 में आयकर विभाग ने आई टी पी ओ को निर्देश दिया कि विशेष लेखा परीक्षकों को सेवा कर सहित 33,02,250 रुपये का पारिश्रमिक का भुगतान करें। कम्पनी का विचार है कि आयकर विभाग ने जो शुल्क निर्धारित किया है वह अधिक है और इसीलिए आयकर विभाग के आदेशों के विरुद्ध 25 अप्रैल 2008 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। दिनांक 6 मई 2008 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में कम्पनी ने कोर्ट की रजिस्ट्री में 7 लाख रुपये जमा किये हैं, चूंकि विशेष लेखा परीक्षा शुल्क की मात्रा निश्चित नहीं की गई है, अतः लेखाबहियों में उक्त हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4. 31 मार्च 2009 को विद्यमान स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन चार्टरित लेखापालों की एक फर्म ने किया था। प्रत्यक्ष सत्यापन रिकार्ड तथा बुक बैलेंस की रिपोर्ट में दिखायी गयी भिन्नता की जांच/पुनर्मिलान किया जा रहा है। इस प्रकार इस समय इसके परिणामस्वरूप होने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो तो, निश्चित नहीं किया जा सकता है और इसीलिए इसे गणना में नहीं दिखाया गया है।

5. दिनांक 26.11.2008 को लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक उद्यमों को अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान, पर्क और भत्तों के अलावा कार्य–निष्पादन सम्बद्ध वेतन का भुगतान करने की अनुमति है। कार्य निष्पादन सम्बद्ध वेतन की योजना को अभी तक कम्पनी ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है, क्योंकि दिशा–निर्देशों के अनुसार कुछ प्रशासनिक औपचारिकताएं अभी पूरी नहीं की गई हैं।

कार्य निष्पादन सम्बद्ध योजना को स्वीकृति मिलने तक वर्ष 2008–09 के दौरान लेखाओं में 4.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा, वर्ष 2009–10 के लिए भी लेखाओं में 3.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार पी.आर.पी. योजना के लिए लेखा पुस्तकों में 8.30 करोड़ रुपये का संचयी प्रावधान किया गया है।

वर्ष के दौरान वर्ष 2008–09 के लिए किये गये प्रावधान की तुलना में 2.29 करोड़ रु. की राशि तदर्थ भुगतान "ब्याज मुक्त अग्रिम राशि" के रूप में इस शर्त पर निर्गत की गई थी कि भुगतान की गई राशि इस बारे में कम्पनी द्वारा निर्णय किये जाने के बाद वसूल की जायेगी अथवा समायोजित की जायेगी।

6. क) **88,987 रुपये** (88,987 रुपये) की राशि को 'अन्य देयताओं' में शामिल किया गया है जो बैंकों में जमा राशि की द्योतक है जिसके समायोजन के लिए उनके ब्यौरों के आने की प्रतीक्षा है।

ख) विदेशी बैंकों में **6,43,156 रु.** (88,990 रु.) की राशि की सम्बन्धित बैंकों द्वारा पुष्टि नहीं की गई है।

7. क) 16,49,80,808 रु. **(14,47,94,805 रु.)** के स्थान किराए के बारे में पार्टियों से विवाद होने के कारण इन धनराशि का लेखा–जोखा नहीं दिया गया है।

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

ख) थर्ड पार्टी मेला आयोजकों द्वारा कुछ मेलों को रद्द करने के कारण जुर्माने की राशि के लिए 233.42 लाख रुपये (184.10 लाख रुपये) की राशि को आय नहीं माना गया है क्योंकि जुर्माने की राशि पार्टियों द्वारा जमा की गई राशि से अधिक है। कम्पनी के पास उपलब्ध जमा ऋण से ज्यादा राशि है, यद्यपि इसकी गणना की गई है। चूंकि बकाया जुर्माने की वसूली की संभावना संदिग्ध है, इसीलिए इसकी गणना राशि की वसूली/समायोजन के समय की जाएगी। यह प्रकटीकरण इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी गणना मानक–9 के अनुसार किया गया है।

8. व्यय में कम्पनी के निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में हुए निम्नलिखित व्यय शामिल हैं :

क)	वेतन तथा भत्ते	**17,04,000 रु.** (15,76,626 रु.)
ख)	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	**42,375 रु.** (72,525 रु.)
ग)	छुट्टी यात्रा रियायत	**56,240 रु.** (शून्य रु.)
घ)	विदेश सेवा अंशदान	**71,446 रु.** (1,22,053 रु.)
ङ)	कार्य निष्पादन सम्बद्ध वेतन	**93,344 रु.** (1,33,606 रु.)
च)	आयकर नियमों के अनुसार अनुलाभों का मूल्य	**93,162 रु.** (शून्य रु.)

9. विभिन्न पार्टियों को/द्वारा देय राशियों का, यदि कोई हो तो, निर्धारण, उनकी पुष्टि, मिलान तथा/अथवा समायोजन के आधार पर किया जाता है।

10. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मनोरंजन कर विभाग ने 1996–97 से 1998–99 तक के वर्षों के लिए प्रगति मैदान परिसर में प्रवेश टिकटों की बिक्री पर मनोरंजन कर की मांग की है जिसका कम्पनी ने विरोध किया है। वित्त आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने अपने 30.11.2007 के आदेश द्वारा इसे रद्द कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने वित्त आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अप्रैल 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है।

इसके अलावा, 1999–2000 से 2006–07 तक की अवधि के लिए कर निर्धारण को अभी पूरा किया जाना है। वित्त आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने 1996–97 से 1998–99 तक की मनोरंजन कर की मांग को छोड़ दिया है तथा कम्पनी को आशा है कि 1999–2000 से 2006–07 तक की अवधि के लिए कम्पनी को प्रगति मैदान में टिकटों की बिक्री पर मनोरंजन कर की कोई देयता नहीं होगी। यद्यपि, दिल्ली उच्च न्यायालय में मनोरंजन कर विभाग द्वारा दायर की गई याचिका के कारण देयता निर्धारित किए जाने पर 1996–97 से 2006–07 की अवधि के लिए मनोरंजन कर और उस पर दिए जाने वाले ब्याज के लिए कुल देयता 1420.43 लाख रुपये की बनती है। लेखा बहियों में इस मामले के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा जारी दिनांक 23.01.2007 की अधिसूचना के अनुसार प्रदर्शनी अवधि के दौरान प्रगति मैदान परिसर में प्रवेश टिकटों की बिक्री पर मनोरंजन कर से छूट दी गई है, बशर्ते टिकट का मूल्य प्रति व्यक्ति 500 रुपये से अधिक न हो। चूंकि 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान प्रगति मैदान परिसर में प्रवेश टिकटों की दर 500 रुपये प्रति व्यक्ति से कम थी, अतः कम्पनी ने कोई "मनोरंजन कर" नहीं देना है।

11. अक्तूबर, 2010 में आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रमण्डल खेल (सी.डब्ल्यू.जी.) नई दिल्ली के लिए भारत सरकार ने प्रगति मैदान परिसर में मीडिया केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है। मीडिया केन्द्र के सुचारू संचालन के लिए प्रगति मैदान परिसर में राजस्व/पूंजीगत व्यय की विभिन्न परियोजनाओं और स्थल के उपयोग के लिए सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने 15 जनवरी, 2010 के आदेश सं. 10/34/2009–बी(फिन) के द्वारा कम्पनी के लिए 75.77 करोड़ रु. की धनराशि स्वीकृत की है। इसके लिए कम्पनी ने कुछ प्रदर्शनी हाल राष्ट्रमण्डल खेल अधिकारियों को 1 अप्रैल से 31 अक्तूबर, 2010 तक की अवधि के लिए सौंप दिये हैं।

75.77 करोड़ रु. की स्वीकृत धनराशि में से सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने 31 मार्च, 2010 तक तदर्थ आधार पर 31 मार्च, 2010 तक कम्पनी को 41 करोड़ रु. की धनराशि जारी की थी। इसके अलावा, राष्ट्रमण्डल खेल 2010 से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिये कम्पनी ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को 10 करोड़ रू. की अग्रिम राशि जारी की हैं। इसके अलावा, कम्पनी ने 0.10 करोड़ रु. की धनराशि का राजस्व व्यय भी किया है। वर्ष 2009–2010 के लेखाओं में 30.90 करोड़ रू. की शेष निवल जमाराशि "पार्टियों से अग्रिम/जमा राशि" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाई गई है। चूंकि राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 अगले वित्तीय वर्ष में आयोजित किये जायेंगे, इसीलिए, सभी समायोजन प्रविष्टियाँ वर्ष 2010–11 के लेखाओं में शामिल की जायेंगी।

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

12. वर्ष 2007–08 के दौरान, भूमि एवं विकास कार्यालय, शहरी विकास मन्त्रालय ने अपने दिनांक 29.8.2007 के पत्रांक एल–II 14 (457) द्वारा कम्पनी से प्रगति मैदान परिसर के बारे में 499.62 करोड़ रुपये की मांग की है। जो अप्पू घर को आबंटित क्षेत्र के लिए पुनरीक्षित लाइसेन्स शुल्क, क्योस्कों और रेस्तराओं आदि के बारे में दुरूपयोग प्रभार और प्रगति मैदान परिसर का अदा नहीं किया गया भूमि किराया और उन पर विलम्ब से किये गये भुगतान पर ब्याज से सम्बन्धित है। कम्पनी ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा इस मांग का विरोध किया है तथा गत वर्षों में इसके लिए बहीखातों में प्रावधान नहीं किया है।

भूमि एवं विकास कार्यालय ने 1 जुलाई, 2010 के पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि प्रगति मैदान परिसर के पट्टा एवं अन्य प्रभारों से सम्बन्धित मुद्दों का समाधान करने के लिए गठित सचिवों की समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने के पश्चात्, भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2007 के पत्र द्वारा की गई मांग संशोधित होकर 22.24 करोड़ रु. हो गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	मांग मद	पहले की गई मांग	संशोधित माँग
1	अप्पू घर को आबंटित क्षेत्र के लिए संशोधित लाइसेन्स शुल्क	325.15	2.49
2	क्योस्कों और रेस्टोरेन्टों आदि के बारे में दुरूपयोग प्रभार इत्यादि	173.35	18.73
3	प्रगति मैदान परिसर के भूमि–किराये की अदा नहीं की गई धनराशि और उस राशि पर ब्याज	1.12	1.02
	कुल	**499.62**	**22.24**

संशोधित माँग कम्पनी ने सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार कर ली है। समायोजनों और समाधान की शर्त के अधीन 2 जुलाई, 2010 को 22.24 करोड़ रू. का भुगतान भूमि एवं विकास कार्यालय को जारी कर दिया गया है। माँग पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित होने के कारण असाधारण मदों को डेबिट करके वर्ष 2009–10 के लेखाओं में 22.24 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

13. एक थर्ड पार्टी मेला आयोजक ने जुलाई, 2008 में प्रगति मैदान परिसर में प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए लाउन्ज सहित प्रदर्शनी हाल और सम्मेलन हाल बुक किये थे। प्रदर्शनी हाल सं. 7 का एक हिस्सा, जो उनके कब्जे में था, आग लगने से नष्ट हो गया। अग्निकांड के कारण, कम्पनी की प्रतिष्ठा और उसके राजस्व की क्षति के अलावा कम्पनी की सम्पत्ति और आधारभूत ढाँचे को नुकसान पहुँचा। तदनुसार, मार्च 2009 में कम्पनी ने मध्यस्थ के समक्ष 16.15 करोड़ रु. और 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के लिए दावा किया है।

बाद में नवम्बर, 2009 में उक्त मेला आयोजक ने भी कम्पनी पर 7.82 करोड़ रूपये की धनराशि और उस पर 12 प्रतिशत ब्याज के लिए दावा दायर किया है। मध्यस्थ ने 29 अप्रैल, 2010 के अपने आदेश के द्वारा निर्देश दिया कि मार्च, 2009 में कम्पनी द्वारा दायर किये गये दावे को प्रतिदावा माना जाय। उक्त मामले में कार्यवाही चालू होने के कारण, दावे/प्रतिदावे के लिए लेखाओं में कोई भी लेखा प्रविष्टियाँ नहीं की गई हैं।

14. कम्पनी ने 50 लाख रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ दिसम्बर 2000 में कर्नाटक सरकार के उपक्रम – कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के.आई.ए.डी.बी.) के सहयोग से एक सहायक कम्पनी – कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ) की स्थापना की थी। कम्पनी ने पिछले वर्षों के दौरान अपनी 51 प्रतिशत शेयर पूंजी के अपने अंशदान के रूप में 25.50 लाख रुपये का भुगतान किया था। इसके अतिरिक्त, सह–प्रवर्तकों के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार कम्पनी को एक प्रदर्शनी हाल के निर्माण के लिए के टी पी ओ को सहयोग करना था और विकसित भूमि के आई ए डी बी द्वारा दी जानी थी।

तदनुसार, आईटीपीओ ने 1793.77 लाख रुपये की कुल लागत से एक प्रदर्शनी हाल का निर्माण किया और उसे वर्ष 2005–06 के दौरान के टी पी ओ के सुपुर्द कर दिया गया। प्रदर्शनी हाल के निर्माण के लिए वाणिज्य विभाग ने आईटीपीओ को 1,325.33 लाख रुपये का अनुदान दिया था।

कम्पनी के निदेशक मण्डल की 9.9.2004 को हुई 133वीं बैठक में भी यह नोट किया गया कि के टी पी ओ की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2000 लाख रुपये किया गया है। यह भी नोट किया गया कि कम्पनी द्वारा 1020 लाख रुपये के व्यय से निर्मित प्रदर्शनी हाल के योगदान तथा के आई ए डी बी द्वारा 980 लाख रुपये के व्यय से विकसित भूमि को के टी पी ओ में पूंजीगत अंशदान माना जायेगा। दोनों सह–प्रवर्तकों द्वारा उपर्युक्त

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

राशि से अधिक खर्च की गई राशि के टी पी ओ में ब्याज रहित अधीनस्थ ऋण मानी जायेगी जिसे के टी पी ओ वाणिज्यिक कार्यकलाप आरम्भ कर देने के बाद अपनी वार्षिक समीक्षा एवं नकदी प्रवाह की स्थिति के अनुसार वापस करेगा। सह–प्रवर्तकों द्वारा संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने तक लेखा पुस्तकों में तदनुसार समायोजन किया गया है। 1020 लाख रुपये के कुल पूंजी अंशदान में से के टी पी ओ द्वारा कम्पनी को 994.50 लाख रुपये के शेयर प्रमाणपत्र अभी जारी किये जाने हैं।

15. कम्पनी ने 50 लाख रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ नवम्बर 2000 में तमिलनाडु सरकार के उपक्रम – तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टी आई डी सी ओ) के सहयोग से एक सहायक कम्पनी – तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ) की स्थापना की थी। टी एन टी पी ओ की अभिदत्त पूंजी एक लाख रुपये हैं जिसमें आई टी पी ओ ने पिछले वर्षों में अपने 51 प्रतिशत अंशदान के रूप में 51 हजार रुपये का भुगतान किया था।

    सह–प्रवर्तकों के साथ किये गये समझौता ज्ञापन के अनुसार, आई टी पी ओ को टी एन टी पी ओ के लिए एक प्रदर्शनी हाल का निर्माण करना था और विकसित भूमि, सह–प्रवर्तक टी आई डी सी ओ द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी। तदनुसार, कम्पनी द्वारा प्रदर्शनी हाल के निर्माण में 1637.48 लाख रुपये खर्च किए गए। वाणिज्य विभाग ने प्रदर्शनी हाल के निर्माण के लिए आईटीपीओ को 1,206.40 लाख रुपये का अनुदान दिया था।

    वर्ष 2002–03 के दौरान, सह–प्रर्वतक ने तमिलनाडु सरकार के साथ परामर्श कर, टी एन टी पी ओ को राज्य सरकार द्वारा दी गई भूमि और आई टी पी ओ द्वारा बनाए गए हाल की समीक्षा की। तमिलनाडु सरकार ने अपने दिनांक 03.02.2003 के जी.ओ.एम.एस. नं. 28 के अनुसार निर्णय किया कि टी आई डी सी ओ पट्टे के किराए के रूप में प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये अदा करेगा और आई टी पी ओ द्वारा बनवाए गए प्रदर्शनी हाल के खर्चे की पचास प्रतिशत राशि टी एन टी पी ओ 40 त्रैमासिक किस्तों में आई टी पी ओ को वापस करेगा। दिनांक 03.02.2003 के जी ओ के नियम एवं शर्तों को कम्पनी द्वारा स्वीकार किया जाना अभी बाकी है। संशोधित शर्तों के करार को देखते हुए टी एन टी पी ओ द्वारा प्रतिदेय राशि के सम्बन्ध में कम्पनी के लेखा खातों में कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है।

16. दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से कोई मांग न होने के कारण स्टाफ क्वार्टर के निर्माण में विलम्ब हेतु किसी प्रकार की देयता का प्रावधान नहीं किया है क्योंकि इस सम्बन्ध में समय सीमा बढ़ाने सम्बन्धी अनुरोध डी डी ए के पास लम्बित है।

17. भूतपूर्व टी एफ ए आई एवं टी डी ए के अंशदायी भविष्य निधि कोष के 31 मार्च, 2009 तक के खातों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इसीलिए कम्पनी के खाते में ट्रस्ट की हानि के लिए, यदि कोई हुई तो, चालू वर्ष के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इस स्तर पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता।

18. कम्पनी को अपने आपूर्तिकताओं/देनदारों से सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम 2006 में परिभाषित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के रूप में उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए, 31 मार्च, 2010 को सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को ब्याज सहित देय राशि, यदि कोई हो तो, निर्धारित नहीं किया जा सकता।

19. सरकार के आदेश पर कम्पनी द्वारा आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों के लिए 317.41 लाख रुपये (374.28 लाख रुपये) की सब्सिडी को राजस्व सहायता माना गया है। सब्सिडी को सरकार की स्वीकृति/वचनबद्धता शर्तों के अनुसार आकलित किया गया है।

20. वर्ष के दौरान 164.56 लाख रु. लागत–मूल्यह्रास 8.18 लाख रू. (1.41 लाख रू. मूल्यह्रास–0.07 लाख रू.) की परिसम्पत्तियों और सर्विस न किए जाने योग्य सामग्री की नीलामी की गई थी। चूंकि परिसम्पत्तियों में प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, नीलामी के समय मूल्यह्रास – मूल्य लिया गया था।

21. क) विदेशी मुद्रा में व्यय इस प्रकार है :–

i)	विदेश यात्रा	**95,08,331 रु.** (92,27,732 रु.)
ii)	मेले तथा प्रदर्शनियां	**16,66,48,298 रु.** (14,83,54,812 रु.)
iii)	अन्य	**5,80,31,254 रु.** (5,11,44,021 रु.)

    ख) विदेशी मुद्रा में आय इस प्रकार है :–

i)	स्थान किराया	**12,71,41,025 रु.** (11,67,67,515 रु.)
ii)	अन्य प्राप्तियां	**14,25,899 रु.** (10,96,181 रु.)

22. 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष की ब्यौरेवार रिपोर्ट

(i) प्रारंभिक भौगोलिक ब्यौरों के बारे में जानकारी

(लाख रुपये में)

	भारत में व्यापार संवर्धन गतिविधियां	विदेशों में व्यापार संवर्धन गतिविधियां	अनिर्धारित	कुल
राजस्व				
बाह्य	16256.90 (13856.82)	2118.11 (1897.47)	- -	18375.01 (15754.29)
इण्टर–सैगमेन्ट	-	-	-	-
कुल राजस्व	**16256.90** (13856.82)	**2118.11** (1897.47)	- -	**18375.01** (15754.29)
परिणाम				
सैगमेन्ट परिणाम	5860.42 (4336.36)	-1105.31 (- 1158.09)	- -	4755.11 (3178.27)
अनिर्धारित आय का अनिर्धारित व्यय निवल			-348.45 (- 142.20)	-348.45 (-142.20)
ब्याज/लाभांश आय			5663.25 (5490.70)	5663.25 (5490.70)
अधिशेष कराधान एवं अपवादात्मक मदों से पूर्व				10069.91 (8526.77)
पूर्वकालिक समायोजन (निवल)				88.61 (37.15)
असाधारण मदें				2223.97 (शून्य)
व्यय से अधिक आय				**7757.33** **(8563.92)**
अन्य सूचनायें				
सैगमेन्ट परिसम्पत्तियॉं	10315.38 (5901.40)	1117.34 (1084.40)	76758.13 (67380.04)	88190.85 (74365.84)
सैगमेन्ट देनदारियॉं	9262.65 (4023.97)	2726.33 (957.83)	5530.33 (6469.83)	17519.31 (11451.63)
पूंजीगत व्यय	1100.98 (263.31)	0.41 (3.49)	- -	1101.39 (266.80)
मूल्यह्रास	261.62 (354.79)	2.31 (2.72)	- -	263.93 (357.51)
बट्टे खाते में डाला गया आस्थगित राजस्व व्यय	3.24 (4.77)	- -	- -	3.24 (4.77)
मूल्यह्रास के अतिरिक्त गैर–नकदी खर्च	-	-	-	-

(ii) कम्पनी के पास कोई अन्य सेकिण्डरी सैगमेन्ट नहीं है।

टिप्पणी :

(क) अनिर्धारित खर्चों में 10 प्रतिशत स्थापनागत एवं कार्यालय खर्च शामिल हैं। इनसे संबंधित राजस्वों के आधार पर बकाया का अन्य ब्यौरों के मध्य आबंटन किया गया है।

(ख) अनिर्धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में वे शामिल हैं जिनकी किसी विशिष्ट ब्यौरे में पहचान करना संभव नहीं है।

23. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं, जिनका आवश्यकतानुसार पुनः हिसाब और वर्गीकरण किया गया है।

24. कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार अतिरिक्त सूचना संलग्न अनुबंध में दी गई है।

ह./-
(ए. के. खन्ना)
वरिष्ठ महाप्रबन्धक, वित्तीय सलाहकार
तथा कम्पनी सचिव

ह./-
(नीरज कुमार गुप्ता)
कार्यकारी निदेशक

ह./-
(डा. सुवास पाणि)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते तिवारी ऐण्ड एसोसिएट्स
चार्टरित लेखाकार

ह./-
(संदीप शाण्डिल्य)
साझेदार
सदस्यता सं. 85747
एफ.आर.एन.–002870एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अगस्त, 2010

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार अतिरिक्त जानकारी तुलन–पत्र का सार एवं कम्पनी का सामान्य कार्य ब्यौरा

I. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या	0 5 5 - 8 4 5 3	राज्य कोड	5 5
तुलन–पत्र की तिथि	3 1 (दिनांक) 0 3 (महीना) 1 0 (वर्ष)		

II. वर्ष के दौरान बढ़ाई गई पूंजी (राशि हजार रु. में)

सार्वजनिक निर्गम	शून्य	राइट निर्गम	शून्य
बोनस निर्गम	शून्य	निजी व्यवस्था	शून्य

III. निधियों को जुटाने एवं परियोजन की स्थिति (राशि हजार रु. में)

कुल देयताएं	8 8 1 9 0 8 5	कुल परिसम्पत्तियां	8 8 1 9 0 8 5
निधियों के स्रोत			
प्रदत्त पूंजी	2 5 0 0	आरक्षित एवं अधिशेष	7 0 6 4 6 5 4
संरक्षित ऋण	शून्य	अनारक्षित ऋण	शून्य
निधियों का उपयोग			
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां	4 0 6 9 9 8	निवेश	1 2 3 8 7 0
निवल चालू परिसम्पत्तियां	6 5 3 6 0 4 0	विविध व्यय	2 4 6
संचित घाटा	शून्य		

IV. कम्पनी का कार्य निष्पादन (राशि हजार रु. में)

कारोबार (स्टाक समायोजन एवं अन्य आय सहित)	2 3 8 7 1 7 4	कुल व्यय	1 6 1 1 4 4 1
कर–पूर्व लाभ	7 7 5 7 3 3	कर पश्चात् लाभ	7 7 5 7 3 3
प्रति शेयर अर्जन रु. में	लागू नहीं होता*	लाभांश दर	शून्य

V. कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के वर्गगत नाम (मद कोड संख्या)

(आई टी सी कोड)		लागू नहीं होता
उत्पाद विवरण		

ह./-	ह./-	ह./-
(ए. के. खन्ना)	**(नीरज कुमार गुप्ता)**	**(डा. सुवास पाणि)**
वरिष्ठ महाप्रबन्धक, वित्तीय सलाहकार तथा कम्पनी सचिव	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

*आई टी पी ओ कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत है, तदनुसार आई सी ए आई द्वारा जारी लेखा–गणना मानक–20 "प्रति शेयर आय" कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

31.03.2010 को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो विवरण

(रुपये लाख में)

	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का		31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का	
क. परिचालन गतिविधियों से कैश फ्लो				
कर एवं असाधारण मदों से पूर्व व्यय से अधिक आय		9981.30		8563.92
समायोजन : निम्नलिखित मदों के लिए				
मूल्यह्रास :-				
वर्ष के लिए	263.93		357.51	
पिछली अवधि के लिए	6.66		-	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से हुई हानि/लाभ	(0.59)		(12.65)	
प्रावधान	125.98		131.69	
ऐसे प्रावधान/देयताएं जो अब अपेक्षित नहीं हैं	(343.02)		(457.95)	
ब्याज से हुई आय	(5,816.83)		(5,771.86)	
बट्टेखाते में डाली गई परिसंपत्तियां	1.11		0.29	
बट्टेखाते में डाला गया आस्थगित राजस्व व्यय	3.24	(5,759.52)	4.77	(5,748.20)
कार्यशील पूंजी विनिमय से पूर्व परिचालन अधिशेष		**4,221.78**		**2,815.72**
समायोजन : निम्नलिखित मदों के लिए				
विविध देनदार एवं अन्य प्राप्य में (बढ़ोतरी)/कमी	(184.09)		(664.10)	
अग्रिम में (बढ़ोतरी)/कमी	(2,728.95)		(608.14)	
चालू परिसंपत्तियों एवं प्रावधानों में बढ़ोत्तरी/कमी	6,410.70	3,497.66	1,060.90	(211.34)
असाधारण मदों से पहले परिचालन से प्राप्त नकद राशि		**7,719.44**		**2,604.38**
घटाइए : असाधारण मदें		**2,223.97**		-
संचालनशील गतिविधियों से निवल कैश फ्लो (क)		**5,495.47**		**2,604.38**
ख. निवेशी गतिविधियों से कैश फ्लो				
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद		(1,101.39)		(266.80)
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री		10.86		15.41
निवेश एवं इंटरकारपोरेट जमा		5,998.95		(5,612.05)
ब्याज से आय		5,816.83		5,771.86
पूंजी रिजर्व में कमी		-		10.37
वर्ष के दौरान किया गया आस्थगित राजस्व व्यय		-		(7.37)
निवेशी गतिविधियों से निवल नकदी (ख)		**10,725.25**		**(88.58)**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी (ग)		शून्य		शून्य
नकदी एवं नकदी तुल्य राशि में निवल बढ़ोत्तरी (क) +(ख)+(ग)		16,220.72		2,515.80
वर्ष के आरम्भ में नकदी एवं नकदी तुल्य राशि		52,887.79		50,371.99
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी तुल्य राशि		**69,108.51**		**52,887.79**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी तुल्य के संघटक				
अपने पास विद्यमान नकदी एवं नकदी तुल्य राशि		33.90		52.60
बैंकों में बकाया – चालू एवं बचत खातों में		10,979.61		2,997.39
बैंकों में बकाया – जमाखातों में		58,095.00		49,837.80
		69,108.51		**52,887.79**

टिप्पणी : पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक था, पुनः वर्गीकृत किया गया है।

ह./-	ह./-	ह./-
(ए. के. खन्ना)	**(नीरज कुमार गुप्ता)**	**(डा. सुवास पाणि)**
वरिष्ठ महाप्रबन्धक, वित्तीय सलाहकार तथा कम्पनी सचिव	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

हमने इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए उपर्युक्त कैश फ्लो विवरण की जांच कर ली है। यह विवरण इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण मानक–3 की शर्तों के अनुसार तैयार किया गया है तथा कम्पनी के सदस्यों को 31 अगस्त, 2010 को दी गयी हमारी रिपोर्ट के अनुसार कम्पनी के तुलन–पत्र तथा आय–व्यय लेखे पर आधारित है।

तिवारी ऐण्ड एसोसिएट्स
चार्टरित लेखाकार
ह./-
(संदीप शाण्डिल्य)
साझेदार
सदस्यता सं. 85747
एफ.आर.एन.–002870 एन

अनुषंगी कम्पनियां

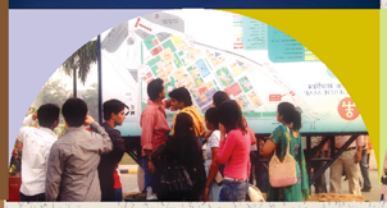

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

निदेशकों की रिपोर्ट

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन का निदेशक मंडल 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्त वर्ष के परीक्षित लेखे तथा संगठन की नौवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

मुख्य वित्तीय विशेषताएं

संगठन की गतिविधियों से पिछले वर्ष के 860 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 2009–10 में 43 लाख रुपये का अधिशेष प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष में 1576 लाख रुपये की तुलना में वर्ष के दौरान 1450 लाख रुपये की कुल संचालन आय हुई। आय में यह कमी विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी के कारण सात प्रदर्शनियों का आयोजन निरस्त हो जाने के कारण हुई। कुल व्यय पिछले वर्ष के 935 लाख रुपये के मुकाबले इस वर्ष 1659 लाख रु० का था। कुल व्यय में वर्ष 2001–02 से 2009–10 के लिए 900 लाख रु० के पट्टा किराये का प्रावधान करना शामिल है जिसके कारण अधिशेष राशि घट गयी। अन्यथा कम्पनी का अधिशेष 43 लाख रु० के बजाय 943 लाख रु० होता।

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत है। इस कारण यह किसी लाभांश की घोषणा नहीं करती। इसीलिए व्यय से अधिक आय को आरक्षित और अधिशेष खातों में प्रतिधारित और अन्तरित कर दिया गया है।

I. रेखा चित्र द्वारा आय एवं व्यय का दिग्दर्शन

आंकड़े लाख रु. में

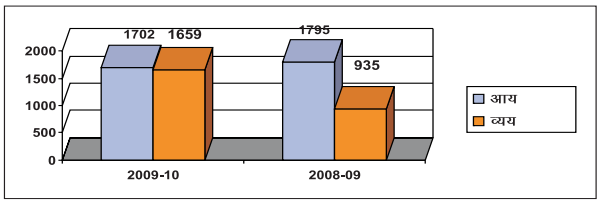

II. रेखा चित्र में आय के मुकाबले व्यय और अधिशेष दिखाया गया है।

आंकड़े लाख रु. में

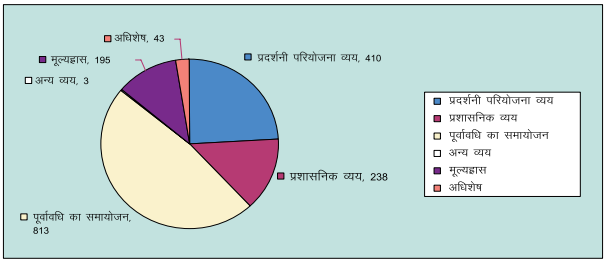

निदेशक मंडल

डा. शीला भिडे के स्थान पर 07.08.2009 को डा. सुवास चन्द्र पाणि ने टी एन टी पी ओ के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्री एम. वल्लालर के स्थान पर 01.03.2009 को श्री के.एस. काण्डासामी ने टी एन टी पी ओ के प्रबन्ध निदेशक का कार्य ग्रहण किया। बोर्ड पदमुक्त होने वाले निदेशकों द्वारा निदेशक के रूप में दी गई सेवाओं के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

बोर्ड के अन्य निदेशक हैं :–

क्र. सं.	निदेशक	से	तक
1.	श्री नीरज कुमार गुप्ता कार्यकारी निदेशक आई टी पी ओ	25.03.2010	जारी
2.	डा. सुतानू बेहूरिया अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	05.09.2007	जारी
3.	श्री राजीव रंजन मुख्य सचिव उद्योग विभाग, तमिलनाडु सरकार	23.12.2009	जारी
4.	श्री सुनील पालीवाल प्रबन्ध निदेशक टी आई डी सी ओ	25.03.2010	जारी
5.	श्री ए. के. खन्ना वरिष्ठ महाप्रबन्धक आई टी पी ओ	20.12.2007	जारी
6.	श्री बी. एलंगोवन महाप्रबन्धक टी आई डी सी ओ	26.10.2009	जारी
7.	श्री आर. कार्तिकेयन विकास प्रबन्धक टी आई डी सी ओ	20.12.2007	जारी

8.	श्री राजीव यादव भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक आई टी पी ओ	31.01.2005	25.03.2010
9.	श्री एम.एफ. फारूकी भूतपूर्व मुख्य सचिव उद्योग विभाग, तमिलनाडु सरकार	20.12.2007	23.12.2009
10.	श्रीमती अनीता प्रवीण भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक टी आई डी सी ओ	27.05.2009	25.03.2010

वर्ष के दौरान प्रदर्शनियां एवं मेले

टी एन टी पी ओ के प्रदर्शनी हाल एवं कन्वेंशन सेन्टर विशेषीकृत एवं सामान्य व्यापार मेले, सम्मेलन, सेमिनार, कारपोरेट वार्षिक दिवस समारोह आदि आयोजित करने हेतु व्यापार एवं उद्योग–जगत को उपलब्ध कराए गए। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी के बावजूद भी वर्ष 2009–10 के दौरान प्रदर्शनी हालों में 65 मेले तथा सम्मेलन केन्द्र में 82 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला 2010, अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णाभूषण प्रदर्शनी, जाक इण्टरनेशनल इण्टीरियर ऐण्ड एक्सटीरियर एक्स्पो 2009, कनक्ट 2009, इण्डिया इण्टरनेशनल बिल्ड एक्स्पो 2009, थाइलैण्ड एग्जीबिशन 2009, हैल्थ ऐण्ड ब्यूटी एक्स्पो, किड एक्स्पो, पार्टनरशिप समिट – 2010, इनसाइड ऐण्ड आउटसाइड मेगा शो 2009, आहार – चेन्नई 2009, इण्डिया इण्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट, फूड प्रो 2009, इण्डिया इण्टरनेशनल सी फूड शो 2010, और हिन्दू मेट्रोप्लस लाइफ – स्टाइल एक्स्पो – 2009 शामिल हैं।

भावी योजनाएं

यद्यपि हमारे पास उत्कृष्ट सुविधाएं हैं, हवाई अड्डे और पोर्ट के नजदीक स्थित हैं, अन्य शहरों से सड़क एवं संचार माध्यमों से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं किन्तु प्रदर्शनी केन्द्रों अथवा कभी–कभी मांग के मुकाबले हमारे प्रदर्शनी हालों का क्षेत्रफल काफी कम है। प्रायः प्रदर्शनी हेतु अपेक्षतः कम स्थान होने के कारण अनेक अन्तरराष्ट्रीय मेलों का आयोजन निरस्त हो रहा है। इसके लिए मेला आयोजकों की ओर से निरन्तर 20,000 वर्गमीटर से भी अधिक निर्मित प्रदर्शनी क्षेत्र की मांग आ रही है। इसीलिए उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देने में प्रदर्शनी उद्योग के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए व्यापार केन्द्र से लगी अतिरिक्त 9.31 एकड़ भूमि का तमिलनाडु सरकार से कब्जा लेकर हालों को और अधिक बड़ा करना जरूरी है।

टी एन टी पी ओ की वेबसाइट

प्रदर्शनी हालों एवं कन्वेन्शन सेन्टर में आयोजित होने वाले नवीनतम मेलों तथा अन्य गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए टी एन टी पी ओ अपनी कारपोरेट वेबसाइट www.chennaitradecentre.org को निरन्तर अपडेट करती रहती है। प्रदर्शनी हालों एवं कन्वेन्शन सेन्टर द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की संक्षिप्त जानकारी के लिए यह वेबसाइट बहुत उपयोगी है।

सावधि जमा

आपकी कम्पनी कोई सावधि जमा नहीं ले रही है। इसीलिए कम्पनी अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक तत्संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

लेखा–परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ने मैसर्स रमन एसोसिएट्स, चार्टरित लेखाकार को इस कम्पनी का सांविधिक लेखा–परीक्षक नियुक्त किया है।

ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी समायोजन और ग्रहण एवं उसमें अनुकूलन, विदेशी मुद्रा में आय तथा व्यय

कम्पनी किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा व्यापारिक कार्य नहीं करती है। अतः ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्यागिकी समायोजन और ग्रहण एवं उसमें अनुकूलन और विकास विषयक ब्यौरे इस पर लागू नहीं होते हैं। कम्पनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में ब्यौरों का प्रकटीकरण) नियमावली 1988 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (ड.) के प्रावधानों के अनुसार विदेशी मुद्रा में आय और व्यय की जानकारी नीचे दी गयी है। जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

मद	2009-10 रु.	2008-09 रु.
1. विदेशी मुद्रा में आय	**शून्य**	शून्य
2. उपयोग की गयी विदेशी मुद्रा		
(क) यात्रा व्यय	**2,32,455**	1,69,226
(ख) भागीदारी शुल्क	**2,47,579**	शून्य

कर्मचारियों से सम्बन्धित ब्यौरे

किसी भी कर्मचारी को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक वेतन नहीं मिला है।

लघु औद्योगिक इकाइयों को देय

आपकी कम्पनी पर लघु औद्योगिक इकाइयों को किसी प्रकार का देय बाकी नहीं है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व (कार्पोरेट गवर्नेंस)

कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 217 (2कक) के अनुपालन में आपके निदेशकगण 'निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण' का अनुमोदन

करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि :–

i. वार्षिक लेखा तैयार करने में लागू लेखा मानक मेटीरियल डिपार्चर के बारे में उचित स्पष्टीकरण के साथ अपनाए गए हैं।

ii. निदेशकों ने ऐसी लेखा गणना नीतियों का चयन किया है, उनका निरन्तर अनुपालन किया है तथा निर्णय, प्राक्कलन बनाए हैं जो वित्त वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी के मामलों और उस वर्ष कम्पनी को व्यय से अधिक हुई आय का सही एवं उचित तथ्यात्मक ब्यौरा प्रस्तुत करने में युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं।

iii. निदेशकों ने कम्पनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचाने हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने में उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।

iv. निदेशकों ने गोइंग कन्सर्न के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

आभार

निदेशकगण आपकी कम्पनी को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तमिलनाडु सरकार के उद्योग विभाग, आई टी पी ओ और टी आई डी सी ओ से निरन्तर मिले सहयोग के लिए उनका तथा उन कार्यक्रम आयोजकों/उनके प्रबन्धकों का, जिन्होंने चेन्नई व्यापार केन्द्र में प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया, आभार व्यक्त करते हैं।

साथ ही निदेशकगण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, चेन्नई मेट्रो जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड, भारत संचार निगम लिमिटेड, चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक एवं आई डी बी आई और अन्य एजेंसियों तथा व्यक्तियों से टी एन टी पी ओ को मिले सहयोग के लिए उनका भी आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कम्पनी मामले विभाग और लेखा परीक्षकों से मिले बहुमूल्य सहयोग के लिए उनका भी धन्यवाद करते हैं। अन्त में, आपके निदेशक टी एन टी पी ओ के कर्मचारियों की अपनी ड्यूटी के प्रति लगन और निष्ठा और सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह./-
ए. के. खन्ना
निदेशक

ह./-
के. एस. कण्डासामी
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 16.09.2010

स्वैच्छिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

कम्पनी का नाम : तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

कार्पोरेट पहचान सं.	:	यू91120 टी एन 2000 एन पी एल 046140
प्राधिकृत शेयर पूंजी	:	50,00,000 रु.
31 मार्च, 2010 को प्रदत्त पूंजी	:	1,00,000 रु.

सेवा में
सदस्यगण
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
'चेन्नई ट्रेड सेन्टर'
नं 6ए, 6बी, 6सी
माउन्ट–पूनामल्लै हाई रोड
नन्दम्बक्कम
चेन्नई–600 089

मैंने 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के बारे में कम्पनी अधिनियम, 1956 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और कम्पनी के अन्तर्नियमों और ज्ञापन में अन्तर्निविष्ट उपबन्धों के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टरों, अभिलखों, पुस्तकों और दस्तावेजों की जाँच की है। मेरे विचार से एवं मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा कम्पनी, इसके अधिकारियों एवं एजेन्टों द्वारा मुझे प्रस्तुत की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण और उपलब्ध कराये गए रिकार्ड, अभिलेखों और रजिस्टरों के आधार पर मेरे द्वारा की गई जाँच के अनुसार पूर्वोक्त वर्ष के, सम्बन्ध में, मैं प्रमाणित करता हूं कि :–

1. कम्पनी ने इस प्रमाणपत्र के अनुबन्ध 'क' में उल्लिखित सभी रजिस्टरों का रख–रखाव अधिनियम के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार किया है और उनमें कुछ प्रविष्टियों को रिकार्ड/अद्यतन किये जाने की आवश्यकता है।

2. कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड सरकारी कम्पनी है, जिसे कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्दों का प्रयोग न करने की छूट के लिए लाइसेन्स जारी किया गया है और कम्पनी के पास न्यूनतम निर्धारित प्रदत्त पूंजी है।

3. अधिसूचना सं. एस. ओ. 1578 दिनांक 1.7.1961 के साथ पठित धारा 285 के उपबन्धों के अनुसार निदेशक मण्डल की बैठकें चार बार – 27.05.2009, 26.10.2009, 23.12.2009 और 25.03.2010 को हुईं और जिन के बारे में पूर्व सूचना दी गई और कार्यवाही वृत्तान्त रिकार्ड किया गया और उस पर हस्ताक्षर किये गये। 16.09.2009 और 19.01.2010 को दो परिपत्र संकल्प पारित किये गये।

4. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के अन्तर्गत अपना रजिस्टर बन्द नहीं किया।

5. वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए समय बढ़ाये जाने के लिए केन्द्र सरकार से मंजूरी लेने के बाद 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की वार्षिक आम बैठक 23.12.2009 को आयोजित की गई तथा उसमें पारित किये गये संकल्प इस हेतु बनायी गयी कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किये गये।

6. समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कोई भी असाधारण बैठक आयोजित नहीं की गयी।

7. इस कम्पनी के प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी होने की वजह से धारा 295 के उपबन्ध इस पर लागू नहीं होते हैं।

8. दिनांक 31 जनवरी, 1978 की अधिसूचना सं. जी एस आर 233 के अनुसार धारा 297(1) के उपबन्ध कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

9. हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ऐसे कोई भी करार नहीं किये गये हैं जिन्हें अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित हो।

10. मुझे उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा 314 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कोई भी ऐसी घटनायें नहीं हैं जिनके बारे में कम्पनी को निदेशक मण्डल, सदस्य अथवा केन्द्र सरकार से कोई स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित हो।

11. मुझे उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, लेखा परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली अवधि के दौरान कोई भी डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी नहीं किये गये हैं।

12. (i) लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान शेयरों के हस्तान्तरण के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया ।

(ii) यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत गठित होने के कारण अपने सदस्यों के लिए लाभांश की घोषणा नहीं कर सकती है।

(iii) वापसी भुगतान, परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियां, परिपक्वता अवधि वाले डिबेन्चर और उन पर प्रोद्भूत ब्याज के लिए कोई भी ऐसी धनराशि देय नहीं है, जिसके लिए सात वर्ष से दावा नहीं किया गया हो या सात वर्ष से जिसका भुगतान नहीं किया गया हो और इसीलिए ऐसी धनराशियों को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में अन्तरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(iv) कम्पनी ने सामान्यतः कम्पनी अधिनियम की धारा 217 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

13. कम्पनी के निदेशक मण्डल के गठन के बारे में हमारी टिप्पणियां निम्न प्रकार हैं :–

क. कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अनुसार धारा 266 क से धारा 266 छ में अन्तर्निविष्ट निदेशक पहचान संख्या – डायरेक्टर्स आइडेन्टीफिकेशन नम्बर (डी.आई.एन.) से सम्बन्धित उपबन्ध कम्पनी पर लागू होते हैं और उपर्युक्त धाराओं के अन्तर्गत जो व्यक्ति कम्पनी के निदेशक नियुक्त किये जाने होते हैं, उन्हें निदेशक नियुक्त किये जाने से पूर्व डी.आई.एन. प्राप्त करना होता है और यह देखा गया है कि कुछ निदेशकों ने जिन्हें समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक नियुक्त किया गया है, कम्पनी के निदेशक मण्डल में अपनी नियुक्ति से पूर्व डी.आई.एन. प्राप्त नहीं किया है।

ख. अधिसूचना सं. आ. 2219(ई) दिनांक 28.12.2008 के अनुसार, प्रपत्र 32 से सम्बन्धित छूट, जो अब तक कम्पनी को मिली हुई थी, ले ली गई है और कम्पनी को अपने निदेशकों, प्रबन्ध निदेशकों, प्रबन्धक अथवा सचिव से सम्बन्धित कोई भी परिवर्तन होने के बारे में प्रपत्र 32 दाखिल करना होता है। उपर्युक्त अधिसूचना की अपेक्षानुसार कम्पनी ने अपने प्रबन्ध निदेशक को छोड़कर अपने निदेशकों के लिए प्रपत्र डी.आई.एन. – दाखिल नहीं किया है।

ग. चूंकि यह कम्पनी सरकारी कम्पनी है, इसीलिए दिनांक 30.07.1981 की अधिसूचना संख्या जी एस आर 906 के अनुसार कम्पनी पर धारा 255, 256 और 257 के उपबन्ध लागू नहीं होते और इसीलिए कोई भी निदेशक चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होता है। कम्पनी में आई टी पी ओ और टी आई डी सी ओ के नाम निर्देशित निदेशकों से अधिक संख्या में ऐसा कोई भी निदेशक नहीं है जो कम्पनी के अनुच्छेद 111 (vi) के अनुसार चक्रानुक्रम से सेवानिवृत होता हो।

14. दिनांक 31.01.1978 की संख्या जी एस आर अधिसूचना संख्या 235 के अनुसार प्रबन्ध निदेशक / पूर्ण कालिक निदेशक / प्रबन्धक की नियुक्ति और पारिश्रमिक से संबंधित धाराएं कम्पनी पर लागू नहीं होती हैं।

15. एकमात्र बिक्री एजेन्ट की नियुक्ति संबंधी धारा 294 दिनांक 16 जुलाई 1985 की संख्या जी एस आर अधिनियम संख्या 578 (ई) के अनुसार कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

16. कम्पनी ने केन्द्रीय सरकार से निम्नलिखित अनुमति प्राप्त ही है:–

क. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 166 के अन्तर्गत 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए समय बढ़ाया जाना।

17. कम्पनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कोई भी शेयर और डिबेन्चर जारी नहीं किए हैं।

18. लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी ने किन्हीं भी शेयरों की वापस खरीद नहीं की है।

19. कम्पनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान या उससे पहले कोई भी वरीयता वाले शेयर/डिबेन्चर जारी नहीं किए हैं और इसीलिए वरीयता वाले शेयरों और डिबेन्चर का मोचन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

20. चूंकि यह कम्पनी धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी है और किसी भी लाभांश की घोषणा नहीं करती, इसीलिए शेयरों के हस्तांतरण का पंजीकरण होने का लाभांश, राइट शेयर और बोनस शेयर को प्रास्थगित रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

21. कम्पनी ने जनता से कोई भी धनराशि स्वीकार नहीं की है और धारा 58क और 58 क क के उपबन्धों का पालन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

22. प्राइवेट कम्पनी होने की वजह से अधिनियम की धारा 293(i)(घ) के उपबन्ध इस कम्पनी पर लागू नहीं होते।

23. प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी होने की वजह से अधिनियम की धारा 372क के उपबन्ध इस कम्पनी पर लागू नहीं होते।

24. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने अपने पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने के संबंध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है।

25. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी के उद्देश्य के संबंध में ज्ञापन के उपबन्धों में कम्पनी ने कोई परिवर्तन नहीं किया है।

26. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के नाम के सम्बन्ध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

27. कम्पनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपनी शेयर पूंजी के संबंध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

28. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने अपने अन्तर्नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

29. हमें यह जानकारी दी गई है कि कम्पनी को कोई भी कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है और न ही उसके विरूद्ध कोई भी अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

30. कम्पनी ने अपने कर्मचारियों से प्रतिभूति के रूप में कोई भी जमा राशि प्राप्त नहीं की है और इसीलिए अधिनियम की धारा 417(1) के उपबन्धों के अनुसार इस बारे में जमा राशि होने का प्रश्न हीं नहीं उठता।

31. अधिनियम की धारा 418 के उपबन्ध कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते एस. ईश्वर

ह./-
(एस. ईश्वर)
एफसीएस संख्या 6097, सी पी नं. 5280

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 14.09.2010

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन को दिनांक 24 अक्तूबर 2010 को जारी किए गए स्वैच्छिक सचिवीय अनुपालन प्रमाण पत्र का भाग

अनुबन्ध क

कम्पनी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर

1. शेयर आवेदन पत्र और आबंटन रजिस्टर
2. सदस्यों का रजिस्टर और शेयर लेजर
3. शेयर हस्तांतरण रजिस्टर
4. निदेशक एवं प्रबन्ध निदेशक का रजिस्टर
5. निदेशकों के शेयर धारिता और डिबेंचर धारिता का रजिस्टर
6. प्रभारों और गिरवी संबंधी रजिस्टर
7. ऐसी संविदाओं का रजिस्टर जिनमें निदेशक हितबद्ध हैं।

कृते एस. ईश्वर

ह./-
(एस. ईश्वर)
एफसीएस संख्या 6097, सी पी नं. 5280

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 14.09.2010

31.03.2010 को तुलन–पत्र

विवरण	अनुसूची	31.03.2010 को यथास्थिति रु.	31.03.2009 को यथास्थिति रु.
निधियों का स्रोत			
(1) शेयरधारकों का कोष			
(क) पूंजी	1	**100,000**	100,000
(ख) आरक्षित और अधिशेष	2	**474,792,749**	475,002,725
(2) ऋण निधि			
(क) अनारक्षित ऋण	3	**226,075,082**	226,063,709
कुल		**700,967,831**	701,166,434
निधियों का उपयोग			
1. क) स्थायी परिसंपत्तियां	4		
निवल ब्लाक		**640,534,262**	626,132,068
घटाएं : मूल्यह्रास		**112,761,896**	93,276,896
सकल ब्लाक		**527,772,366**	532,855,172
ख) चालू पूंजीगत कार्य – लागत पर		**4,655,454**	3,981,962
ग) पूंजीगत कार्य हेतु अग्रिम		**367,181**	371,403
		532,795,001	537,208,537
2. निवेश			
3. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम			
क) विविध ऋण	5	**11,544,264**	13,894,903
ख) नकद एवं बैंक शेष	6	**249,408,885**	148,075,893
ग) ऋण एवं अग्रिम	7	**21,786,731**	23,149,244
		282,739,880	185,120,040
घटाएं : चालू देयताएं और प्रावधान			
क) चालू देयताएं	8	**114,164,835**	20,740,392
ख) प्रावधान		**402,215**	421,751
निवल चालू परिसंपत्तियां		**168,172,830**	163,957,897
कुल		**700,967,831**	701,166,434
महत्त्वपूर्ण लेखा गणना नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां	15		

ह./-
(एम.के.एन. कुमार)
प्रबन्धक (लेखा)

ह./-
(ए.के. खन्ना)
निदेशक

ह./-
(के.एस. कण्डासामी)
प्रबंध निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स रमन एसोसिएट,
चार्टर्ड लेखाकार
ह./-
(जी. वासुदेवन)
साझेदार
सदस्यता सं. – 20739
एफ आर नं. 029105

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 16.09.2010

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

31.03.2010 को समाप्त वर्ष का आय–व्यय लेखा

विवरण	अनुसूची	वित्तीय वर्ष 2009-2010 रु.	वित्तीय वर्ष 2008-2009 रु.
आय			
संचालन आय	9	**144,988,578**	157,645,436
अन्य आय	10	**25,241,624**	21,827,350
कुल आय		**170,230,202**	179,472,786
व्यय			
प्रदर्शनी परियोजना व्यय	11	**41,023,841**	43,663,018
प्रशासनिक व्यय	12	**23,772,010**	25,684,917
अन्य खर्चे	13	**330,065**	35,001
मूल्यह्रास	4	**19,443,818**	19,314,913
कुल व्यय		**84,569,734**	88,697,849
वर्ष हेतु अधिशेष		**85,660,468**	90,774,937
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	14	**(81,313,724)**	(4,795,853)
तुलन–पत्र में हस्तांतरित अधिशेष		**4,346,744**	85,979,084
महत्त्वपूर्ण लेखा गणना नीतियां एवं लेखे पर टिप्पणियां	15		

ह./-
(एम.के.एन. कुमार)
प्रबन्धक (लेखा)

ह./-
(ए.के. खन्ना)
निदेशक

ह./-
(के.एस. कण्डासामी)
प्रबंध निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स रमन एसोसिएट,
चार्टर्ड लेखाकार
ह./-
(जी. वासुदेवन)
साझेदार
सदस्यता सं. – 20739
एफ आर नं. 029105

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 16.09.2010

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां

		31.03.2010 को यथास्थिति रु.	31.03.2009 को यथास्थिति रु.
अनुसूची - 1			
प्राधिकृत शेयर पूंजी			
1000 रु. की दर से 5000 इक्विटी शेयर		**5,000,000**	5,000,000
जारी एवं प्रदत्त शेयर पूंजी			
1000 रु. की दर से पूर्णतः चुकता 100 इक्विटी शेयर (प्रदत्त पूंजी में आई टी पी ओ के पास शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत एवं टी आई डी सी ओ के पास 49 प्रतिशत हिस्सा शामिल है)		**100,000**	100,000
	कुल	**100,000**	**100,000**
अनुसूची - 2			
आरक्षित एवं अधिशेष			
क) आरक्षित पूंजी			
i) ए एस आई डी ई से पूंजीगत अनुदान			
क) पिछले अंतिम तुलन–पत्र के अनुसार शेष		**131,597,817**	136,154,537
जोड़िए : वर्ष के दौरान अतिरिक्त			
घटा कर : वर्ष के दौरान अनुदान से प्राप्त आय		**4,556,720**	4,556,720
	कुल (क)	**127,041,097**	**131,597,817**
ख) सामान्य आरक्षित			
आय एवं व्यय लेखा			
पिछले अंतिम तुलन–पत्र के अनुसार शेष		**343,404,908**	257,425,824
जमा : वर्ष के दौरान अधिशेष		**4,346,744**	85,979,084
	कुल (ख)	**347,751,625**	**343,404,908**
	कुल (क)+(ख)	**474,792,749**	**475,002,725**
अनुसूची - 3			
अनारक्षित ऋण			
अन्य से प्राप्त अन्य ऋण और अग्रिम	**(टिप्पणी 5 देखें)**		
अन्य से			
क) आई टी पी ओ		**163,748,414**	163,737,041
ख) टी आई डी सी ओ		**62,326,668**	62,326,668
		226,075,082	226,063,709

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

अनुसूची - 4

स्थायी परिसम्पत्तियां											
विवरण		सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	मूल्यह्रास की दर	01.04.2009 को लागत	वृद्धि	कटौती समा–योजन	31.03.2010 को लागत	01.04.2009 को यथास्थिति	वर्ष के लिए	निकालने समा–योजन पर मूल्यह्रास	31.03.2010 को यथास्थिति	31.03.2010 को यथास्थिति	31.03.2009 को यथास्थिति
	%	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.		रु.	रु.	रु.
बिल्डिंग	1.63	379,173,513	3,520,287		**382,693,800**	29,675,698	6,184,544		**35,860,242**	**346,833,558**	349,497,815
प्लान्ट और मशीनरी	4.75	46,377,203	1,456,996		**47,834,199**	14,277,551	2,245,449		**16,523,000**	**31,311,199**	32,099,652
बिजली संस्थापन - बिजली मशीनरी हेतु	7.07	39,643,485			**39,643,485**	12,370,688	2,802,794		**15,173,482**	**24,470,003**	27,272,797
- अन्य	4.75	142,966,248	7,899,135		**150,865,383**	30,971,369	6,816,382		**37,787,751**	**113,077,632**	111,994,879
कार्यालय उपकरण	4.75	1,608,398	761,904		**2,370,302**	247,451	99,038		**346,489**	**2,023,813**	1,360,947
फर्नीचर											
- कन्वेंशन केन्द्र के लिए	9.50	3,918,167			**3,918,167**	1,642,893	372,226		**2,015,119**	**1,903,048**	2,275,274
- अन्य	6.33	10,720,407	436,077		**11,156,484**	2,887,795	690,408	44,233	**3,622,436**	**7,534,048**	7,832,612
कम्प्यूटर	16.21	874,024	59,700		**933,724**	732,758	149,727		**882,485**	**51,239**	141,266
वाहन	9.50	850,623	275,051	6,956	**1,118,718**	470,693	83,250	(3,051)	**550,892**	**567,826**	379,930
कुल		**626,132,068**	**14,409,150**	**6,956**	**640,534,262**	**93,276,896**	**19,443,818**	**41,182**	**112,761,896**	**527,772,365**	**532,855,172**
गत वर्ष		614,392,898	11,756,744	17,574	626,132,068	70,453,593	19,314,913	3,508,390	**93,276,896**	**532,855,171**	543,939,305
चालू पूंजीगत कार्य										**4655454**	3981962
पूंजीगत कार्य हेतु अग्रिम										**367181**	371403

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

	31.03.2010 को यथास्थिति रु.	31.03.2009 को यथास्थिति रु.
अनुसूची - 5		
विविध देनदार		
क) छः महीने से अधिक अवधि के बकाया ऋण		
- अच्छे समझे जाने वाले	**5,242,628**	8,648,249
- संदिग्ध समझे जाने वाले	**704,102**	775,102
	5,946,730	9,423,351
घटाएं : संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**704,102**	775,102
	5,242,628	8,648,249
ख) अन्य ऋण		
- अच्छे समझे जाने वाले	**6,301,636**	5,246,654
- संदिग्ध समझे जाने वाले	**-**	-
	6,301,636	5,246,654
घटाएं : संदिग्ध ऋणों हेतु व्यवस्था	**-**	-
	6,301,636	5,246,654
कुल	**11,544,264**	**13,894,903**
अनुसूची - 6		
नकद एवं बैंक में जमा		
क) अपने पास विद्यमान नकद एवं चैक	**5,739**	960
ख) अनुसूचित बैंकों में जमा		
- बचत खाते में	**36,177,146**	7,694,543
- अल्पावधि जमा खाते में	**213,226,000**	140,380,390
कुल	**249,408,885**	**148,075,893**
अनुसूची - 7		
ऋण एवं अग्रिम		
नगद या किसी वस्तु के रूप में अथवा कीमत में प्राप्त अग्रिम (अनारक्षित एवं अच्छे समझे गये)		
टेलीफोन जमा	**20,000**	20,000
ई.बी. – जमा	**3,583,447**	3,768,520
आयकर रिफण्ड	**10,639,994**	10,388,255
पूर्व भुगतान किया गया व्यय	**170,114**	301,246
अर्जित ब्याज	**4,094,867**	5,151,934
अन्य अग्रिम	**3,278,309**	3,519,289
कुल	**21,786,731**	**23,149,244**

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

		31.03.2010 को यथास्थिति रु.	31.03.2009 को यथास्थिति रु.
अनुसूची - 8			
चालू देयताएं एवं प्रावधान			
चालू देयताएं			
प्रतिभूति जमा प्राप्ति		**353,388**	135,616
देय खर्चे		**10,723,167**	4,940,782
टी आई डी सी ओ को देय भूमि हेतु लीज रेंट		**81,000,000**	-
देय सेवा कर		-	259,720
भावी मेलों के लिए पार्टियों से प्राप्त अग्रिम		**11,177,147**	6,689,654
मेला आयोजकों को वापस की जाने वाली राशि		**772,460**	6,129,653
बकाया सेवा कर प्राप्तियां		**547,138**	1,244,828
अग्रिम राशि जमा		**440,023**	1,100,150
देय ग्रेच्युटी		**206**	95,080
देय टी डी एस		**9,151,306**	144,909
		114,164,835	20,740,392
प्रावधान			
छुट्टियों के नकदीकरण के लिए प्रावधान		**402,215**	421,751
		402,215	421,751
	कुल	**114,567,050**	**21,162,143**
अनुसूची -9			
संचालन आय			
प्रदर्शनी हालों से संचालन आय		**119,283,719**	118,943,564
कन्वेन्शन केन्द्र से संचालन आय		**25,704,859**	28,269,872
प्रदर्शनी के भागीदारों से प्राप्त राशि		-	10,432,000
	कुल	**144,988,578**	157,645,436
अनुसूची -10			
अन्य आय			
बैंक से ब्याज		**13,819,125**	10,561,349
अनुदान से प्राप्त आय (ए एस आई डी ई से अनुदान)	**(टिप्पणी 7 देखें)**	**4,556,720**	4,556,720
टिकटों की बिक्री		**4,180,916**	2,839,608
परिसम्पत्तियों की बिक्री से आय		**26,095**	–
अन्य		**2,658,768**	3,869,673
	कुल	**25,241,624**	**21,827,350**

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

		31.03.2010 को यथास्थिति रु.	31.03.2009 को यथास्थिति रु.
अनुसूची - 11			
प्रदर्शनी परियोजना खर्च			
संचालन एवं रख–रखाव		**20,817,021**	20,837,661
बिजली प्रभार		**19,680,064**	20,194,091
प्रदर्शनी – स्टाल एवं मंच निर्माण		-	307,760
बाहरी साज–सज्जा		-	787,463
जल प्रभार		**461,320**	772,660
उपकरण भाड़ा प्रभार		-	246,204
वाहन भाड़ा प्रभार		**65,436**	
विविध		-	517,179
	कुल	**41,023,841**	**43,663,018**
अनुसूची -12			
प्रशासनिक व्यय			
निदेशकों को पारिश्रमिक		**676,547**	651,285
निदेशकों को यात्रा खर्च		**933,734**	845,683
स्टाफ खर्च		**4,038,869**	3,485,408
संवर्धनात्मक कार्य एवं विज्ञापन		**1,228,867**	9,526,855
प्रशासनिक प्रभार (आउटसोर्सिंग व्यय)		**1,493,979**	1,419,063
भूमि हेतु लीज रेंट		**10,000,000**	-
मरम्मत एवं रख–रखाव		**619,201**	570,131
बिल्डिंग रख–रखाव		**1,669,421**	5,352,285
सामान्य खर्चे		**3,111,392**	3,834,207
	कुल	**23,772,010**	**25,684,917**
अनुसूची - 13			
अन्य आय			
लेखा परीक्षा शुल्क		**30,000**	20,000
भागीदारी शुल्क		**300,065**	-
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि		-	15,001
सन्दिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था			
	कुल	**330,065**	**35,001**

लेखे की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

	31.03.2010 को यथास्थिति रु.	31.03.2009 को यथास्थिति रु.
अनुसूची - 14		
पूर्वावधि का समायोजन (निवल)		
आय		
यात्रा अग्रिमों हेतु अतिरिक्त प्रावधान		2,238
प्रापर्टी कर हेतु अतिरिक्त प्रावधान		299,350
वेतन हेतु अतिरिक्त प्रावधान		1,926
कुल -(क)	**-**	**303,514**
व्यय		
भूमि हेतु लीज रेंट	80,000,000	
बट्टे खाते में डाली गयी अतिरिक्त बिलिंग	30,248	
वेतन संशोधन हेतु बकाया राशि	**919,243**	702,379
बट्टे खाते में डाला गया टी एन ई बी में अतिरिक्त ई एम डी	320,000	
आई आई एल एफ–2006 हेतु बट्टे खाते में डाला गया लाइसेंस शुल्क		258,353
आई आई एल एफ–2008 हेतु बट्टे खाते में डाला गया लाइसेंस शुल्क		627,872
पिछले वर्षों के लिए प्रदत्त मूल्यह्रास	**44,233**	3,510,763
कुल-(ख)	**81,313,724**	**5,099,367**
निवल (क-ख)	**(81,313,724)**	**(4,795,853)**

लेखाओं के साथ अनुबद्ध तथा उनकी अंगभूत अनुसूचियां

अनुसूची - 15

लेखाओं पर टिप्पणियां

I) महत्त्वपूर्ण लेखा गणना नीतियां

क) लेखा–गणना की विधिः

i) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किये गये हैं।
ii) कम्पनी लेखा गणना की मर्केन्टाइल पद्धति अपनाती है तथा निम्नलिखित मामलों को छोड़ कर, आय–व्यय को अक्रुअल आधार पर मानती है
   1) सरकारी अनुदान – पावती आधार पर माने जाते हैं।
   2) दो लेखा गणना अवधि में होने वाले मेले/प्रदर्शनियों की आय – जिस लेखा गणना अवधि में प्रदर्शनियां/मेले समाप्त हुए हैं, उस अवधि में मानी जाती है।

ख) स्थायी परिसंपत्तियां
स्थायी परिसंपत्तियां लागत में से संचित मूल्यह्रास घटा कर बतायी गयी हैं।

ग) चालू पूंजीगत कार्य एवं पूंजीगत कार्य हेतु अग्रिम :
i) ये लागत पर बताये गये हैं जिसमें निर्माण अवधि के दौरान प्राप्त प्रत्यक्ष लागत एवं अन्य सम्बन्धित ऊपरी खर्चे शामिल हैं। इसमें ऐसी स्थायी परिसम्पत्तियों की लागत भी शामिल हैं जो उपयोग किये जाने के लिए तुलन–पत्र की तिथि को तैयार नहीं हैं। पूंजीगत कार्य हेतु सी पी डब्ल्यू डी के माध्यम से किया गया व्यय उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखाओं के आधार पर माना जाता है।
ii) पूंजीगत कार्य हेतु सी पी डब्ल्यू डी के पास पड़ी धनराशि उनके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार 'पूंजीगत कार्य हेतु अग्रिम' शीर्ष के अन्तर्गत दिखायी जाती है।

घ) मूल्यह्रास :
स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची **XIV** में निर्धारित नियमानुसार तथा दरों पर 'स्ट्रेट लाइन' तरीके से लगाया गया है।

ड.) सरकारी अनुदान :
i) अनुदानों की गणना प्राप्ति के आधार पर की जाती है।
ii) स्थायी परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित अनुदान पूंजीगत आरक्षित राशि के अन्तर्गत दिखाये गये हैं।
iii) स्थायी परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित अनुदान परिसम्पत्तियों की प्रकृति और उनकी उपभोग्य अवधि पर विचार करते हुए तथा आई सी ए आई द्वारा निर्धारित लेखा गणना मानक–12 (ए एस–12) के अनुसार सभी परिसम्पत्तियों के औसत सामान्य मूल्यह्रास की दर के आधार पर आस्थगित आय के रूप में माना जाता है।

च) वस्तु सूचियां :
कम्पनी किसी प्रकार की वस्तु सूची तैयार नहीं करती है।

छ) राजस्व गणना
निम्नलिखित के अलावा अन्य आय संचित आधार पर मानी जाती है :–
i) सरकारी अनुदान – प्राप्ति के आधार पर माना जाता है।
ii) दो लेखा गणना अवधियों में आने वाले मेलों/प्रदर्शनियों की आय जिस अवधि में उस मेले/प्रदर्शनी का समापन हुआ हो, उस लेखा अवधि की मानी जाती है।

ज) कर्मचारी हितलाभ :
- अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभों (वे लाभ जो कर्मचारी द्वारा सेवा उपलब्ध करने की अवधि के समाप्त होने के बारह महीने के अन्दर देय होते हैं) की गणना लागत के आधार पर की जाती है।
- दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ की गणना (वे लाभ, जो कर्मचारी द्वारा सेवा उपलब्ध करने की अवधि के बारह महीने के बाद देय होते हैं) और रोजगार के बाद के लाभ (जो लाभ रोजगार पूरा होने के बाद दिये जाते हैं) की गणना वार्षिक थर्ड पार्टी वास्तविक मूल्यांकनों के आधार पर प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट प्रणाली द्वारा छूट के आधार पर की जाती है।

लेखाओं के साथ अनुबद्ध तथा उनकी अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

- भविष्य निधि में अंशदान, जिसकी एक सुपरिभाषित् अंशदान योजना है, कानून के अनुसार किये जाते हैं और उन्हें तभी खर्च माना जाता है, जब कर्मचारियों ने अंशदानों की पात्रता के लिए सेवा पूरी कर ली हो।

- ग्रेच्युटी (जो एक सुपरिभाषित लाभप्रद योजना है) देने की लागत प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि को थर्ड पार्टी बीमांकिकी द्वारा किये गये वास्तविक लागत का निर्धारण प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट प्रणाली का उपयोग करके किया जाता है। तुलन–पत्र में निर्धारित ग्रेच्युटी हित लाभ दायित्व योजना आस्तियों का उचित मूल्य घटाकर देनदारियों के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है। इसमें कमी अथवा योजना से वापस मिलने वाली राशि के रूप में उपलब्ध किन्हीं भी आर्थिक हितलाभों के कमी वाले मूल्य तक सीमित होती है। वास्तविक प्राप्ति/हानि को लाभ और हानि के लेखे में तत्काल दर्शाये जाते हैं।

झ) उधार–लागत

उधार लागत, जो किन्हीं सापेक्ष परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं, उन्हें जब तक परिसम्पत्ति अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती, तब तक पूंजी खाते में रखी जाती है। सापेक्ष परिसम्पत्तियां वह सम्पत्ति हैं जो अपनी अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्यतः काफी समय लेती हैं। अन्य उधार लागत उसी अवधि के खर्च में शामिल की जाती है जिस समय वह खर्च की गई हो।

ट) प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्राक्कलनों और अनुमानों की आवश्यकता होती है जो प्रतिवेदन के अन्तर्गत आने वाली अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की मात्रा तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को परिसम्पत्तियों और देनदारियों तथा आकस्मिक देयताओं के पता चलने के अनुसार कथित राशि पर प्रभाव डालते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अन्तर उस अवधि की गणना में लिया जाता है जब परिणामों के बारे में पता चलता है।

ठ) विदेशी मुद्रा में लेन–देन

विदेशी मुद्रा में लेन–देन उस समय लागू विनिमय दर पर दर्ज किये जाते हैं। विदेशी मुद्रा की मौद्रिक आस्तियों और देनदारियां को तुलन–पत्र की तिथि को प्रचलित विदेशी मुद्रा की विनिमय दर पर रुपयों में परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा सम्बन्धी लेनदेन या विदेशी मुद्रा को रुपये में परिवर्तित करने के कारण होने वाले विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अन्तर को लाभ और हानि के खाते में दर्शाया जाता है। अचल परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण और ब्याज के लागत व्यय के समायोजन को इसमें शामिल नहीं किया जाता।

ड) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

माप के प्राक्कलन के अधिकांश भाग को तभी स्वीकार किया जाता है जब कोई ऐसी वर्तमान देयता हो, जो पिछली गतिविधि के परिणामस्वरूप उपस्थित हुई हो और यह सम्भव न हो कि उससे संसाधनों का वहीर्गमन होगा। आकस्मिक देयताएं स्वीकार नहीं की गयीं हैं बल्कि टिप्पणियों में दर्शायी गई हैं। आकस्मिक परिसम्पत्तियां न तो स्वीकार की गई हैं और न ही वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई हैं।

लेखाओं के साथ अनुबद्ध तथा उनकी अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

II) अन्य टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं:

क) कम्पनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है:–

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग बनाम कन्सोलिडेटिड कन्सट्रक्शन कन्सोर्टियम

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ विनिर्माण समझौते के अनुसार, कम्पनी को करार के निष्पादन के दौरान किसी भी कानूनी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली देनदारी को पूरा करना होगा। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और कन्सोलिडेटिड कन्सट्रक्शन कन्सोर्टियम लिमिटेड (सी सी सी एल), एक ठेकेदार कम्पनी जो कन्वेन्शन सेन्टर–फेज 2 के निर्माण के लिए सी पी डब्ल्यू डी द्वारा तैनात की गई थी, के बीच मुकदमेबाजी हुई थी। दोनों पक्षों के बीच पंचाट के माध्यम से एक अवार्ड हुआ था और बाद की घटना के आधार पर कम्पनी 80,08,020 रुपये की आकस्मिक देनदार है जिसमें पूर्ण और अन्तिम निपटान के रूप में पंचाट की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 63,75,651 रु. की राशि पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज शामिल है। सी पी डब्ल्यू डी ने अवार्ड को चुनौती देते हुए मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

2. पूंजीगत वचनबद्धताएं

पूंजीगत खाते में जिन करारों को निष्पादित नहीं किया गया है और जिनके लिए 31 मार्च 2010 को प्रावधान नहीं किया गया है, उनकी अनुमानित धनराशि :–

[रुपये में]

क्रम सं.	परियोजना	पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले करार की अनुमानित लागत
1	हाल 3 के लिये ई.बी सब स्टेशन	46,55,454/- रु.

लेखाओं के साथ अनुबद्ध तथा उनकी अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

3. हाल 1 और 2 तथा हाल 3 के लिए सब–स्टेशन से सम्बन्धित पूंजीगत निर्माण कार्य के लिए प्रदत्त राशि का वर्ष के दौरान पूंजीगत ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

	विवरण	धनराशि (रुपये में)
क)	हॉल 1 और 2 (जैसी की आई टी पी ओ ने सूचना दी है)	11,373
ख)	हॉल 3 भवन हेतु सब स्टेशन	30,25,875
	विद्युत संस्थापन कार्य	63,00,633
	कुल	**93,37,881**

4. इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (टिडको) के बीच दिनांक 13.11.2000 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, टिडको को भूमि प्रदान करनी है एवं भूमि विकास सम्बन्धी व्यय की व्यवस्था करनी है तथा आई टी पी ओ को प्रदर्शनी केन्द्र का निर्माण करना है। तमिलनाडु सरकार के दिनांक 06.11.2000 के शासनादेश संख्या 568, राजस्व (एल ए) (2) विभाग के अनुसार 25.48 एकड़ भूमि का आवंटन किया। इसके उपरान्त दिनांक 03.02.2003 का शासनादेश सं. 28 प्राप्त हुआ जिसके अनुसार टी एन टी पी ओ भूमि के लिए टी आई डी सी ओ को 2001–02 से प्रति वर्ष 100 लाख रुपये के पट्टे किराये का भुगतान करना था जो तीस वर्ष के दीर्घकालीन पट्टे पर टी एन टी पी ओ को दी गयी थी।

25.03.2010 को सम्पन्न टी एन टी पी ओ की 31वीं बैठक में, बोर्ड टी एन टी पी ओ की 30वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की। 2001–02 से 2008–09 तक की अवधि हेतु 8.00 करोड़ रूपये के बकाया लीज रेंट के विरुद्ध टिडको के दावे के अनुसार भूमि हेतु मौलिक व्यवस्था से सम्बन्धित मामले के प्रस्ताव को देखते हुए, भुगतान को लम्बित रखा जा सकता है। टिडको को उपर्युक्त राशि अन्तरिम भुगतान के रूप में दी जायेगी तथा अन्तिम व्यवस्था होने के पश्चात् ही इसको भविष्य में समायोजित किया जा सकता है।

बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय को देखते हुए वर्ष 2001–02 से 2008–09 तक के 8.00 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2009–10 के 1.00 करोड़ रु. के लीज रेन्ट के प्रावधान को लेखे में चालू परिसम्पत्तियों एवं प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत दिखाया गया है। टिडको को देय व्यय के इस प्रावधान के कारण, कम्पनी का अधिशेष उतना ही कम कर दिया गया है अन्यथा वर्ष 2009–10 हेतु अधिशेष 943 लाख रूपये होता।

5. प्रवर्तकों अर्थात् आई टी पी ओ एवं टिडको द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए खर्च की गई धनराशि के बारे में अन्तिम निर्णय होने तक उक्त धनराशि को ब्याज रहित ''अनारक्षित ऋण'' माना गया है तथा विगत वर्ष के तुलन–पत्र की तरह अनुसूची सं. 3 में अनारक्षित ऋण के रूप में दिखायी गयी है। जब कभी भी निर्णय होगा तो बहियों में आवश्यक समायोजन किया जायेगा। पुनश्च, आई टी पी ओ द्वारा प्रदत्त लेखों के आधार पर वर्ष के दौरान 11,393 रू. की धनराशि आई टी पी ओ द्वारा हाल 1 और 2 के निर्माण के लिए खर्च की गयी अतिरिक्त राशि के लिए पूंजीकृत की गई थी जो पहले की 16,37,37,04 रु. की धनराशि के अलावा थी जिसका कुल योग 16,37,48,414/– रु. होता है जिसे अनुसूची संख्या 3 में असुरक्षित ऋण के रूप में दिखाया गया है, जैसा कि पिछले वर्ष के तुलन–पत्र में भी दिखाया गया था।

6. कम्पनी को आय कर अधिनियम 1961 की धारा 10(23 ग) (iv) के अनुसार आय कर मुख्यायुक्त – III, चेन्नई के दिनांक 22.05.2008 के परिपत्र संख्या सीसीआईटी III/170/10 (23सी)/07–08 द्वारा कर–आकलन वर्ष 2008–09 से आय कर छूट की अधिसूचना प्राप्त हुई है। इसे देखते हुए, कर तथा आस्थगित कर हेतु प्रावधान जरूरी नहीं समझे गये हैं।

7. (क) चूंकि पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त राज्य एवं केन्द्रीय ए एस आई डी ई अनुदान विशिष्ट स्थायी परिसम्पत्तियों से संबंधित थे, इसीलिये ऐसे अनुदानों को पूंजीगत रिजर्व माना गया और उन्हें तुलनपत्र में सरकारी अनुदानों के बजाय रिजर्व और सरप्लस के अन्तर्गत पूंजी रिजर्व के रूप में दिखाया गया।

(ख) जैसा कि अनुसूची 15 (ङ) (ii) में निर्दिष्ट हैं, स्थायी परिसम्पत्तियों संबंधी अनुदानों को औसत सामान्य मूल्यह्रास दर पर आधारित आमदनी माना जाता है जिसे नीति और लेखा गणना मानक–12 (ए एस–12) के अनुरूप परिसंपत्ति की पूर्ण जीवन अवधि में क्रमिक और तार्किक समझा जाता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान 45.57 लाख रुपये की राशि को आय माना गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान कम्पनी को कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

लेखाओं के साथ अनुबद्ध तथा उनकी अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

8. कर्मचारी हितलाभ

(क) परिभाषित हितलाभ योजना – ग्रेच्युटी

सं.	विवरण	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
			राशि (रुपये)
I.	**समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि के विवरण में मान्य व्यय**		
1	चालू सेवा लागत	41,437	42,114
2	ब्याज की लागत	24,167	26,904
3	योजना परिसम्पत्तियों से अनुमानित आय	26,044	26,638
4	निवल बीमांकिकी (लाभ)/हानि	(12,716)	52,700
5	पिछली सेवा लागत		-
6	बन्दोबस्ती लागत		-
7	**कुल व्यय**	26,844	95,080
II.	**तुलन–पत्र में दर्शाई गई निवल परिसम्पत्ति/(देनदारी)**		
1	परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	3,54,975	3,02,087
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,54,769	2,07,007
3	निधियों की स्थिति [(लाभ)/घाटा]	(206)	(95,080)
4	**निवल आस्ति / (देनदारी)**	(206)	(95,080)
III.	**समाप्त वर्ष के दौरान दायित्व में परिवर्तन**		
1	वर्ष के प्रारम्भ में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	3,02,087	3,36,300
2	वर्तमान सेवा लागत	41,437	42,114
3	ब्याज लागत	24,167	26,904
4	बन्दोबस्ती लागत		-
5	पिछली सेवा की लागत		-
6	बीमांकिक (लाभ)/हानि	(12,716)	52,700
7	हितलाभ भुगतान		-
8	**वर्ष के अन्त में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य**	**3,54,975**	**3,02,087**
IV.	**समाप्त वर्ष के दौरान आस्तियों में परिवर्तन**		
1	वर्ष के प्रारम्भ में योजनागत आस्तियां	2,07,007	2,59,491
2	योजनागत आस्तियों से सम्भावित आय	26,044	26,638
3	नियोजक द्वारा अंशदान	1,21,718	76,809
4	वास्तविक भुगतान किये गये हितलाभ	-	(1,55,931)
5	बीमांकिकीय लाभ/(हानि)	-	-
6	**वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियां**	**3,54,769**	**2,07,007**
7	योजनागत आस्तियों से वास्तविक रिटर्न	26,044	26,638

लेखाओं के साथ अनुबद्ध तथा उनकी अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

V. कुल योजनागत आस्तियों के प्रतिशत अनुपात के रूप में योजनागत आस्तियों का अलग–अलग ब्यौरा

बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	**100%**

VI. बीमांकिकीय पूर्वानुमान — **31 मार्च 2010 को यथास्थिति**

1	छूट दर	8.0 % प्रति वर्ष
2	योजनागत आस्तियों पर आय की सम्भावित दर	8.0 % प्रति वर्ष
3	वेतन की वृद्धि–दर	4 % प्रति वर्ष
4	क्षरण दर	1-3%

5 मृत्यु–दर के अनुमानित आंकड़े जीवन बीमा निगम (1994–96) की सारणी से लिये गये हैं।

ख) छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान श्री एम. एस. वेंकटरामन् परामर्शदायी बीमांकक, चेन्नई, 600092 के मूल्यांकन पत्र के आधार पर किया गया है।

9.

सम्बन्धित पक्ष	-	श्री के. एस. कंडासामी, प्रबन्ध निदेशक
सम्बन्ध	-	मुख्य प्रबन्धन कार्मिक
सम्बन्धित पक्ष का लेन–देन	-	पारिश्रमिक

	2009-10 रु.	2008-2009 रु.
क) वेतन एवं भत्ते	6, 76,547	6,51,285
ख) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	30,673	42,344

10. विदेशी मुद्रा में व्यय

	2009-10 रु.	2008-09 रु.
यात्रा खर्चे	2,32,455	1,69,226
भागीदारी शुल्क	2,47,579	----

11. विदेशी मुद्रा में आय — शून्य — शून्य

12. ऐसा कोई भी सूक्ष्म और लघु उद्योग नहीं है जिनकी 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार कम्पनी पर 45 दिन से ज्यादा अवधि से बकाया राशि देय हो। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दी जाने वाली यह जानकारी कम्पनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान करके निर्धारित की गई है।

13. विविध देनदारों में एक निजी कम्पनी से देय ऋण भी शामिल हैं जिसमें टी एन टी पी ओ के निदेशक, निदेशकों के रूप में हितबद्ध है:

	2009-10	2008-09
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (होल्डिंग कम्पनी)	74, 34,154 रु.	99, 53,729 रु.

14. डी पी ई के दिशा–निर्देश एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार टी एन टी पी ओ के नियमित कर्मचारियों को 01.01.2007 से आई डी ए वेतनमान के अन्तर्गत वेतन संशोधन दिया जाना है। इसीलिए 32.50 लाख रुपये के व्यय हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है जिसे अनुसूची–8 में 'चालू देयताएं' के अन्तर्गत देय व्यय के रूप में दिखाया गया है।

15. निदेशक मण्डल द्वारा यथा स्वीकृत उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना वर्ष 2007–08 से बकाया है जो अभी लागू की जानी है और इस मद में देनदारी की मात्रा का अनुमान न होने की वजह से लेखाओं में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

16. विभिन्न पार्टियों की ओर/उनसे बकाया राशि जिसमें प्रतिभूति रहित ऋण, जमा तथा अग्रिम राशियां शामिल हैं, पुष्टि/पुनर्विचार तथा/या समायोजन, यदि कोई हो तो, के अधीन हैं।

17. चूंकि कम्पनी व्यापार संवर्धन कार्यकलाप में कार्यरत है, अतः कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग–2 के पैराग्राफ 3 के अनुसार अतिरिक्त जानकारी लागू नहीं होती।

18. लेखाओं के आंकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांक कर के दिखाया गया है।

19. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक था, पुनः निर्धारित एवं पुनः वर्गीकृत किया गया है ताकि वे चालू वर्ष के वर्गीकरण से मेल खा सकें।

ह./-
(एम.के.एन. कुमार)
प्रबन्धक (लेखा)

ह./-
(ए. के. खन्ना)
निदेशक

ह./-
(के.एस. कण्डासामी)
प्रबंध निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स रमन एसोसिएट,
चार्टर्ड लेखाकार
ह./-
(जी. वासुदेवन)
साझेदार
सदस्यता सं. – 20739
एफ आर नं. 029105

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 16.09.2010

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार अतिरिक्त जानकारी
तुलन–पत्र का सार एवं कम्पनी का सामान्य कार्य ब्यौरा

I. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या: यू 9 1 1 2 0 टी एन 2 0 0 0 एन पी एल 4 6 1 4 0 — राज्य कोड: 1 8

तुलन–पत्र की तिथि: 3 1 (दिनांक) 0 3 (महीना) 1 0 (वर्ष)

II. वर्ष के दौरान बढ़ाई गई पूंजी (राशि रु. में)

सार्वजनिक निर्गम	शून्य	राइट निर्गम	शून्य
बोनस निर्गम	शून्य	निजी व्यवस्था	शून्य

III. निधियों को जुटाने एवं परियोजन की स्थिति (राशि रु. में)

कुल देयताएं	81553488 1	कुल परिसम्पत्तियां	81553488 1

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी	10000 0	आरक्षित एवं अधिशेष	47479274 9
संरक्षित ऋण	शून्य	अनारक्षित ऋण	शून्य

निधियों का उपयोग

निवल स्थायी परिसम्पत्तियां	527723666	निवेश	शून्य
निवल चालू परिसम्पत्तियां	168172830	विविध व्यय	शून्य
संचित घाटा	शून्य		

IV. कम्पनी का कार्य–निष्पादन (राशि रु. में)

कारोबार/कुल आय	170230202	कुल व्यय	165883458
कर–पूर्व व्यय से अधिक आय	43467442	कर पश्चात् लाभ	43467442
प्रति शेयर अर्जन रु. में	लागू नहीं होता*	लाभांश दर	शून्य

V. कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के वर्गगत नाम (मौद्रिक शर्तों के अनुसार)

मद कोड संख्या
(आई टी सी कोड)

लागू नहीं होता

उत्पाद विवरण

नोट: चूंकि यह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत लाइसेंसीकृत प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है और सरकारी कम्पनी भी है। अतः ई.पी.एस. जानकारी की अपेक्षा कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

ह./-	ह./-	ह./-
(एम.के.एन. कुमार)	**(ए. के. खन्ना)**	**(के.एस. कण्डासामी)**
प्रबन्धक (लेखा)	निदेशक	प्रबंध निदेशक

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 16.09.2010

31.03.2010 को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो विवरण

राशि रु. में

		2009-10	2008-09
क.	**चालू गतिविधियों से कैश फ्लो**		
	कर और असाधारण मदों से पूर्व व्यय से अधिक आय	4,346,744	85,979,084
	गैर–नकदी और गैर–संचालन आय के लिए समायोजन		
	- वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यह्रास	19,443,818	19,314,913
	पिछली अवधि के समायोजनों के लिए	44,233	3,510,763
	- ब्याज से आय	(13,819,125)	(10,561,349)
	- परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुई हानि / (लाभ)	(26,095)	15,001
	सरकारी अनुदान से परिशोधित आय	(4,556,720)	(4,556,720)
		5,432,855	**93,701,692**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व चालू संचालन अधिशेष		
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के लिए समायोजनः		
	- विविध देनदारों और प्राप्य में कमी / (वृद्धि)	2,350,639	3,566,500
	- अग्रिम जमा में कमी / (वृद्धि)	305,446	(5,735,500)
	- चालू देयताओं और प्रावधानों में (वृद्धि)	93,404,907	(9,176,168)
	चालू गतिविधियों से निवल नकद (क)	**101,493,847**	**82,356,524**
ख.	**निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो**		
	- स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(15,067,047)	(5,063,570)
	- ब्याज से प्राप्त आय	14,876,192	5,812,966
	- स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	30,000	200
	निवेश गतिविधियों से निवल नकद (ख)	**(160,855)**	**749,596**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो**	शून्य	शून्य
	नगद तथा नगद समतुल्य में निवल (कमी) / वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	**101,332,992**	**83,106,120**
	नगद और नगद समतुल्य का रोकड़ जमा [क+ख]	**148,075,893**	**64,969,773**
	क) अपने पास विद्यमान नगद	960	9,024
	ख) बैंक के बचत खाते में और अल्पकालिक जमा के रूप में अधिशेष	148,074,933	64,960,749
	नगद और नगद समतुल्य का रोकड़ बाकी [क+ख]	**249,408,885**	**148,075,893**
	क) अपने पास विद्यमान नगद	5,739	960
	ख) बैंक के बचत खाते में और अल्पकालिक जमा के रूप में अधिशेष	249,403,146	148,074,933
	ऊपर बताये अनुसार निवल वृद्धि / (कमी)	**101,332,992**	**83,106,120**

ह./-
(एम.के.एन. कुमार)
प्रबन्धक (लेखा)

ह./-
(ए.के. खन्ना)
निदेशक

ह./-
(के.एस. कण्डासामी)
प्रबंध निदेशक

लेखा–परीक्षकों का प्रमाण–पत्र

हमने तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त कैश फ्लो विवरण की जांच कर ली है। यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी गणना मानक 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया गया है। यह विवरण कम्पनी के सदस्यों को सौंपी गई 16 सितम्बर, 2010 की हमारी रिपोर्ट की परिधि में आने वाले कम्पनी के तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखे के आधार पर तथा उसके अनुरूप है।

कृते मैसर्स रमन एसोसिएट्स
चार्टर्ड लेखाकार

ह./-
(जी. वासुदेवन)
साझेदार
सदस्यता सं. 20739
एफ.आर.एन. नं. 029105

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, चेन्नई के सदस्यों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने मैसर्स तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के 31 मार्च 2010 को यथास्थिति संलग्न तुलन–पत्र और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के आय एवं व्यय लेखे और कैश–फ्लो विवरण की लेखा परीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में विचार व्यक्त करना है।

हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः लागू लेखा–परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। उन मानकों के अनुरूप यह आवश्यक था कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना और क्रियान्वयन इस तरह करें कि हम इस विषय में विवेकसंगत प्रामाणिकता प्राप्त करें कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की मेटीरियल गलतबयानी नहीं की गई हैं। लेखा परीक्षा में जांच के आधार पर परीक्षण, राशि के समर्थन में प्रमाण और वित्तीय विवरण में उसे प्रकट करना शामिल हैं। लेखा परीक्षा प्रक्रिया में उसमें प्रयोग किए गए लेखा सिद्धान्तों का आकलन, प्रबन्धन द्वारा तैयार महत्वपूर्ण अनुमानों तथा सम्पूर्ण वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारे मत के लिए सही आधार प्रदान करती है। हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है :

1. इस कम्पनी को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत कार्य करने के लिए लाइसेंस मिला है। तदनुसार कम्पनी आदेश 2003 (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) के अन्तर्गत प्रकटीकरण लागू नहीं होता।

   क) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार जो सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, वे सभी हमने प्राप्त किए हैं।

   ख) जहां तक हमारे द्वारा कम्पनी के खातों की जांच से स्पष्ट होता है, हमारी राय में कम्पनी ने कानूनन अपेक्षित उचित बही–खाते बनाए हैं।

   ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन–पत्र, आय एवं व्यय लेखे और कैश फ्लो विवरण बहीखातों से मेल खाते हैं।

   घ) हमारे विचार से, इस रिपोर्ट में शामिल तुलन–पत्र एवं आय–व्यय लेखे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित अनिवार्य लेखा गणना मानकों का अनुपालन कर तैयार किये गये हैं।

   ङ) निदेशकों की निरर्हता के बारे में विधि, न्याय एवं कम्पनी मामले मंत्रालय के कम्पनी मामले विभाग द्वारा दिनांक 22.3.2002 को जारी परिपत्र संख्या 2/5/2001 – सी एल वी – सामान्य परिपत्र संख्या 8/2002 के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1)(छ) के प्रावधान, इस कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कम्पनी है।

   च) हमारी सर्वाधिक जानकारी और हमें दिए गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारे विचार से उक्त वित्तीय विवरण लेखा–गणना नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों एवं उसकी अन्य अंगभूत सूचियों के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार आवश्यक जानकारी देते हैं और निम्नलिखित मामलों में भारत में सामान्यतः लागू गणना सिद्धान्तों के अनुरूप सही तथा उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, परन्तु हमें निम्नलिखित टिप्पणियां करनी हैं:

      (i) उस पूंजीगत व्यय के लिए प्रमोटर – आई टी पी ओ और टिडको द्वारा खर्च की गई प्रारम्भिक राशि के बारे अनुसूची 15 के भाग दो की टिप्पणी 4, जिसे प्रमोटरों द्वारा इस मामले में लम्बित निर्णय एवं अन्तिम निर्णय होने तथा ' असुरक्षित ऋण' के रूप में खाते में गणना की गई है।

      (ii) वर्ष के अन्त में विविध पार्टियों की ओर बकाया उन्हें देय राशियों, जिनमें प्रतिभूति रहित ऋण, जमा और अग्रिम राशियां शामिल हैं, जिनकी अभी पुष्टि होनी है, के बारे में अनुसूची 15 के भाग दो की टिप्पणी 16 देखें।

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

1) 31 मार्च 2010 को यथास्थिति तुलन–पत्र, कम्पनी के कार्यकलापों की स्थिति के बारे में ;

2) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय–व्यय लेखा एवं व्यय से अधिक आय के बारे में तथा ;

3) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के कैश फ्लो संबंधी कैश फ्लो विवरण के मामले में।

कृते रमन एसोसिएट्स
चार्टरित लेखाकार

ह./-
(जी. वासुदेवन)
साझेदार
सदस्यता सं. 20739
एफ.आर.संख्या 029105

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 16.09.2010

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, चेन्नई के 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखाओं के बारे में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत टिप्पणियां:

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, चेन्नई के 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी कम्पनी के प्रबन्धन की है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का कार्य अपने व्यावसायिक निकाय के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। ऐसा उनके द्वारा 16 सितम्बर 2010 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया गया बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, मैंने तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निर्णय किया है तथा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत कोई टिप्पणी नहीं की गयी है।

ह./-
(के. श्रीनिवासन)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं
लेखापरीक्षा बोर्ड के भूतपूर्व पदेन सदस्य

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 06.10.2010

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक कम्पनी के 1.4.2009 से 31.3.2010 तक की अवधि के परीक्षित लेखाओं सहित कार्यनिष्पादन की 9वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

परिचालन

कम्पनी के 9वें तुलन–पत्र में 1.4.2009 से 31.3.2010 तक किए गए लेन–देन में विकास शुल्क, ए.सी. रख–रखाव व्यय, फोन, हाउसकीपिंग, सुरक्षा व्यवस्था, प्रबन्धकीय सेवाएं, जल एवं विद्युत खपत प्रभार, महाप्रबन्धक (विपणन एवं परिचालन) तथा प्रबन्धक (परिचालन) का वेतन तथा अन्य विविध व्यय शामिल हैं। वर्ष के दौरान कुल संचालन आय गत वर्ष के 4.99 करोड़ रुपये की तुलना में 2.19 करोड़ रुपये रही। वर्ष के दौरान कुल व्यय पिछले वर्ष के 2.71 करोड़ रुपये की तुलना में 2.21 करोड़ रुपये (1.20 करोड़ रुपये के मूल्यह्रास सहित) हुआ। कम्पनी ने कारपोरेशन बैंक, विजया बैंक, इलाहाबाद बैंक और इण्डियन ओवरसीज बैंक में जमा राशि पर 86.71 लाख रु. ब्याज कमाया। कम्पनी ने 76.23 लाख रु. के सम्पत्ति कर हेतु व्यवस्था की है जो इसकी स्थापना के समय से ही लम्बित था तथा पिछले वर्ष के दौरान 5.06 करोड़ रु0 के मुकाबले 2009–10 के दौरान 4.52 करोड़ रुपये का कर–पूर्व संचयी अधिशेष कमाया।

1.4.2009 से 31.3.2010 की अवधि के दौरान कुल 9 मेले/प्रदर्शनियां आयोजित की गई और उनसे किराए के रूप में 1.19 करोड़ रुपये अर्जित किए गये। प्रमुख प्रदर्शनियों में सैप टेकएड 2009, मेटेक्स इण्टरनेशनल एग्जीबिशन 2009 (कोलनमैसे), कम्युनिकेशन मीट (टाटा एलक्सी), डी के ओ एम 2010 (सैप इण्डिया), डेल सीईओ विजिट 2010 तथा अन्य कार्पोरेट वार्षिक दिवस कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

सावधि जमा

कम्पनी ने आम जनता से कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया है।

निदेशक

वर्ष के दौरान डा. सुवास पाणि, आई ए एस; श्री राजीव यादव, आई ए एस; डा. एस. बेहुरिया, आई ए एस; श्री टी शाम भट्ट, आई ए एस; डा. राजकुमार खत्री, आई ए एस; श्री वी. पी. बालीगर, आई ए एस; श्री वी. मधु, आई ए एस, श्री ए. के. खन्ना कम्पनी के निदेशक तथा श्री एस एम सोन्नड प्रबन्ध निदेशक बने रहे।

आई टी पी ओ के कार्यकारी निदेशक श्री नीरज गुप्ता, आई ए एस को 05.02.2010 से श्री राजीव यादव, आई ए एस के स्थान पर निदेशक नामित किया गया।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

आपके निदेशकगण सदस्यों को यह सूचित करना चाहते हैं कि वर्ष 2009–10 के वित्तीय विवरणों वाले परीक्षित लेखे कम्पनी अधिनियम की अपेक्षाओं के पूर्णतः अनुरूप हैं और उन्हें विश्वास है कि वित्तीय विवरण वर्ष के दौरान किए गए लेन–देन के आकार व स्वरूप को सही तरह से प्रदर्शित करते हैं और कम्पनी की सही वित्तीय स्थिति एवं संचालन परिणाम प्रस्तुत करते हैं। कम्पनी के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स सुधाकर पै एसोसिएट्स, चार्टरित लेखापाल, बंगलौर ने की है।

आपके निदेशक यह भी पुष्टि करते हैं कि :–

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने के लिए लागू गणना मानकों को अपनाया गया है।

(ii) गणना नीतियां सुसंगत ढंग से अपनाई गई हैं और उपयुक्त, विवेकपूर्ण, न्यायसंगत हैं तथा आकलन इस प्रकार से किए गए हैं कि वित्त वर्ष के अन्त में कम्पनी के कार्यकलापों की सही और स्पष्ट छवि दिखाई दे।

(iii) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा उन्हें घपले व अन्य अनियमितताओं से बचाने एवं उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त गणना रिकार्डों के रख–रखाव के लिए निदेशकों ने सही एवं उचित सावधानी बरती है।

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे गोइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किए हैं।

धारा 217(1)(ङ) और धारा 217 (2क) के अन्तर्गत जानकारी

धारा 217(1) (ङ) के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी आत्मसात्करण और ऊर्जा संरक्षण पर देय जानकारी शून्य तथा विदेशी मुद्रा में किये गये व्यय पर देय जानकारी शून्य है।

धारा 217 (2)(क) के अन्तर्गत देय जानकारी शून्य है क्योंकि कंपनी का कोई भी कर्मचारी 2,00,000 रु. या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा है।

सचिवीय अनुपालन प्रमाण पत्र

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 383(क) के प्रावधान के अनुपालन में कंपनी ने कंपनी (अनुपालन प्रमाण पत्र) नियमावली, 2001 में यथा निर्धारित प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव से 2009–10 का सचिवीय अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ जोड़ दिया गया है।

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

लेखा परीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 22(8) (क क) के साथ पढ़ी गई धारा 619 के अनुसार लेखा परीक्षकों का मानदेय वार्षिक आम बैठक में तय किया जाना है जो 30.09.2009 को या इससे पहले आयोजित की जानी है।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अर्हता टिप्पणियां

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23.08.2010 के अपने पत्र में शून्य टिप्पणियां की गयी हैं जो निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में दी गई हैं।

आभार

आपके निदेशक कम्पनी को दिए गए समर्थन एवं सहयोग के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, कर्नाटक सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, के आई ए डी बी तथा आई टी पी ओ/के टी पी ओ के कर्मचारियों के अथक प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद करते हैं तथा पदमुक्त हुए सीएमडी/निदेशकों द्वारा कम्पनी को दिए गये सहयोग एवं सहायता के लिए उनका भी आभार व्यक्त करते हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./-
(डा. सुवास पाणि)
अध्यक्ष

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 27.08.2010

अनुपालन प्रमाण–पत्र

सदस्यगण
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
(धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी)
प्लाट नं. 121, ई पी आई पी इण्डस्ट्रियल एरिया
व्हाइट फील्ड
बंगलौर–560066

कम्पनी अधिनियम 1956 (यथासंशोधित) के परन्तुक धारा 383–क के अनुसार **सचिवीय अनुपालन प्रमाणपत्र** जारी करने के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि :–

क) **कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार, कर्नाटक द्वारा दिनांक 06.12.2002 को जारी निगमन प्रमाणपत्र संख्या 08/28328 द्वारा किया गया है। **यह कम्पनी धारा 25 के अन्तर्गत गठित है और इसे क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी मामले विभाग, चैन्नई से दिनांक 23.10.2000 को लाइसेंस संख्या 2/बी 8008/2000 मिला है।**

ख) मैंने कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के 01.04.2009 से 31.03.2010 तक के रिकार्डों की जांच कर ली है तथा मैं प्रमाणित करता हूं कि कम्पनी ने उपरोक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का सही ढंग से पालन किया है।

ग) कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी 50,00,000 रुपये (पचास लाख रुपये) थी जिसे 1000 रुपये (एक हजार रुपये) प्रति शेयर मूल्य के 5,000 (पांच हजार) इक्विटी शेयरों में बांटा गया है। इसे दिनांक 31.03.2004 को हुई असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में बढ़ाकर 20,00,00,000 रु. (बीस करोड़ रु.) कर दिया है जिसे 1000 रुपये (एक हजार रुपये) प्रति शेयर मूल्य के 2,00,000 (दो लाख) इक्विटी शेयरों में बांट दिया गया है। कम्पनी के पास 50,00,000 (पचास लाख रुपये) की जारी, अभिदत्त एवं चुकता पूंजी है जिसे 1000 रुपये (एक हजार रुपये) प्रति शेयर मूल्य के 5,000 (पांच हजार) इक्विटी शेयरों में बांटा गया है। समस्त शेयर पूंजी इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (भारत सरकार का उपक्रम) और कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (कर्नाटक सरकार का उपक्रम) के पास है।

मैंने **कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** (कम्पनी) के दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 तक की अवधि के रजिस्टरों, रिकार्डों, पुस्तकों और कागजों की जांच कर ली है जो कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) और इसके अन्तर्गत बनाये गये कम्पनी के ज्ञापन एवं अन्तर्नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित हैं।

मेरे विचार से एवं मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मेरे द्वारा की गई जांच के अनुसार और कम्पनी, इसके अधिकारियों एवं एजेन्टों द्वारा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार पूर्वोक्त वित्त वर्ष के सम्बन्ध में, मैं प्रमाणित करता हूं कि :–

01. रजिस्टरों का रख–रखाव

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार लिमिटेड कम्पनी के लिए आवश्यक सभी रजिस्टर बनाए हैं।

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

सांविधिक रजिस्टर

क्र.सं.	रजिस्टर का नाम	संबंधित धारा	टिप्पणी
01.	ऐसे शेयरों अथवा प्रतिभूतियों में, किये गये निवेशों का रजिस्टर जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं।	49(7)और (8)	तैयार किया गया है। कम्पनी ने शेयरों और प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं किया है, इसलिए कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।
02.	जमा राशियों का रजिस्टर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय में फाइल की गयी जमा राशियों की रिटर्न	58 ए कम्पनी स्वीकृति जमा नियमावली 1975	तैयार किया है। इस रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई क्योंकि कम्पनी ने कोई भी सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।
03.	शेयरों की पुनः खरीद का रजिस्टर	77ए	तैयार किया है। कोई प्रविष्टि नहीं की गई क्योंकि शेयरों की पुनः खरीद नहीं की गई है।
04.	विभेदक अधिकारों वाले शेयरधारकों का रजिस्टर तथा विभेदक अधिकारों वाले सदस्यों की सूची	86 और विभेदक वोटिंग अधिकार नियमावली 2001 सहित शेयर प्रमाणपत्र के कम्पनी इश्यू	कम्पनी के पास विभेदक अधिकारों सहित कोई शेयर नहीं हैं।
05.	प्रभारों, जिनके पंजीकरण की आवश्यकता हो, का सृजन करने वाले प्रत्येक उपस्कर की प्रति	136	कम्पनी ने कोई प्रभार का सृजन नहीं किया है।
06.	बनाये गये प्रभारों का रजिस्टर – प्रभारों का सृजन करने वाले उपस्करों की प्रतियां	143 (1)	तैयार किया गया है। ऊपर क्रम संख्या 05 की टिप्पणी को देखते हुए रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है।
07.	सदस्यों का रजिस्टर	150(1)	तैयार किया गया है। इस रजिस्टर में उचित और आवश्यक प्रविष्टियां की गई हैं।
08.	सदस्यों की सूची का रजिस्टर, यदि वे पचास से अधिक हों	151(1)	तैयार किया गया है।
09.	डिबेंचरधारकों का रजिस्टर	152(1)	तैयार किया गया हैं। कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया, अतः कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।
10.	कम्पनी के डिबेंचरधारकों की सूची का रजिस्टर, यदि कम्पनी के डिबेंचरधारकों की संख्या पचास से अधिक हो।	152(2)	कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया, अतः यह रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है।

क्र.सं.	रजिस्टर का नाम	संबंधित धारा	टिप्पणी
11.	डिपोजिटरी द्वारा बनाये गए लाभप्रद मालिकों/सदस्यों और डिबेंचरधारकों की सूची और रजिस्टर	152ए	कम्पनी ने डिमेट फार्म के अन्तर्गत कोई भी शेयर जारी नहीं किया है।
12.	विदेशी सदस्यों और डिबेंचरधारकों का रजिस्टर	157(1) 158	कम्पनी ने विदेशी सदस्यों का रजिस्टर नहीं बनाया है क्योंकि इसका कोई भी सदस्य विदेशी नहीं है।
13.	धारा 159/160 के तहत तैयार वार्षिक रिटर्नों की प्रतियां तथा धारा 160 और 161 के तहत उसके साथ आवश्यक अनुलग्नक प्रमाणपत्रों और कागजातों की प्रतियां	163(1)	तैयार की गयीं हैं।
14.	निदेशक मंडल और समितियों की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तकें	193(1)	तैयार की गयीं हैं। अद्यतन प्रविष्टियां की गई हैं।
15.	आम बैठक की कार्यवाही की कार्यवृत्त पुस्तकें	193(1) और 196(1)	कम्पनी ने आम बैठकों के कार्यवृत्त रजिस्टर रूप में रखे हैं।
16.	लेखे और अन्य लागत रिकार्डों आदि की बहियां	209(1)	तैयार किए हैं। अधिनियम में कम्पनी के व्यापार के संबंध में कोई लागत लेखा परीक्षा निर्धारित नहीं की गयी है।
17.	उन निदेशकों, कम्पनियों एवं फर्मों के साथ किये गये करारों का रजिस्टर जिनमें निदेशकों के हितबद्ध हैं।	301(1)/(5)	कम्पनी ने धारा 297/299 के अन्तर्गत आने वाला कोई करार नहीं किया है, अतः कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।
18.	प्रबन्ध निदेशकों, प्रबन्धक, सचिव और निदेशकों का रजिस्टर	303(1)/304(1)	तैयार किया गया है।
19.	निदेशकों की शेयरधारिताओं का रजिस्टर	307(1)/(5)	तैयार किया गया है।
20.	निवेशों अथवा ऋणों का रजिस्टर	372 क	तैयार किया गया है।
21.	रजिस्टरों एवं रिटर्नों को रखने तथा निरीक्षण करने का स्थान	163	रजिस्टर इसके पंजीकृत कार्यालय प्लाट नं. 121 ई पी आई पी, इण्डस्ट्रियल एरिया, व्हाइटफील्ड बंगलौर–560066 में रखे गए हैं।

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

गैर–सांविधिक रजिस्टर

क्र.सं.	रजिस्टर का नाम	संबंधित धारा	टिप्पणी
01.	निदेशकों की उपस्थिति का रजिस्टर	तालिका (क) के 71 के विषय में	बैठकों में उपस्थित निदेशकों के हस्ताक्षर रजिस्टर में लिए गए हैं।
02.	शेयर हस्तान्तरणों का रजिस्टर		तैयार किया गया है।
03.	डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्रों का रजिस्टर	शेयर प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी नियमावली 1960 का नियम 7	कम्पनी ने कोई डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है।
04.	शेयर आवेदन एवं आबंटन पुस्तिका	धारा 75	तैयार की गयी है।
05.	शेयर वारण्ट		कम्पनी ने कोई शेयर वारण्ट जारी नहीं किया है।
06.	हितकारी ब्याज का रजिस्टर	187(ग)	सरकारी कम्पनी होने के कारण इस पर लागू नहीं होता।
07.	इच्छापत्र, प्रशासन पत्र एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्रों आदि जैसे विधिक अभ्यावेदनों का रजिस्टर		ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया इसलिए तैयार नहीं किया गया है।
08.	स्थायी परिसंपत्तियों का रजिस्टर	सी ए आर ओ	तैयार किया गया है।

02. रिटर्न भरना

रिपोर्ट वर्ष के दौरान कम्पनी ने वे रिटर्न और फार्म जमा किये जो विभिन्न धाराओं के अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराने होते हैं।

03. पूंजी की पर्याप्तता एवं सदस्यों की न्यूनतम संख्या – धारा 3 (i)

लागू नहीं होता।

04. निदेशक मण्डल की बैठकें – धारा 285, 286, 287, 288 और 289

कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम की धारा 285, 286, 287, 288 एवं 289 के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष (01.04.2009–31.03.2010) के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठकें निम्नलिखित प्रकार से हुई :–

क्र.सं.	दिनांक	वर्ष में की गयी बैठकों की संख्या
01	26.05.2009	तीन
02	03.11.2009	
03	30.12.2009	

टिप्पणी : यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत गठित है। दिनांक 01.07.1961 की अधिसूचना सं. एस ओ–1578 के आधार पर कम्पनी अपने निदेशक मण्डल की बैठक छः महीने में एक बार कर सकती है, क्योंकि धारा 285 कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

05. सदस्यों के रजिस्टर को बन्द करना : धारा 154

कम्पनी ने प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान सदस्यों का रजिस्टर बन्द नहीं किया है।

06. वार्षिक आम बैठकें : धारा 166, 171, 172(1)(2) और (3) तथा 210

कम्पनी ने अपनी वार्षिक आम बैठक दिनांक 29.12.2009 को अपने पंजीकृत कार्यालय में की। वार्षिक आम बैठक करने संबंधी कम्पनी अधिनियम की धारा 166 और 210 के प्रावधानों का कम्पनी ने पूरी तरह पालन किया है। कम्पनी ने वार्षिक आम बैठक करने का समय बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त की है।

07. असाधारण आम बैठकें : धारा 169

वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई असाधारण आम बैठक नहीं की।

08. निदेशकों को ऋण : धारा 295

कम्पनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

09. ऐसे करार जिनमें निदेशकों की रुचि है : धारा 297

कम्पनी ने ऐसा कोई करार नहीं किया जिसमें निदेशकों की रुचि हो और जो धारा 297 के तहत आता हो।

10. करारों के रजिस्टर का रख–रखाव : धारा 301

रजिस्टर तैयार किया गया है लेकिन कोई प्रविष्टि नहीं की गई है क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें धारा 297 की उप–धारा (1) एवं (3) लागू होती हो (अधिसूचना संख्या एस ओ 1578 दिनांक 01.07.1961)।

11. अनुमोदन : धारा 314

कम्पनी पर धारा 314 के अन्तर्गत प्रस्ताव पारित करना या अनुमोदन लेना लागू नहीं होता क्योंकि कोई भी निदेशक या निदेशक का रिश्तेदार कार्यालय में अथवा लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है।

12. डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना : कम्पनी (शेयर प्रमाणपत्र जारी करना) नियमावली 1960

कम्पनी ने कोई डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया है।

13. (क) शेयर प्रमाणपत्रों का वितरण : धारा 113

वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयरों का आबंटन नहीं किया।

(ख) लाभांश राशि जमा करना, लाभांश अधिपत्रों की पोस्टिंग, अप्रदत्त लाभांश का निवेशकों की शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरण : धारा 205

कम्पनी ने वर्ष 2008–09 के लिए कोई अन्तरिम/अन्तिम लाभांश की घोषणा नहीं की है।

(ग) निदेशकों की रिपोर्ट के सम्बन्ध में धारा 217 की अपेक्षाएं पूरी करना : धारा 217

वर्ष के दौरान कम्पनी ने वर्ष 2008–09 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट के सम्बन्ध में धारा 217 के प्रावधानों का पालन किया है।

14. निदेशकों की नियुक्ति – संस्था के अन्तर्नियम : धारा 252

निदेशकों की सूची निगमन की तिथि से सचिवीय अनुपालन प्रमाण प्रत्र हस्ताक्षरित होने तक की अवधि में निदेशकों की नियुक्ति तथा उसमें हुए परिवर्तनों की जानकारी देती है :–

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

क्र.सं.	नाम		नियुक्ति की तिथि	कार्यकाल समाप्ति की तिथि
1.	श्री योगेश चन्द्रा	आई ए एस	06.12.2000	04.05.2001
2.	श्री एस. बी. महापात्र	आई ए एस	06.12.2000	04.05.2001
3.	श्री बी. एस. पाटिल	आई ए एस	06.12.2000	01.07.2002
4.	श्री वी. पी. बालीगर	आई ए एस	06.12.2000	04.05.2001
5.	श्री सिद्धैया	आई ए एस	06.12.2000	16.06.2001
6.	श्री बी. के. दास	आई ए एस	06.12.2000	16.06.2001
7.	श्री के. टी. चाको	आई ए एस	06.12.2000	15.03.2002
8.	श्रीमती रति विनय झा	आई ए एस	04.05.2001	15.03.2002
9.	श्री एस. एन. मेनन	आई ए एस	04.05.2001	15.03.2002
10.	श्री जी. गुरुचरण	आई ए एस	04.05.2001	18.12.2002
11.	श्री बी. ए. हरीश गौड़ा	आई ए एस	16.06.2001	28.08.2002
12.	श्री जे. वासुदेवन	आई ए एस	15.03.2002	08.09.2003
13.	श्री विनय बंसल	आई ए एस	24.05.2002	28.09.2002
14.	श्री के. के. मिश्रा	आई ए एस	28.09.2002	18.07.2003
15.	श्री ए. एन. तिवारी	आई ए एस	28.09.2002	18.08.2003
16.	श्री आर. रामशेषन	आई ए एस	28.09.2002	19.03.2003
17.	श्री लुकोस वालाथराई	आई ए एस	28.03.2003	21.01.2004
18.	श्री सुबीर हरिसिंह	आई ए एस	19.07.2003	02.07.2004
19.	श्री एस. के. अरोड़ा	आई ए एस	18.08.2003	05.08.2004
20.	श्री जी. वी. कोंगवाड	आई ए एस	21.01.2004	02.07.2004
21.	श्री ए. के. झा	आई ए एस	09.09.2003	05.08.2004
22.	श्री शिव कुमार	आई ए एस	18.12.2002	21.01.2004
23.	श्री एस. कृष्ण कुमार	आई ए एस	16.06.2001	06.01.2005
24.	श्री आर. चटर्जी	आई ए एस	24.05.2002	06.01.2005
25.	श्री एन. एन. खन्ना	आई ए एस	05.08.2004	04.07.2007
26.	श्रीमती आशा स्वरूप	आई ए एस	05.08.2004	06.06.2007
27.	श्री बी. ए. हरीश गौड़ा	आई ए एस	02.07.2004	10.09.2005

28.	श्री एन. गोकुल राम	आई ए एस	02.07.2004	16.09.2005
29.	श्री राजीव यादव	आई ए एस	06.01.2005	05.02.2010
30.	श्री सी. आर. चिकमत	आई ए एस	21.01.2004	16.09. 2005
31.	श्री पी. लारोइया	--	13.09.2000	30.09.2005
32.	श्री अरविन्द जाधव	आई ए एस	23.06.2008	26.05.2009
33.	श्री डी. एन. नायक	आई ए एस	06.05.2006	23.06.2008
34.	श्री विनय कुमार	आई ए एस	07.01.2005	16.10.2006
35.	सुश्री नसीम इस्हाक	--	14.10.2005	23.06.2008
36.	डा. शीला भिडे	आई ए एस	30.07.2007	26.07.2009
37.	श्री वी. पी. बालीगर	आई ए एस	16.10.2006	23.06.2008
38.	श्री तुषार गिरिनाथ	आई ए एस	23.07.2007	26.07.2008
39.	श्री के. एम. शिवकुमार	--	08.05.2006	02.04.2009
40.	श्री वी. उमेश	आई ए एस	23.06.2008	02.04.2009
41.	श्री सुबीर हरि सिंह	आई ए एस	02.04.2009	06.11.2009

वर्तमान निदेशक

01.	डा. राजकुमार खत्री	आई ए एस	19.05.2006	
02.	डा. सुतानु बेहुरिया	--	06.06.2007	--
03.	श्री टी. शाम भट्ट	आई ए एस	23.06.2008	--
04.	श्री ए. के. खन्ना	--	16.01.2008	--
05.	श्री एस. एम. सोन्नड प्रबन्ध निदेशक	के ए एस	06.10.2008	--
06.	श्री वी. मधु	आई ए एस	26.05.2009	--
07.	डा. सुवास पाणि अध्यक्ष	आई ए एस	26.07.2009	--
08.	श्री वी. पी. बालीगर	आई ए एस	06.11.2009	--
09.	श्री नीरज कुमार गुप्ता	आई ए एस	05.02.2009	--

15. प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, प्रबन्धक की नियुक्ति : संस्था के अन्तर्नियम

6 अक्तूबर, 2008 से प्रबन्ध निदेशक पद पर श्री एस.एम. सोन्नड, के. ए. एस. की नियुक्त की गयी है।

16. सोल सेलिंग एजेन्टों की नियुक्ति : धारा 294 (क)

कम्पनी ने सेलिंग एजेन्टों की नियुक्ति नहीं की है।

17. विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित स्वीकृति

ऐसा कोई मामला नहीं था जिसके लिए विभिन्न प्राधिकरणों से स्वीकृति अपेक्षित हो।

18. निदेशकों द्वारा ब्याज की घोषणा : धारा 299

चूंकि यह कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत गठित कम्पनी है, अतः निदेशकों द्वारा ब्याज की घोषणा से संबंधित धारा 299 के प्रावधान केवल उन्हीं मामलों में लागू होते हैं जिनमें अधिसूचना संख्या एस ओ/1578/01.07.1969 के अनुसार धारा 297 की उपधारा (1) और (3) लागू होती है। कम्पनी ने ऐसी कोई संविदा नहीं की है जो धारा 297 या उपधारा (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत आती हो। इसलिए धारा 299 के तहत निदेशकों द्वारा घोषणा का प्रश्न ही नहीं उठता।

19. वित्त वर्ष के दौरान जारी शेयर प्रमाणपत्र, डिबेन्चर और अन्य प्रतिभूतियां : धारा 113

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने इक्विटी शेयरों का आबंटन नहीं किया।

20. शेयरों की पुनःखरीद : धारा 77(क)

कम्पनी ने प्रतिवदेनाधीन वर्ष के दौरान किसी भी शेयर की पुनःखरीद नहीं की है।

21. अधिमानी शेयरों एवं डिबेन्चरों का रिडम्पशन : धारा 81

कम्पनी ने अधिमानी शेयर जारी नहीं किए हैं। अतः इन मदों के बारे में रिपोर्टिंग का प्रश्न ही नहीं उठता।

22. लाभांश, राइट शेयरों, बोनस शेयरों, ट्रांसफरों के लम्बित पंजीकरण को आस्थगित रखना : धारा 206 (क)

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला या अवसर नहीं आया।

23. जमा राशि लेना : कम्पनी (जमा राशि लेने के नियम) 1960 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 58 (क)

कम्पनी ने आम जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है।

24. कम्पनी द्वारा उधार लिया जाना : धारा 292 और 293 (1)(घ)

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से उधार नहीं लिया।

25. अंतर निगम ऋण एवं निवेश : धारा 372 (क)

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 372 क के तहत कम्पनी ने कोई अंतर निगम ऋण नहीं लिया और न ही निवेश किया है।

26. ऑल्ट्रेशन आफ मेमोरेण्डम : पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने के संबंध में : धारा 17

वर्ष के दौरान कम्पनी ने मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के खण्ड–2 से सम्बन्धित अपने मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

27. मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के उद्देश्य खण्ड में परिवर्तन : धारा 17

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने उद्देश्यों में कोई संशोधन नहीं किया है।

28. कम्पनी के नाम में परिवर्तन : धारा 21

वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपना नाम नहीं बदला।

29. शेयर पूंजी में परिवर्तन : धारा 94

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने अपनी प्राधिकृत पूंजी में कोई वृद्धि नहीं की है।

30. संस्था के अन्तर्नियमों में परिवर्तन : धारा 31

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने संस्था के अन्तर्नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया।

31. अभियोजन, जुर्माना और अर्थदण्ड

कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी पर न तो कोई अभियोजन लगाया गया और न ही कम्पनी ने किसी जुर्माने या अर्थदण्ड का भुगतान किया।

32. कर्मचारी प्रतिभूतियां : धारा 417

कम्पनी ने कर्मचारियों से कोई प्रतिभूति प्राप्त नहीं की।

33. भविष्य निधि की राशि जमा करना : धारा 418

कम्पनी में भविष्य निधि योजना लागू नहीं होती है।

34. सामान्य

यह प्रमाण–पत्र हमारे द्वारा उठाये गये प्रश्नों के स्पष्टीकरणों तथा रिकार्डों के साक्ष्यांकन के समय सुलभ करायी गयी सूचना तथा साक्ष्यांकन हेतु दिये गये कागजात, फाइलों, बहीखातों, रजिस्टरों एवं अन्य प्रासंगिक कागजात के आधार पर जारी किया गया है।

ह./-
(एम. आर. गोपीनाथ)
एफ सी एस 3812 /सी पी 1030

स्थान : बंगलौर
दिनांक : 07.08.2010

अनुपालन प्रमाण–पत्र का अनुलग्नक

अनुलग्नक - क

धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी

कम्पनी द्वारा बनाए गये रजिस्टर

क्र.सं.	रजिस्टर का नाम	धारा
01.	निवेशों का रजिस्टर ऐसे शेयरों या प्रतिभूतियों में निवेश का रजिस्टर जो कम्पनी के नाम पर आहरित नहीं हैं।	49(7) और (8) 49
02.	जमा राशियों का रजिस्टर कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फाइल की गई जमा राशियों की रिटर्नें	58क कम्पनियों द्वारा जमा की स्वीकृति सम्बन्धी नियमावली 1975
03.	शेयरों की पुनः खरीद का रजिस्टर	77क
04.	विभेदक अधिकारों वाले शेयरधारकों का रजिस्टर तथा विभेदक अधिकारों वाले सदस्यों की सूची	86 तथा कम्पनी द्वारा विभेदक वोटिंग अधिकारों वाले शेयर प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी नियमावली 2001
05.	ऐसे प्रभारों का सृजन करने वाले प्रत्येक उपस्कर की प्रति जिनके पंजीकरण की आवश्यकता हो	136
06.	प्रभारों का रजिस्टर – प्रभारों का सृजन करने वाले उपस्करों की प्रतियां	143 (1)
07.	सदस्यों का रजिस्टर	150(1)
08.	धारा 159/160 के तहत तैयार वार्षिक रिटर्नों की प्रतियां तथा धारा 160 और 161 के तहत उसके साथ अपेक्षित अनुलग्नक प्रमाणपत्रों और कागजातों की प्रतियां	163(1)
09.	निदेशक मंडल और समितियों की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तकें	193(1)
10.	आम बैठक की कार्यवाहियों की कार्यवृत्त पुस्तकें	193(1) और 196(1)
11.	लेखे और अन्य लागत रिकार्डों आदि के बही खाते	209(1)

12.	निदेशकों और ऐसी कम्पनियों एवं फर्मों के साथ किये गये करारों का रजिस्टर जिनमें निदेशक हितबद्ध हैं।	301(1)/(5)
13.	प्रबन्ध निदेशकों, प्रबन्धक, सचिव और निदेशकों का रजिस्टर	303(1)/304(1)
14.	निदेशकों की शेयर धारिताओं का रजिस्टर	307(1)/(5)
15.	किए गए निवेशों या ऋणों का रजिस्टर	372 क

अनुलग्नक – ख

01.04.2009 से 31.03.2010 तक की अवधि के लिए कम्पनी द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष भरे एवं जमा किए गए फार्म एवं रिटर्नें :

क्र.सं.	**फार्म**	**एस आर एन नं.**
01	तुलन–पत्र 31.3.2009 फार्म सं. 23 ए सी और ए सी ए	पी 45117892
02.	सचिवीय अनुपालन प्रमाण पत्र ई–फार्म-66	पी 45394087
03.	वार्षिक रिटर्न फार्म - 21क	पी 47023320

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष

शून्य

केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों के समक्ष

शून्य

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

31.3.2010 को यथास्थिति तुलन–पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची	31.3.2010 को यथास्थिति रु.	रु.	31.3.2009 को यथास्थिति रु.	रु.
I. फण्डों के स्रोत					
क) शेयर धारकों के फंड					
i. शेयर पूंजी	ए	104,450,000.00		104,450,000.00	
ii. आरक्षित एवं अधिशेष	बी	45,166,443.75		50,602,459.00	
			149,616,443.75		155,052,459.00
ख) ऋण फंड					
i. आरक्षित ऋण					
ii. अनारक्षित ऋण	सी	79,686,451.69	79,686,451.69	79,550,475.00	79,550,475.00
कुल			**229,302,895.44**		**234,602,934.00**
II. फण्डों का उपयोग					
क) स्थायी परिसंपत्तियां					
सकल ब्लाक		187,436,499.88		179,758,163.00	
घटाएं : मूल्यह्रास	डी	73,320,806.64	114,115,693.24	61,351,564.00	118,406,599.00
ख) निवेश		-		-	
ग) चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम					
i. नकद एवं बैंकों में शेष	ई	122,549,696.15		107,878,379.00	
ii. ऋण एवं अग्रिम	एफ	4,362,701.30		11,026,030.00	
		126,912,397.45		118,904,409.00	
घटाइए : वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान					
i. वर्तमान देयताएं	जी	11,725,195.25		2,708,074.00	
निवल चालू परिसम्पत्तियां			115,187,202.20		116,196,335.00
III. **लेखों पर टिप्पणियां**	एल				
कुल			**229,302,895.44**		**234,602,934.00**

उपर्युक्त ए से जी एवं एल अनुसूचियां इस तुलन–पत्र का अभिन्न भाग हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./-
(एस. एम. सोन्नड)
प्रबन्ध निदेशक

ह./-
(डा. राजकुमार खत्री)
निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुधाकर पै एसोसिएट्स
चार्टर्ड लेखाकार

ह./-
(सीए. बी. सुधाकर पै)
प्रोपराइटर
सदस्यता सं. 018187

स्थान : बंगलौर
दिनांक : 12-08-2010

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

31.3.2010 को समाप्त वर्ष का आय–व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

मद	अनुसूची	2009-2010 रु.	2008-2009 रु.
क. आय			
प्रदर्शनी परिसर का लाइसेंस शुल्क		11,896,954.00	35,329,662.00
यूटिलिटीज कास्ट रिइम्बर्स्ड		995,654.00	2,770,006.00
गेट शुल्क संग्रहण		-	139,870.00
अन्य आय	एच	8,998,800.12	11,699,418.47
		21,891,408.12	**49,938,956.47**
ख. व्यय			
संचालन व्यय	आई	8,035,089.00	6,980,120.00
कार्मिक व्यय	जे	863,456.00	1,109,219.67
प्रशासनिक व्यय	के	1,335,096.00	4,287,131.50
		10,233,641.00	**12,376,471.17**
व्यय से अधिक आय		**11,657,767.12**	**37,562,485.30**
घटाएं : मूल्यह्रास		11,969,243.12	13,230,966.31
व्यय से अधिक आय		**(311,476.00)**	**24,331,518.99**
घटाएं : पिछली अवधि के व्यय		5,124,539.62	1,542,636.66
		(5,436,015.62)	22,788,882.33
घटाएं : कराधान हेतु प्रावधान		-	-
		(5,436,015.62)	22,788,882.33
जोड़ें : पिछले वर्ष का लाभ आगे लाया गया		50,602,459.37	27,813,577.04
व्यय से अधिक आय		**45,166,443.75**	**50,602,459.37**

उपर्युक्त एच से के तक की अनुसूचियां आय एवं व्यय लेखे का अभिन्न भाग हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./-
(एस. एम. सोन्नड)
प्रबन्ध निदेशक

ह./-
(डा. राजकुमार खत्री)
निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुधाकर पै एसोसिएट्स
चार्टर्ड लेखाकार

ह./-
(सीए. बी. सुधाकर पै)
प्रोपराइटर
सदस्यता सं. 018187

स्थान : बंगलौर
दिनांक : 12-08-2010

तुलन–पत्र की अंगभूत अनुसूचियां

(राशि रु. में)

मद	31.3.2010 को यथास्थिति	31.3.2009 को यथास्थिति
अनुसूची ए		
शेयर पूंजी		
प्राधिकृत शेयर पूंजी	**200,000,000.00**	**200,000,000.00**
1,000 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 2,00,000 इक्विटी शेयर		
प्रदत्त, चुकता एवं पूर्णतः प्रदत्त पूंजी		
1,000 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 5,000 इक्विटी शेयर	5,000,000.00	5,000,000.00
शेयर एप्लिकेशन मनी	99,450,000.00	99,450,000.00
	104,450,000.00	**104,450,000.00**
अनुसूची बी		
आरक्षित एवं अधिशेष		
आय एवं व्यय लेखा	45,166,443.75	50,602,459.33
	45,166,443.75	**50,602,459.33**
अनुसूची सी		
अनारक्षित ऋण		
आई टी पी ओ से सबआर्डिनेट कर्ज	74,685,087.97	74,685,088.00
होल्डिंग कम्पनी को देय	5,001,363.72	4,865,387.00
	79,686,451.69	**79,550,475.00**

अनुसूची डी

स्थायी परिसम्पत्तियां और मूल्यह्रास

(कम्पनी अधिनियम डब्ल्यू डी वी विधि के अनुसार)

क्र. सं.	मद	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास			निवल ब्लाक	
		दर	01.04.2009 को यथास्थिति	परिवर्धन सित.से पहले	परिवर्धन सित.के बाद	31.03.2010 को यथास्थिति	01.04.2009 को यथास्थिति	वर्ष के लिए	31.03.2010 तक कुल	31.03.2009 को यथास्थिति	31.03.2010 को यथास्थिति
1	प्रदर्शनी परिसर	10.00	178,600,425.97	-	-	178,600,425.97	60,901,625.89	11,769,880.00	72,671,505.89	117,698,800.08	105,928,920.08
2	कार्यालय उपस्कर	13.91	160,026.75	-	-	160,026.75	54,541.75	14,673.00	69,214.75	105,485.00	90,812.00
3	कार	25.89	532,618.00	-	-	532,618.00	214,400.78	82,386.00	296,786.78	318,217.22	235,831.22
4	कम्प्यूटर	40.00	304,062.16	-	-	304,062.16	162,333.89	56,691.12	219,025.01	141,728.27	85,037.15
5	विद्युत उपकरण	13.91	25,519.00	230,389	7,433,748	7,689,656.00	6,864.21	22,080.00	28,944.21	18,654.79	7,660,711.79
6	फर्नीचर और फिटिंग	18.10	135,511.00	-	-	135,511.00	11,797.00	22,392.00	34,189.00	123,714.00	101,322.00
7	वाटर प्यूरिफायर	18.10	-	-	14,200	14,200.00	-	1,141.00	1,141.00	-	13,059.00
	कुल		**179,758,162.88**	**230,389**	**7,447,948**	**187,436,499.88**	**61,351,563.52**	**11,969,243.12**	**73,320,806.64**	**118,406,599.36**	**114,115,693.24**

तुलन–पत्र की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

(राशि रु. में)

मद	31.3.2010 को यथास्थिति	31.3.2009 को यथास्थिति
अनुसूची ई		
नकद एवं बैंक शेष		
अपने पास विद्यमान नगद	8,922.00	9.00
बैंक खाते		
क. अनुसूचित बैंकों में शेष :		
बचत बैंक खातों में	(128,291.16)	(1,172,509.84)
सावधि जमा योजनाओं में	122,669,065.31	109,050,879.77
	122,549,696.15	**107,878,378.93**
अनुसूची एफ		
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम		
क. नगद अथवा वस्तुओं अथवा प्राप्य मूल्य में वसूली योग्य अग्रिम। अच्छे समझे गये जिसके लिए कम्पनी देनदार की निजी जमानत के अलावा अन्य कुछ भी जमानत नहीं रखती	15,000.00	7,416,945.00
ख. प्रोद्भूत ब्याज (सी एल एफ डी एन टी रोड)	158,453.00	258,932.00
ग. टी डी एस	3,621,770.30	2,672,377.15
घ. जमा	-	500.00
च. सेवा कर इनपुट कर क्रेडिट	-	559,001.00
छ. पूर्व प्रदत्त बीमा	-	66,866.00
ज. सेवा कर खाता (सेवा कर दावा लम्बित खाता)	81,741.00	51,409.00
झ. प्राप्य बैंडविड्थ प्रभार	35,737.00	-
त. कन्वेंशन सेंटर डब्ल्यू.आई.पी.	450,000.00	-
	4,362,701.30	**11,026,030.15**
अनुसूची जी		
चालू देयताएं और प्रावधान		
क) चालू देयताएं		
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	1,393,445.25	270,438.00
बकाया व्यय	241,628.00	103,402.00
ड्यूटी और कर	7,965,279.00	167,757.00
विविध लेनदार	2,113,343.00	2,136,477.00
ई एम डी – प्रथम व्यक्ति	11,500.00	30,000.00
	11,725,195.25	**2,708,074.00**
ख) प्रावधान		
कराधान हेतु प्रावधान		-

तुलन–पत्र की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

(राशि रु. में)

मद	2009–10	2008–09
अनुसूची एच		
अन्य आय		
प्राप्त बैंक ब्याज	8,671,363.12	9,290,384.51
निरस्तीकरण प्रभार	100,000.00	1,681,835.72
प्राप्त आवेदन शुल्क	11,000.00	24,000.00
पिछली अवधि के समायोजन	-	449,599.00
आय कर वापसी पर ब्याज	100,932.00	-
पिछले ऋणों की वसूली	-	138,394.00
रद्दी की बिक्री से आय	-	6,500.00
प्राप्य बैंडविड्थ प्रभार	36,000.00	-
विविध अन्य	79,505.00	108,705.24
	8,998,800.12	**11,699,418.47**
अनुसूची आई		
संचालन एवं अन्य व्यय		
विद्युत प्रभार	988,810.00	1,989,162.00
मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय	-	600.00
कम्प्यूटर का रख–रखाव	1,300.00	-
ए एम सी – विद्युत एवं फायर	656,097.00	1,429,009.00
ए एम सी – हाउसकीपिंग व सुरक्षा	2,435,643.00	2,074,608.00
ए सी विद्युत प्रभार	305,961.00	-
मरम्मत व रख–रखाव – परिसर	14,343.00	-
मरम्मत व रख–रखाव – अन्य	128,716.00	171,651.00
कार का रख–रखाव	36,867.00	12,676.00
वाहन	5,611.00	11,147.00
ब्याज एवं दण्ड – अन्य व्यय	-	1,900.00
लान का रख–रखाव	371,020.00	373,592.00
रख–रखाव – के आई ए डी बी की भूमि का	500,000.00	500,000.00
कारपोरेशन कर	2,372,187.00	-
जल प्रभार	7,600.00	12,036.00
हाउसकीपिंग सामग्री	-	174.00
फ्यूल प्रभार	210,934.00	335,982.00
पार्किंग शुल्क	-	167.00
दिल्ली सम्मेलन प्रभार	-	67,416.00
	8,035,089.00	**6,980,120.00**

तुलन–पत्र की अंगभूत अनुसूचियां (जारी)

(राशि रु. में)

मद	2009–10	2008–09
अनुसूची जे		
कार्मिक व्यय		
वेतन	674,812.00	813,057.00
पैंशन अंशदान	73,838.00	156,998.00
अर्जित छुट्टी वेतन	-	52,279.00
डी ए बकाया	22,664.00	-
चिकित्सा भत्ता	6,712.00	16,734.00
यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति	2,890.00	1,075.00
कर्मचारी कल्याण	15,546.00	33,356.67
बकाया वेतन	66,994.00	35,720.00
	863,456.00	**1,109,219.67**
अनुसूची के		
प्रशासनिक व्यय		
लेखा परीक्षा शुल्क	20,000.00	25,055.00
आन्तरिक लेखा परीक्षा शुल्क	20,000.00	20,000.00
आयकर फाइलिंग शुल्क	-	12,500.00
परामर्श प्रभार	17,350.00	172,000.00
बैंक प्रभार	2,800.00	2,605.00
बीमा	76,220.00	78,169.00
कार्यालय व्यय	45,377.00	21,510.00
विविध व्यय	8,699.00	4,537.00
इंटरनेट प्रभार	6,277.00	6,317.00
टेलीफोन प्रभार	56,248.00	89,917.00
यात्रा एवं वाहन	485,571.00	506,169.00
वेबसाइट होस्टिंग प्रभार	14,000.00	41,150.00
डेल इवेन्ट का बेंडविड्थ प्रभार	32,000.00	-
डाक/कुरियर सेवा	8,329.00	96,682.00
प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी	45,556.00	46,552.00
अखबार	1,965.00	11,745.00
मनोरंजन व्यय	1,323.00	22,038.00
विज्ञापन व्यय	80,991.00	2,842,189.00
साफ्टवेयर एवं अपलोडिंग प्रभार	2,281.00	1,452.00
लाइसेंस शुल्क	-	56,280.00
व्यावसायिक प्रभार	334,401.00	155,264.50
संवर्धन व्यय	75,708.00	75,000.00
	1,335,096.00	**4,287,131.50**

अनुसूची एल – लेखे की टिप्पणियां
लेखा–गणना नीतियां

क. महत्त्वपूर्ण लेखा–गणना नीतियों का विवरण

1. लेखा–गणना का आधार

क) वित्तीय ब्यौरे प्रचलित गोइंग कंसर्न के आधार पर ऐतिहासिक लागत विधि से तथा लागू लेखा–गणना मानकों के आधार पर तैयार किए गये हैं। कम्पनी लेखा–गणना की मर्केन्टाइल पद्धति अपनाती है और आय एवं व्यय की गणना अक्रुअल आधार पर करती है।

ख) लेखा–गणना नीतियां, जिनका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, सामान्यतः स्वीकार्य लेखा–गणना सिद्धान्तों के अनुकूल हैं। कम्पनी अधिनियम 1956 के लागू होने संबंधी उपबंध कम्पनी (लेखा गणना मानक) नियमावली, 2006 के अन्तर्गत निहित लेखा गणना मानकों के अनुसरण में अधिसूचित किये जाते हैं।

2. स्थायी परिसम्पत्तियां

क) स्थायी परिसम्पत्तियां वास्तविक लागत अथवा निर्माण लागत में से मूल्यह्रास/परिशोधन घटाकर दिखाई गई है।

3. मूल्यह्रास / परिशोधन

क) कम्पनी स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची–14 में विनिर्दिष्ट दरों पर रिटर्न डाउन वैल्यू प्रविधि से लागू करती है।

ख) स्थायी परिसम्पत्तियों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास उसकी प्राप्ति/निपटान की तिथि से यथानुपात आधार पर प्रदान किया जा रहा है।

4. आय की गणना

क) लाइसेंस शुल्क की गणना प्रदर्शनी सम्पन्न होने के बाद की जाती है।

ख) अन्य आय की गणना संचित आधार पर की जाती है।

5. व्यय

क) सभी प्रकार के व्ययों की गणना संचित आधार पर की जाती है।

6. सेवानिवृत्ति लाभों का प्रतिपादन

क) भविष्य निधि योजना के लिए कम्पनी का अंशदान संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से अक्रुअल आधार पर आय एवं व्यय लेखे में लिया जाता है।

ख) छुट्टी के नकदीकरण की गणना नगद आधार पर की जाती है।

ग) ग्रेच्युटी की गणना नगद आधार पर की जाती है।

7. आयकर

क) कम्पनी को वर्ष 2008–09 तक आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 (क) और 10(23ग) (iv) के अन्तर्गत आयकर के भुगतान से छूट मिली हुई है तथा कम्पनी ने इस छूट को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आई टी पी ओ की नियंत्रक कंपनी के अनुरूप आगे की अवधि के लिये बढ़ाने के लिये आवेदन किया है।

ख) अतः आस्थगित कर प्रावधान नहीं किये गये हैं।

8. आकस्मिक देयताएं

जो देयताएं मेटीरियल हैं एवं जिनके भावी परिणाम का उपयुक्त निश्चितता के साथ पता नहीं लगाया जा सकता, उन्हें आकस्मिक माना गया है और लेखाओं की टिप्पणियों में बताया गया है।

9. विविध व्यय

प्रारंभिक एवं संचालन–पूर्व व्यय, जिस वर्ष में वे व्यय किये गये हैं, उस वर्ष से शुरू करके पांच वर्ष की अवधि में समान रूप से परिशोधित किए गये हैं।

ख. लेखाओं की अंगभूत टिप्पणियां

	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष
पूंजीगत लेखे पर, जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गई है निष्पादित किए जाने वाले शेष करारों की अनुमानित राशि	शून्य	शून्य
लेखा परीक्षकों को भुगतान		
- सांविधिक लेखा परीक्षा	20,000.00	20,000.00
- प्रदत्त अन्य सेवाओं हेतु	-	-
- सेवा कर	2,060.00	2,472.00
प्रबन्ध निदेशक को पारिश्रमिक		
वेतन एवं	-	25,491.00
भत्ते	-	3700.00
विदेशी आय	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा में व्यय	शून्य	शून्य
आकस्मिक देयताएं	शून्य	शून्य

1. **संयुक्त उद्यम के साझेदारों द्वारा पूंजीगत अंशदान** : के टी पी ओ वस्तुतः आई टी पी ओ एवं के आई ए डी बी के माध्यम से कर्नाटक सरकार का संयुक्त उद्यम है जिसमें उनकी क्रमशः 51 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत इक्विटी लगी हुई है। दोनों साझेदारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार आई टी पी ओ एक प्रदर्शनी हाल देगा और सह–प्रवर्तक कर्नाटक सरकार 50 एकड़ विकसित भूमि प्रदान करेगी। वर्ष 2005–2006 के दौरान दोनों साझेदार प्राधिकृत पूंजी की वृद्धि को 2000 लाख रूपये तक सीमित करने पर सहमत हुए।

   31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार आई टी पी ओ ने इक्विटी शेयर एवं शेयर आवेदन राशि के रूप में 10.20 करोड़ लिये। इसी दिन कर्नाटक सरकार / के आई ए डी बी ने 24.50 लाख रूपये नगद लिये और 50 एकड़ भूमि तथा बाहरी अवसंरचना भी प्रदान की है और इसका मूल्य निर्धारण आई टी पी ओ और कर्नाटक सरकार (के आई ए डी बी) के मध्य दिनांक 16.02.1999 को सम्पन्न समझौता ज्ञापन के अनुसार के टी पी ओ को भूमि आबंटन की तिथि को 50 एकड़ के लिए 10 करोड़ रूपये की एकमुश्त राशि के आधार पर किया जाना है।

   आई टी पी ओ को 99,450 इक्विटी शेयरों का आबंटन : निदेशक मण्डल ने अपनी पन्द्रहवीं बैठक में उनके नामे में पड़ी शेयर आवेदन राशि के बदले आई टी पी ओ 1000.00 रूपये के प्रति शेयर की दर पर 99,450 इक्विटी शेयर आबंटित करने का संकल्प पारित किया। इसके अलावा, आई टी पी ओ को शेयर सर्टिफिकेट जारी करने और कम्पनी रजिस्ट्रार के पास आबंटन की रिटर्न फाइल करने का संकल्प पारित किया गया। परन्तु ऐसा नहीं किया जा सका, क्योंकि भूमि के स्वामित्व का अभिलेख अभी तक के टी पी ओ के पक्ष में पंजीकृत नहीं हुआ है।

2. **के टी पी ओ द्वारा 50 एकड़ के सम्पूर्ण क्षेत्र पर कब्जा** : के टी पी ओ का सम्पूर्ण 50 एकड़ भूमि पर कब्जा है। के आई ए डी बी से के टी पी ओ के पक्ष में सम्पूर्ण भूमि का स्वामित्व अभिलेख जारी करने का अनुरोध किया गया है और वह प्रक्रिया जारी है।

   आई टी पी ओ के निर्देशों के आधार पर प्रदर्शनी परिसर को के टी पी ओ की बहियों में पंजीकृत किया गया है। कर्नाटक सरकार (के आई ए डी बी) की बाहरी अवसंरचना की लागत और भूमि को अभी पूंजीकृत किया जाना है।

   निम्नलिखित कारणों से उपर्युक्त प्रदर्शनी परिसर पर मूल्यह्रास लगाया गया है :

   1) आई ओ पी ओ ने अपनी बहियों से प्रदर्शनी परिसर को हस्तान्तरित कर दिया है।
   2) के टी पी ओ को इसका कब्जा दे दिया गया है और इसमें व्यापारिक गतिविधियों का आयोजन करना शुरू कर दिया गया है।
   3) प्रबन्धन का मत है कि के टी पी ओ को स्वामित्व का कानूनी तौर पर हस्तान्तरण केवल औपचारिकता मात्र है।

3. पार्टियों के लेखाओं में शेष राशि की पुष्टि एवं मिलान किया जाना है।

4. विविध कर्जदाताओं में लघु उद्योगों पर शून्य रुपये देय शामिल है जो 30 दिन से अधिक अवधि से और प्रति पार्टी एक लाख रुपये से अधिक बकाया (पिछले वर्ष – शून्य रुपये) है।

5. **पूर्वावधि व्यय/आय** : वर्ष के दौरान पूर्वावधि मदों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

वाई. विजय मोहन रेड्डी की वर्ष 2007–08 की सेवा कर की राशि प्राप्त की	:	36,000 रु.
वर्ष 2008–09 में टी. डी. एस. के लिए किया अतिरिक्त प्रावधान (आय में अन्तरित)	:	220 रु.
वर्ष 2008–09 में सेवा कर के प्रावधान का अन्तर	:	721 रु.
आई.टी.पी.ओ. का व्यय जो पहले हिसाब में नहीं लिया गया व्यय, और अब गणना में शामिल किया गया है	:	2 रु.
मास्को प्रदर्शनी के दौरान होटल में निदेशकों के ठहरने पर खर्च	:	6,46,364 रु.
आई. टी. ई. मास्को, 2003 में के. टी. पी. ओ. की ओर से आई.टी.पी.ओ. द्वारा कर्नाटक दिवस समारोह पर किया गया खर्च, जिसे के.टी.पी.ओ. के खातों में नहीं दिखाया गया था, लेकिन अब लेखाओं में शामिल किया गया है	:	1,92,394 रु.
आईटीपीओ से वसूली योग्य दिखाये गये यात्रा प्रभार, जिन्हें दो बार परिशोधित किया गया है	:	2,31,266 रु.
आई. टी. पी. ओ. से प्राप्य होने योग्य मास्को इण्डिया प्रदर्शनी की राशि	:	5,00,000 रु.
जमा राशि (टेलीफोन की जमाराशि, जो बट्टे खाते में डाली गई)	:	500 रु.
बट्टे खाते में डाला गया संचित ब्याज	:	2,58,931.62 रु.
अमेजिंग ब्लूम्स, कूल स्टार और बट्टे–खाते में डाली गई फ्रेबिकान धनराशि	:	33,708 रु.
बट्टे–खाते में डाली गई आई. एस. एच. आर. ए. ई. राशि	:	100 रु.
चेन्नई व्यापार केन्द्र	:	39,465 रु.
निगम कर के लिए प्रावधान क्योंकि कम्पनी को बी. बी. एम. पी. से नोटिस प्राप्त हुआ है	:	52,50,974 रु.

6. **मात्रात्मक सूचना** : चूंकि कम्पनी कोई उत्पादन सम्बन्धी कार्य नहीं करती है, इसलिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के अनुच्छेद 3 एवं 4 के भाग II के अन्तर्गत अपेक्षित मात्रात्मक विवरण लागू नहीं होते।

7. कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग 2 के अनुच्छेद 3, 4ग, 4घ के प्रावधानों के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना देने का उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होता।

8. **सेगमैन्ट रिपोर्टिंग** : कम्पनी केवल प्रदर्शनी परिसर को किराये पर देने सम्बन्धी एक ही क्षेत्र में कार्य करती है।

9. जहां भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः विभाजित एवं नये रूप में दिया गया है।

10. तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा के साथ–साथ लेखाओं के अनुषंगी टिप्पणी, जिन्हें 24 जून, 2010 को निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है और 24 जून, 2010 को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जिन्हें प्रतिवेदित किया गया है, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा के दौरान व्यक्त अभिमतों को दृष्टि में रखते हुए पुनरीक्षित किया गया है जिनके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष 2008–09 की अनुसूची ट में संशोधन किया गया है और जो वर्ष 2009–10 लेखाओं का भाग है।

अनुसूची क से ठ तक पर हस्ताक्षर

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./-
(एस. एम. सोन्नड)
प्रबन्ध निदेशक

ह./-
(डा. राजकुमार खत्री)
निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुधाकर पै एसोसिएट्स,
चार्टर्ड लेखाकार

ह./-
(सीए. बी. सुधाकर पै)
प्रोपराइटर
सदस्यता सं. 018187

स्थान : बंगलौर
दिनांक : 12-08-2010

तुलन–पत्र का सार एवं कम्पनी का सामान्य कार्य विवरण
(कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग IV का अनुलग्नक)

I	पंजीकरण विवरण :	
	पंजीकरण संख्या	**यू92490केए2000एनपीएल028238**
	राज्य कोड :	08
	तुलन पत्र की तिथि	31/03/2010
II	वर्ष के दौरान बढ़ाई गई पूंजी (राशि रू. में)	
	सार्वजनिक निर्गम	शून्य
	राइट निर्गम	शून्य
	बोनस निर्गम	शून्य
	निजी व्यवस्था	शून्य
III	निधियों को जुटाने एवं परिनियोजन की स्थिति (राशि रू. में)	
	कुल देयताएं	229,302,895.44
	कुल परिसम्पत्तियां	229,302,895.44
	निधियों के स्रोत :	
	प्रदत्त पूंजी	104,450,000
	आरक्षित एवं अधिशेष	50,602,459
	आरक्षित ऋण	-
	अनारक्षित ऋण	79,686,452
	आस्थगित कर	-
	निधियों का उपयोग :	
	निवल स्थायी परिसम्पत्तियां	114,115,693
	निवेश	-
	निवल चालू परिसम्पत्तियां	115,187,202
	विविध व्यय	-
	संचित घाटा	-
	आस्थगित कर	-
IV	कम्पनी का कार्य निष्पादन (राशि रू. में)	
	निष्पादन	21,891,408
	कर से पूर्व लाभ	5,436,016
	कर पश्चात् लाभ	5,436,016
	प्रति शेयर अर्जन	1,087.20
	लाभांश दर	शून्य
		(प्रति शेयर रू. में)
V	कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के वर्गगत नाम (मौद्रिक रूप में)	
	मद कोड:	**उत्पाद विवरण :**
	क.	सेवा आय
	ख.	

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./-
(एस. एम. सोन्नड)
प्रबन्ध निदेशक

ह./-
(डा. राजकुमार खत्री)
निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट द्वारा
कृते सुधाकर पै एसोसिएट्स,
चार्टर्ड लेखाकार

ह./-
(सीए. बी. सुधाकर पै)
प्रोपराइटर
सदस्यता सं. 018187

स्थान : बंगलौर
दिनांक : 12-08-2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का कैश–फ्लो विवरण

(राशि रु. में)

मद	31.3.2010		31.3.2009
प्रचालन गतिविधियों से कैश फ्लो			
कर से पूर्व व्यय से अधिक आय		**-5,436,016**	22,788,882
समायोजन :–			
मूल्यह्रास के लिए	**11,969,243**		14,677,855
कार्यशील पूंजी में बदलाव हेतु समायोजन			
क) इन्वेन्टरियां	-		-
ख) व्यापार से प्राप्य	-		-
ग) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	7,266,105		(7,204,096)
घ) व्यापारिक देय एवं अन्य देयताएं	8,550,322		(5,239,846)
		27,785,670	
कुल इन्फ्लो		**22,349,654**	**25,022,796**
कुल आउटफ्लो			
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद		(7,678,337)	(2,165,686)
नगदी एवं नगदी तुल्य राशि में बढ़ोत्तरी/(कमी)		14,671,317	22,857,110
वर्ष के प्रारम्भ में नगदी एवं नगदी तुल्य राशि		**107,878,379**	**85,021,269**
वर्ष के अन्त में नगदी एवं नगदी तुल्य राशि		**122,549,696**	**107,878,379**

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./-
(एस. एम. सोन्नड)
प्रबन्ध निदेशक

ह./-
(डा. राजकुमार खत्री)
निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुधाकर पै एसोसिएट्स,
चार्टर्ड लेखाकार

ह./-
(सीए. बी. सुधाकर पै)
प्रोपराइटर
सदस्यता सं. 018187

स्थान : बंगलौर
दिनांक : 12-08-2010

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, बंगलौर के सदस्यों को लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मण्डल ने आय एवं व्यय लेखा तुलनपत्र के साथ–साथ अनुसूचियों एवं इससे सम्बन्धित अनुबन्धों का अनुमोदन 24 जून 2010 को किया तथा सम तिथि को हमने इस पर रिपोर्ट दी जिसमें हमने भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा में की गयी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया। निदेशक मण्डल ने संशोधित आय एवं व्यय लेखा तुलनपत्र के साथ–साथ अनुसूचियों एवं इससे सम्बन्धित अनुबन्धों को 12 अगस्त 2010 को एक प्रस्ताव परिपत्र द्वारा अनुमोदन किया। इसके अलावा, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के आधार पर हमने अनुच्छेद 'च' में उप अनुच्छेद (क) से लेकर (ग) जोड़कर अपनी रिपोर्ट में संशोधन किया है। संशोधित लेखे पर, यह संशोधित रिपोर्ट हमारी 24 जून 2010 की रिपोर्ट का स्थान लेगी।

हमने कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, बंगलौर (कम्पनी) के 31 मार्च 2010 को यथास्थिति संलग्न तुलनपत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के आय एंव व्यय लेखे और उसके साथ संलग्न कैश–फ्लो विवरण की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण तैयार करना कम्पनी प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों के बारे में, हमारे द्वारा लेखा–परीक्षा पर आधारित, अपना मत व्यक्त करने की है।

हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम इस बारे में आशय का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरणों में समाविष्ट धनराशियों और घोषणाओं के समर्थन में उपलब्ध किये गये साक्ष्य की पड़ताल के आधार पर जांच की गयी है। प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाये गये लेखा सिद्धान्तों और महत्त्वपूर्ण प्राक्कलनों की जांच और समग्र रूप से प्रस्तुत वित्तीय विवरण का आकलन करना भी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करती है।

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत है। इसीलिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उप–धारा(4क) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनी (लेखा परीक्षक) आदेश, 2004 द्वारा यथा संशोधित कम्पनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 के प्रावधान इस कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

इससे आगे, हम रिपोर्ट देते हैं कि –

क) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो इस लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

ख) जहां तक हमारे द्वारा कम्पनी के खातों की जांच से स्पष्ट होता है, हमारी राय में कम्पनी ने कानूनन अपेक्षित उचित बहीखाते बनाए हैं।

ग) इस रिपोर्ट के साथ तैयार किया गया तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखे बहीखातों से मेल खाते हैं।

घ) हमारे विचार से, इस रिपोर्ट के साथ तैयार किया गया तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित लेखा गणना मानकों के अनुसार बनाए गए हैं।

ङ) कम्पनी ने सूचना दी है, कि कम्पनी मामले विभाग ने जी.एस.आर. 829 (ई) दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 के द्वारा यह अधिसूचित किया है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (छ) सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होती है, इसलिए निदेशकों की अनर्हता का मामला इस कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

च) निम्नलिखित मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि :–

(क) वाणिज्यिक कर सहायक आयुक्त द्वारा वर्ष 2005–2006 से वर्ष 2007–08 तक के वित्तीय वर्षों के लिए मांगे गए विलासिता कर और उस पर ब्याज के लिए 2,14,42,798 रु० की राशि की देनदारी के लिए प्रावधान न किया जाना, जिससे कम्पनी की परिसम्पत्तियां और देनदारियां प्रभावित होंगी।

वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के खण्ड (एफ) के उप खण्ड सं. (एक्स) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए कम्पनी की लाभप्रदता पर उपर्युक्त प्रावधान न किये जाने के कारण प्रभाव पड़ने के बारे में लेखापरीक्षा में शर्त लगाई है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए कम्पनी की लाभप्रदता पर प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षकों ने पूर्ववर्ती वर्ष में पहले ही शर्त लगाई गई है, इसलिए हमने कम्पनी की परिसम्पत्तियों और देनदारियों पर उपर्युक्त शर्त के प्रभाव पर विचार किया है।

(ख) वाणिज्यिक कर विभाग को देय विलासिता कर और उस पर ब्याज के लिए देनदारी की मात्रा निर्धारित न करने और इस बारे में प्रावधान न किया जाना जिसकी वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए इस समय विभाग द्वारा मांग नहीं की गई है जिससे कम्पनी की परिसम्पत्तियां और देनदारियां प्रभावित होंगी।

(ग) आई.टी.पी.ओ. से पुष्टि लिये बिना ही 5,00,000 रु० का पिछली अवधि का व्यय कम दिखाया जाना जिसका कम्पनी की लाभप्रदता और कम्पनी की परिसम्पत्तियों और देनदारियों पर प्रभाव पड़ेगा।

(घ) वित्तीय वर्ष 2007–08 और 2008–09 के लिए 19,51,124 रु० (वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए 13,81,800 रु० और वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए 5,69,624 रु०) कार्पोरेट कर (सम्पत्ति कर) पर देय ब्याज के लिए देनदारी का प्रावधान न किया जाना जिसका कम्पनी की लाभप्रदता और कम्पनी की आस्तियों और देनदारियों पर प्रभाव पड़ेगा।

उपर्युक्त बिन्दुओं (ग) और (घ) के निवल प्रभाव के कारण देनदारियां कम होंगी और कम्पनी का घाटा (आय से अधिक व्यय) 24,51,124 रु० कम दिखाया गया। इसके अलावा, उपर्युक्त मुद्दे (क) का निवल प्रभाव के कारण कम्पनी की देनदारियां 2,14,42,798 रु० कम दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा, ऊपर (ख) में उल्लिखित देनदारी की मात्रा का निर्धारण न होने के कारण, हम कम्पनी की लाभप्रदता और परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों पर शर्त के प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई व्याख्या के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 1956 के द्वारा तथा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी उक्त लेखे देते हैं और भारत में मान्य सामान्य गणना नीतियों के अनुरूप सही और उपयुक्त मत प्रस्तुत करते हैं।

(i) 31 मार्च, 2010 को यथास्थिति कम्पनी के तुलन–पत्र के बारे में और

(ii) उसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा, कम्पनी की आय से अधिक व्यय के बारे में।

कृते सुधाकर पै एसोसिएट्स
चार्टर्ड लेखाकार

ह./-
सीए. बी. सुधाकर पै
प्रोपराइटर
सदस्यता सं० 018187
फर्म नं. 004171 एस

स्थान : बंगलौर
दिनांक : 12 अगस्त, 2010

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अनुसार मै. कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार मैसर्स कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, बंगलौर के 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कम्पनी प्रबन्धन की है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी भारत के चार्टरित लेखापालों के संस्थान के व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतन्त्र लेखा परीक्षा पर आधारित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है। ऐसा दिनांक 24 जून, 2010 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा उनकी दिनांक 12 अगस्त, 2010 की संशोधित रिपोर्ट द्वारा किया जा चुका है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से मैंने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अनुसार **मैसर्स कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, बंगलौर के 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के परिकलन कागजात के बिना स्वतन्त्र रूप से की गयी है तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों से प्रारम्भिक पूछताछ और कुछ गणना रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। लेखाओं (अनुसूची एल–बी) और अनुसूची–के (प्रशासनिक व्यय) के अंगभूत टिप्पणियों के टिप्पण सं. 10 में यथा उल्लिखित प्रबन्धन द्वारा दिये गए वित्तीय विवरणों में किये गए संशोधनों और लेखापरीक्षक की संशोधित रिपोर्ट के पहले पैरा में किये गये संशोधनों और लेखापरीक्षक की संशोधित रिपोर्ट के क्रम सं. एफ (ए), एफ (सी) और एफ (डी) में किये गये संशोधनों को देखते हुए, मुझे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षा के रिपोर्ट के अनुपूरक पर आगे और टिप्पणी नहीं करनी है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महा लेखापरीक्षक की ओर से

ह./-
(सी. एच. खर्शींग, आई.ए.ए.एस)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा भूतपूर्व पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, बंगलौर

स्थान : बंगलौर
दिनांक : 23 अगस्त, 2010

रक्षा प्रदर्शनी संगठन

CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़
CHHATTISGARH
KALEIDOSCOPE

टिप्पणी

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001

विबा प्रेस